पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2021 ई0 (अग्रहायण 27, 1943 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

29 अक्टूबर, 2020

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020

(यह विनियम सरकारी गजट दिनांक 28 नवम्बर 2020 में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है, किसी भी तरह के निर्वचन अथवा विवाद (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।)

संख्या एफ–9(31)/आर.जी./यूईआरसी/2020/814– विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 एवं धारा 50 के साथ पठित धारा 43, धारा 45, धारा 46, धारा 47 एवं धारा 57 व विद्युत (कठिनाईयों का दूर करना) आदेश, 2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से सक्षम होकर, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:–

विनियमों की संरचना

(1) अध्याय 1: सामान्य

यह अध्याय इन विनियमों के विस्तार एवं प्रयोज्यता, प्रारंभ एवं व्याख्या के विवरण प्रदान करता है तथा इन विनियमों में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों को परिभाषित करता है।

(2) **अध्याय 2: आपूर्ति का वर्गीकरण**

यह अध्याय सामान्य परिस्थितियों में प्रत्यावर्ती धारा (ए.सी.) आपूर्ति के घोषित वोल्टेज तथा भार की विभिन्न श्रेणी का विवरण प्रदान करता है।

(3) **अध्याय 3: नये संयोजनों को जारी करना**

यह अध्याय एक आवेदक को नए संयोजन के लिये अपनायी जाने वाली प्रक्रिया प्रदान करता है तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नए अस्थायी संयोजन, एल.टी. संयोजन तथा एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन को जारी करने के लिए, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को दर्ज करना, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रारंभिक निरीक्षण, आवेदक से शुल्क जमा कराना, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदन पर कार्यवाही, एकल बिंदु थोक आपूर्ति (एसपीबीएस), विकासकर्ता/बिल्डर द्वारा बनाए जाने वाले सामुहिक भवनों हेतु विद्युत संयोजन तथा आवेदक द्वारा आवेदन वापस लेना।

(4) **अध्याय 4: विद्यमान संयोजन**

यह अध्याय विद्युत के एक उपभोक्ता के अनुबन्धित भार को बढ़ाने तथा घटाने की प्रक्रिया तथा विद्युत के उपभोक्ता द्वारा जमा की जाने वाली अतिरिक्त प्रतिभूति राशि का आंकलन, संयोजन का अन्तरण जैसे कानूनी वारिस या श्रेणी में परिवर्तन या स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण नाम में परिवर्तन के मामलों से संबंधित प्रक्रियाएं प्रदान करता है।

(5) **अध्याय 5: मीटरिंग व बिलिंग**

यह अध्याय मीटरों की स्थापना, मीटरों की रीडिंग, मीटरों का परीक्षण, मीटर में रिकॉर्डिंग न होने की दशा में किए जाने वाले उपाय, मीटर जलने, मीटर चोरी होने, बिल जारी करने की सामान्य शर्तें, बिल विवरण, अस्थायी बिलिंग, अतिरिक्त भार/मांग दंड, उपभोक्ता बिलों पर शिकायत, बिलों में दर्शित पिछला अवशेष/गलत तरीके से जारी किये गए बिल, कब्जा/परिसर के रिक्त होने की स्थिति में अंतिम बिल के लिए अनुरोध, उपभोक्ता द्वारा स्व–मूल्यांकन पर भुगतान तथा प्रत्याशित बिलों के अग्रिम भुगतान की सामान्य शर्तें प्रदान करता है।

(6) **अध्याय 6: विच्छेदन व पुर्नसंयोजन**

यह अध्याय उन शर्तों, जहां अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संयोजन को विच्छेदित किया जा सकता है तथा उसी का पुर्नसंयोजन तथा संयोजन के विच्छेदन/पुर्नसंयोजन में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं, को निर्दिष्ट करता है।

(7) **अध्याय 7: विद्युत की चोरी तथा अनधिकृत उपयोग**

यह अध्याय विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई) तथा विद्युत की चोरी के लिए मामला दर्ज करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। इस अध्याय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किए जाने वाले मूल्यांकन की प्रक्रिया, उपभोक्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करना, व्यक्तिगत सुनवाई, विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई) तथा विद्युत की चोरी को रोकने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उठाए जाने वाले उपाय भी सम्मलित है ।

(8) **अध्याय 8: व्यावृत्ति**

यह अध्याय आयोग को आयोग के किसी भी प्रावधान को शिथिल करने तथा यदि इन विनियमों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उन कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।

(9) **प्रपत्र/अनुलग्नक**

अध्याय 1: सामान्य

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रयोज्यता, प्रारम्भ व निर्वचन

(1) इन विनियमों को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सभी वितरण व खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों जिनमें, माने गये अनुज्ञप्तिधारियों व उत्तराखण्ड राज्य में इसके सभी उपभोक्ता सम्मिलित हैं तथा अधिनियम की धारा 13 के तहत छूट प्राप्त अन्य सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

(3) विद्यमान उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2007, उविनिआ (नये एचटी व ईएचटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2008 तथा उविनिआ (नये एलटी संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि व कमी) विनियम, 2013 एवं इनके संशोधनों के स्थान पर ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(4) इन विनियमों को विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुरूप केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम, 2006, के0वि0प्रा0 (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तथा समय–समय पर इस संबंध में संशोधित अन्य कोई प्रासंगिक के0वि0प्रा0 विनियम प्रावधानों के साथ सपठित प्रावधानों से भिन्न न रहते हुये, के अनुसार व्याख्यायित एवं लागू किया जाएगा।

1.2 परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(a) **"अधिनियम"** का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(b) **"अनुबन्ध"** का तात्पर्य अपने व्याकरणिक भेदों एवं सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता द्वारा किया गया करार, से है;

(c) **"उपकरण"** का तात्पर्य विद्युत उपकरण जिसमें सभी यंत्रों सहित, फिटिंग्स, सहायक उपकरण तथा विद्युत वितरण प्रणाली से संयोजित उपकरण शामिल हैं, से है;

(d) **"आवेदक"** का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम, नियमों, विनियमों एवं आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करता है, से है, जैसे कि :

(i) अस्थायी संयोजन सहित विद्युत आपूर्ति;

(ii) स्वीकृत भार या अनुबंध की मांग में वृद्धि या कमी;

(iii) श्रेणी में परिवर्तन;

(iv) संयोजन से संबंधित विवरणों का परिवर्तन;

(v) आपूर्ति का विच्छेदन या पुनः संयोजन;

(vi) समझौते की समाप्ति या अन्य सेवाओं हेतु, आदि;

(e) **"आवेदन"** उपयुक्त प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन प्रपत्र को संदर्भित करता है जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक शुल्क का भुगतान एवं अन्य अनुपालनों को दिखाने वाले अभिलेखों के साथ अपेक्षित है;

(f) **"आवेदन प्रपत्र"** उपयुक्त प्रारूप में विधिवत भरे हुए एक आवेदन प्रपत्र को संदर्भित करता है जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक शुल्क के भुगतान को छोड़कर अभिलेखों एवं अन्य अनुपालन के साथ अपेक्षित है;

(g) **"आपूर्ति क्षेत्र"** का तात्पर्य वह क्षेत्र जिसमें विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने हेतु अपने अनुज्ञप्ति–पत्र द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को प्राधिकृत किया गया है, से है;

(h) **"निर्धारण अधिकारी"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 126 के उपबंधों के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारण अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी से है;

(i) **"प्राधिकष्त अधिकारी"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अधीन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा "प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अभिहित अधिकारी से है;

(j) **"औसत पावर फैक्टर"** का तात्पर्य अवधि के दौरान आपूर्ति किये गये केडब्ल्यूएच व केवीएएच (किलो वोल्ट एम्पियर आवर) के अनुपात से है;

(k) **"बैंक दर"** का तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष की पहली अप्रैल को अधिसूचित प्रचलित दर से है;

(l) **"बिलिंग चक्र"** या **"बिलिंग अवधि"** का तात्पर्य आयोग द्वारा अनुमोदित अवधि, जिसके लिए नियमित रूप से विद्युत बिलों को विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया जाना है, से है;

(m) **"बिल योग्य मांग"** का तात्पर्य आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेशों में अनुमोदित मांग से है;

(n) **"सी.ई.ए."** का तात्पर्य केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से है;

(o) **"सी.ई.ए. सुरक्षा विनियम"** का तात्पर्य के0वि0प्रा0 (सुरक्षा एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तथा समय–समय पर इसमें किये गये संशोधनों से है;

(p) **"आयोग"** का तात्पर्य उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग से है;

(q) **"संयोजित भार"** का तात्पर्य अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली से संयोजित व उचित रूप से लगाए हुए तार से ऊर्जा उपभोग करने वाले सभी उपकरणों की विनिर्माता की रेटिंग का योग जिसमें उपभोक्ता के परिसर में वहनीय उपकरण सम्मिलित हैं, से है। किन्तु इसमें स्पेयर प्लग्स का भार सॉकेट, अग्निशमन के उद्देश्य से संस्थापित भार सम्मिलित नहीं है। पानी या कमरा गर्म करने या कमरा ठण्डा करने में से जिसका भार अधिक है वही हिसाब में लिया जाएगा।

संयोजित भार, केवल प्रत्यक्ष चोरी या ऊर्जा के बेईमानी से निकालने या ऊर्जा के अनधिकृत उपयोग के मामले में निर्धारण के उद्देश्य से उपयोग किया जाएगा।

(r) **"निरंतर प्रक्रिया उद्योगों"** का तात्पर्य प्रक्रिया के सतत् स्वभाव के कारण निरन्तर आपूर्ति की आवश्यकता वाले उद्योगों, जैसे शीशा, वस्त्र, कागज उद्योग, आदि, से है;

(s) **"अनुबन्धित भार"** का तात्पर्य के.डब्ल्यू./एचपी/केवीए (किलोवाट/हार्स पावर/किलो वोल्ट एम्पियर) में भार, जिसे शासकीय शर्तों व निबंधनों के अधीन समय–समय पर आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी सहमत है तथा सामान्यतः संयोजित भार से अलग है, से है;

(t) **"मांग प्रभार"** का तात्पर्य केवीए या केडब्ल्यू में बिल योग्य मांग पर आधारित बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि हेतु प्रभारित राशि से है;

(u) **"विकासकर्ता"** का तात्पर्य एक व्यक्ति या कम्पनी या संगठन या प्राधिकरण, जो आवासीय, व्यवसायिक या औद्योगिक उपयोग हेतु किसी क्षेत्र का विकास करता है तथा इसमें विकास

अभिकरण (जैसे कि एमडीडीए इत्यादि) कॉलोनाइजर्स, बिल्डर्स, सहकारी सामूहिक आवासीय समितियां, संगठन इत्यादि सम्मिलित है, से है;

(v) **"वितरण प्रणाली"** का तात्पर्य तारों व सहायक सुविधाओं की वह प्रणाली जिसका उपयोग, उपभोक्ताओं की संस्थापना से संयोजन के बिन्दुओं तथा उत्पादक स्टेशन संयोजन या पारेषण लाईनों पर प्रेषण बिन्दुओं के मध्य विद्युत के वितरण/आपूर्ति हेतु किया जाता है, से है।

वितरण प्रणाली में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की आपूर्ति के क्षेत्र, विद्युत लाईन, सब-स्टेशन एवं इलेक्ट्रिकल प्लांट शामिल होंगे, जिन्हें मुख्य रूप से विद्युत वितरण के उद्देश्य से, जिसमें ऐसी लाईन, सब-स्टेशन या इलेक्ट्रिकल प्लांट हाई प्रेशर केबल या ओवरहेड लाईन हैं या इस तरह के उच्च दबाव केबल या ओवरहेड लाईनों के साथ जुड़े हैं, बनाए रखा जाता है; या संयोग से दूसरों हेतु विद्युत संचारित करने के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है;

(w) **"अर्थिंग प्रणाली"** प्रासंगिक बीआईएस. एवं के.वि.प्रा. (सुरक्षा व इलेक्ट्रिक आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 तथा समय-समय पर इसमें किये गये संशोधन के अनुसार होगी।

(x) **"विद्युत निरीक्षक"** का तात्पर्य विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की उप-धारा (1) के अधीन समुचित सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है तथा इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी शामिल है;

(y) **"ऊर्जा प्रभार"** का तात्पर्य किसी बिलिंग चक्र में, के.डब्ल्यू.एच./के.वी.ए.एच (किलो वाट आवर/ किलो वोल्ट एम्पियर आवर) यथास्थिति में उपभोक्ता द्वारा वास्तव में उपभोग की गयी ऊर्जा हेतु प्रभार से है। मांग/स्थिर प्रभार, जहां लागू हों, ऊर्जा प्रभारों से अतिरिक्त होंगे;

(z) **"एक्स्ट्रा हाई टेन्शन (ईएचटी)"** का तात्पर्य अनुमोदित विचलन प्रतिशत के अधीन सामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत 33,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज से है;

(aa) **"विद्युतिकृत क्षेत्र"** का तात्पर्य नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर क्षेत्रों, अधिसूचित क्षेत्रों व नगर निकायों तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी/राज्य सरकार द्वारा विद्युतीकृत घोषित गाँवों के अधीन आने वाले क्षेत्र से है;

(bb) **"स्थिर प्रभार"** का तात्पर्य अनुबन्धित भार पर आधारित बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि हेतु प्रभारित राशि से है;

(cc) **"मंच"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 42(5) व उसके अधीन आयोग द्वारा बनाए गये विनियमों के अधीन स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच से है;

(dd) **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तराखण्ड सरकार से है;

(ee) **"हाई टेन्शन (एचटी)"** का तात्पर्य अनुमोदित विचलन प्रतिशत के अधीन सामान्य परिस्थितियों में 650 वोल्ट्स से अधिक व 33,000 वोल्ट्स तक वोल्टेज से है;

(ff) **"अनुज्ञप्तिधारी"** का तात्पर्य अधिनियम के भाग IV के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र प्राप्त किसी भी व्यक्ति से है;

(gg) **"लोड फैक्टर"** का तात्पर्य, इन विनियमों के उद्देश्य हेतु, एक दी गई अवधि के दौरान उपभोग की गई यूनिट्स की कुल संख्या (केवीएएच या केडब्ल्यूएच में जो भी लागू हो) एवं यूनिट्स की कुल संख्या जिसका इस अवधि में उपभोग किया गया होता यदि उक्त अवधि में पूरे समय संयोजित भार (केवीए या केडब्ल्यू में जो भी लागू हो) बनाए रखा गया होता, से है तथा इसे सामान्यतः निम्नलिखित प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगाः

$$\text{लोड फैक्टर (प्रतिशत)} = \frac{\text{एक दी गई अवधि में उपभोग की गई वास्तविक यूनिट्स (केडब्ल्यूएच / केवीएएच में)}}{\text{अनुबन्धित भार (किवा या केवीए में) x अवधि में कुल घंटे}} \times 100$$

(hh) **"लो टेन्शन (एलटी)"** का तात्पर्य सामान्य परिस्थितियों में अनुमोदित विचलन प्रतिशत के अन्तर्गत किन्हीं दो फेजेज के मध्य 400 वोल्ट या फेज व न्यूट्रल के मध्य 230 वोल्ट की वोल्टेज से है;

(ii) **"अधिकतम मांग"** केडब्ल्यू या केवीए में अधिकतम मांग, जैसा भी प्रकरण हो, का तात्पर्य अविच्छिन्न 30/15 मिनट (स्थापित मीटर के प्रकार के आधार पर) की अवधि में औसत केडब्ल्यू अथवा केवीए में आपूर्ति किये गये अधिकतम उपयोग से होगा, जहां ऐसे मीटर जिनमें केडब्ल्यू या केवीए में सीधे अधिकतम मांग पढ़ने के फीचर्स दिये गये हों।

(jj) **"मीटर"** का तात्पर्य विद्युत के संप्रेषण, अधिकतम मांग, किसी अन्य मापदण्ड या विद्युतीय प्रणाली से संबंधित कोई अन्य जानकारी को मापने, इंगित करने एवं रिकॉर्ड करने हेतु उपयुक्त उपकरण से है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है या आयोग द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है तथा जहां कहीं भी लागू हो, अन्य उपकरण जैसे करंट ट्रांसफॉर्मर (सीटी), वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (वीटी) या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (सीवीटी) सदृश उद्देश्य हेतु आवश्यक होगा एवं जिसमें नेट मीटर सम्मिलित होगा;

स्पष्टीकरणः इसमें किसी भी सील या सीलिंग व्यवस्था व अन्य उपायों/विशेषताओं को सम्मिलित किया जाएगा, जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विश्वसनीयता हासिल करने एवं विद्युत चोरी/अनधिकृत उपयोग को रोकने हेतु प्रदान किए जाते हैं।

जहां "नेट मीटर" का तात्पर्य विद्युत आयात एवं निर्यात दोनों को रिकॉर्ड करने में सक्षम एक उपयुक्त मीटर या विद्युत के शुद्ध आयात एवं शुद्ध निर्यात, जैसा भी मामला हो, की रिकॉर्डिंग हेतु पृथक–पृथक मीटर के एक जोड़े से है;

(kk) **"कब्जाधारी"** का तात्पर्य उस परिसर के कब्जाधारी व्यक्ति या स्वामी जहां ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है या किया जाना प्रस्तावित है, से है;

(ll) **"बकाया देय"** का तात्पर्य विच्छेदन के समय उक्त परिसर पर देय सभी बकाया राशि व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56(2) के अधीन विलम्ब भुगतान सहित अधिभार से है;

(mm) **"व्यक्ति"** में किसी भी कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय या व्यक्तियों का समूह या संघ, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति सम्मिलित होगें;

(nn) **"परिसर"** का तात्पर्य इन विनियमों के उद्देश्य हेतु भूमि, भवन या अवसंरचना या इसके भाग या मेल जिसके संबंध में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु पृथक मीटर या मीटरिंग की व्यवस्था की गई है, से है; कृषि संयोजन के मामले में, परिसर का तात्पर्य पानी के स्रोत का स्थान, जिसके संबंध में संयोजन प्रदान किया गया है या विद्युत आपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिए जाने के इरादे से है;

(oo) **"ग्रामीण क्षेत्र"** का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों के अलावा सभी क्षेत्रों से है;

(pp) **"सर्विस लाईन"** का तात्पर्य एक विद्युत आपूर्ति लाईन, जिसके माध्यम से वितरण मेन के उसी बिंदु से एकल उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की जाती है या की जानी प्रस्तावित है, से है;

(qq) **"टैरिफ आदेश"** का तात्पर्य आयोग द्वारा समय–समय पर अनुज्ञप्तिधारी एवं उपभोक्ता हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता व टैरिफ पर जारी आदेश से है;

(rr) **"अस्थाई संयोजन/आपूर्ति"** का तात्पर्य व्यक्ति को उसकी अस्थायी जरूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक अस्थायी प्रकृति की विद्युत आपूर्ति से है, जैसे कि:

(i) आवासीय, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक परिसरों के निर्माण हेतु, जिसमें जल निकासी हेतु पम्प शामिल हैं;

(ii) त्योहारों/पारिवारिक समारोहों के दौरान प्रकाश व्यवस्था हेतु;

(iii) पी.टी. डब्ल्यू. संयोजन को छोड़कर थ्रेशर या अन्य ऐसी मशीनरी हेतु;

(iv) घुमन्तु सिनेमाघरों/थिएटरों/सर्कस/फेयर/प्रदर्शनियों/मेलों/सभाओं हेतु;

(ss) **"चोरी"** का तात्पर्य अधिनियम की धारा 135 के तहत परिभाषित विद्युत चोरी से है;

(tt) **"यूपीसीएल."** का तात्पर्य उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा इसकी उत्तराधिकारी इकाई/संस्थाएँ, जिन्हें आयोग द्वारा वितरण एवं खुदरा आपूर्ति लाइसेंस सौंपा गया है, से है;

(uu) **"शहरी क्षेत्र"** किसी भी नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद या टाऊन एरिया या नोटिफाईड शहरी क्षेत्र या किसी अन्य नगर निकायकी सीमाओं के भीतर का क्षेत्र है।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, शब्द व अभिव्यक्तियां जो यहाँ उपयोग हुए हैं तथा यहां परिभाषित नहीं किये गए हैं, किन्तु अधिनियम/ नियमों/टैरिफ आदेश में परिभाषित किये गए हैं, उनका वही अभिप्राय होगा जो कि अधिनियम/विद्युत नियमों/टैरिफ आदेश में दिया गया है या इसकी अनुपस्थिति में वह अभिप्राय होगा जो कि विद्युत आपूर्ति उद्योग में सामान्यतः समझा जाता है।

अध्याय 2: आपूर्ति का वर्गीकरण

2.1 आपूर्ति प्रणाली

(1) सामान्य परिस्थितियों में प्रतिशत विचलन की सीमा के अंतर्गत प्रत्यावर्ती धारा (एसी) की घोषित आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड एवं एसी आपूर्ति की घोषित वोल्टेज निम्न प्रकार होगी:

(a) लो टेन्शन (एलटी) –

सिंगल फेज: फेज एवं न्यूट्रल के बीच 230 वोल्ट्स

थ्री फेज: फेजेज के बीच 400 वोल्ट्स

(b) हाई टेन्शन (एचटी) – थ्री फेज: फेजेज के बीच 11 केवी तथा उससे ऊपर एवं 33 केवी तक

(c) अतिरिक्त हाई टेन्शन (ईएचटी) – थ्री फेज: फेजेज के बीच 33 केवी से ऊपर

(2) अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के साथ मेल करते हुए वितरण प्रणाली को डिजाइन, स्थापित, अनुरक्षित तथा संचालित करेगा।

(3) आपूर्ति बिंदु पर वोल्टेज पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से विनियमित वोल्टेज की उपलब्धता के अधीन किया जाएगा तथा उविनिआ (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट सीमा के भीतर रहेगा। अनुज्ञप्तिधारी घोषित वोल्टेज के संदर्भ में, उपभोक्ता हेतु आपूर्ति प्रारंभ के बिंदु पर, निम्न विनिर्दिष्ट नियत सीमा के साथ वोल्टेज बनाए रखेगा:

(a) लो टेन्शन के मामले में, ± 6%; या

(b) हाई टेन्शन के मामले में, + 6% से – 9%; या

(c) अतिरिक्त हाई टेन्शन के मामले में, + 10% से – 12.5%

(4) एसी आपूर्ति की निर्धारित वोल्टेज निम्नलिखित तालिका 2.1 के अनुसार होगी:

तालिका 2.1: अनुबन्धित भार/मांग तथा वोल्टेज के आधार पर आपूर्ति का वर्गीकरण

क्रम सं०	श्रेणी विवरण	आपूर्ति प्रणाली
(i)	4 किवा तक अनुबंधित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	230 वोल्ट– सिंगल फेज
(ii)	4 किलोवाट से ऊपर एवं 25 किवा तक के अनुबन्धित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	400 वोल्ट – थ्री फेज
(iii)	25 किवा से ऊपर तथा 75 किवा/88 केवीए तक अनुबन्धित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	400 वोल्ट पर उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एच.वी.डी.एस) के माध्यम से (एल.टी. पक्ष पर मीटरिंग)

(iv)	88 केवीए से ऊपर तथा 3000 केवीए तक अनुबन्धित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	11 के.वी.
(v)	3000 केवीए से ऊपर तथा 10000 के.वी.ए. तक अनुबन्धित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	33 के.वी. पर
(vi)	10000 केवीए से ऊपर तथा 50000 के.वी.ए. तक अनुबन्धित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	132 के.वी. पर
(vii)	50000 केवीए से ऊपर अनुबन्धित भार वाले सभी प्रतिष्ठानों हेतु	220 के.वी. पर

बशर्ते कि आवेदक को 2.1(i) को छोड़कर, तालिका 2.1 में इंगित आपूर्ति की वोल्टेज से अधिक वोल्टेज स्तर पर संयोजन लेने की अनुमति होगी।

(5) आवेदक द्वारा केडब्ल्यू या केवीए में जैसा भी मामला हो, लागू किए गए भार को केवल पूर्ण संख्याओं (1, 2, 3...) के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा एवं दशमलव संख्याओं में अनुमोदित नहीं किया जाएगा। दशमलव के रूप में भार को पूर्ण उच्चतर संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा।

उदाहरण–

1) 0.3 किलोवाट हेतु आवेदित भार को 1 किलोवाट के रूप में मंजूरी दी जाएगी।

2) 1.1 किलोवाट हेतु आवेदित भार 2 किलोवाट के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, एवं इसी प्रकार अन्य प्रकरणों में भी ।

अध्याय 3: नये संयोजनों को जारी करना

3.1 सामान्य

(1) अनुज्ञप्तिधारी अपनी वेबसाईट तथा अपने सभी कार्यालयों में उन स्थानों, जहां उनकी ओर से नए संयोजन हेतु आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, नए संयोजन प्रदान किए जाने हेतु विस्तृत प्रक्रिया तथा ऐसे आवेदनों के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित अभिलेखों की पूर्ण सूची प्रमुखता से दर्शायेगा। प्रारंभिक प्रतिभूति राशि, सर्विस लाईन प्रभारों की लागत, ओवरहेड लाईन प्रभार, ट्रांसफार्मर की लागत एवं आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले इन विनियमों में निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य कार्य प्रभार को भी प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन पत्र को ऑनलाईन के साथ–साथ हार्ड कॉपी में दाखिल करने तथा स्वीकार करने हेतु उचित व्यवस्था करेगा।

(3) एक नये उपभोक्ता को केवल सही विद्युत मीटर के साथ संयोजन प्रदान किया जाएगा जैसा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन एवं परिचालन) विनियम, 2006 में दिया गया है, जिसमें बाद के संशोधन भी सम्मिलित हैं, तथा इसे उक्त विनियमों में निर्दिष्टानुसार संस्थापित किया जाएगा।

(4) सभी नए संयोजन, समुचित इलैक्ट्रॉनिक मीटर, जिसमें अधिकतम मांग संकेतक हों, के साथ जारी किए जाएंगे।

(5) 5 एच.पी. से अधिक के मोटिव लोड वाले उपभोक्ता बीआईएस विनिर्देश के अनुरूप उपयुक्त रेटिंग के शंट कैपेसिटर स्थापित करेंगे।

(6) एलटी श्रेणी के तहत 25 किलोवाट भार तक के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु प्री–पेड मीटरिंग का विकल्प उपलब्ध होगा। नए अस्थायी एलटी संयोजन, विज्ञापन/होर्डिंग्स हेतु प्री–पेड मीटरिंग अनिवार्य होगी तथा जैसा भी आयोग द्वारा समय–समय पर तय किया जायेगा। प्री–पेड मीटर संयोजन वाले उपभोक्ताओं से कोई उपभोग प्रतिभूति नहीं ली जाएगी।

बशर्ते कि प्री–पेड मीटर के माध्यम से संयोजन के इच्छुक आवेदक उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 एवं तालिका 3.5 में प्रदान किए गए मानकों के अनुसार सर्विस लाईन चार्जेज तथा ओवरहेड लाईन चार्जेज हेतु राशि जमा करेगा।

(7) जहां नये मालिक/कब्जाधारी ने ऐसी वर्तमान संपत्ति क्रय की है/किराए पर ली है अन्यथा किसी वर्तमान संपत्ति पर विधिसंगत रूप से कब्जा कर लिया है जिसका विद्युत संयोजन विच्छेदित किया जा चुका हो तो यहां नये/भावी मालिक/कब्जाधारी का कर्तव्य होगा कि वह संपत्ति की खरीद/कब्जे से पहले यह सत्यापित करे कि पूर्व स्वामी ने वितरण अनुज्ञापी को सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया है तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है। यदि संपत्ति क्रय करने से पहले पूर्व स्वामी द्वारा ऐसा अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है एवं बकाया राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है तथा अभी भी बकाया है, तो नए/भावी मालिक/कब्जाधारी, संपत्ति की खरीद/कब्जे से पूर्व ही इस प्रमाण–पत्र हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निवेदन की प्राप्ति स्वीकार करेगा तथा या तो वह संपत्ति पर बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है, लिखित में सूचित करेगा या ऐसे आवेदन की तिथि से एक माह के भीतर का अदेयता प्रमाण–पत्र जारी करेगा। यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस समय के भीतर बकाया देय राशि की सूचना नहीं देता है या अदेयता प्रमाण–पत्र जारी नहीं करता है तो पूर्व स्वामी के बकाया देय धनराशि के आधार पर, परिक्षेत्र में नए संयोजन को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञापी को विधि के उपबन्धों के अधीन पूर्व उपभोक्ता से धनराशि वसूल करनी होगी।

(8) जहाँ कोई सम्पत्ति विधिसंगत रूप से उप विभाजित की गयी है तो पूर्व अविभाजित संपत्ति पर विद्युत के उपभोग हेतु बकाया देय धनराशि, यदि कुछ है, तो वह ऐसी उप विभाजित संपत्ति के क्षेत्र के आधार पर यथानुपातिक रूप से विभाजित की जाएगी।

ऐसे उप–विभाजित परिक्षेत्र के किसी भाग हेतु नवीन संयोजन, विधिसंगत रूप में विभाजित ऐसे परिक्षेत्र पर लागू बकाया देय धनराशि का भाग आवेदक द्वारा अदा कर दिए जाने के पश्चात ही, कर दिया जाएगा। एक अनुज्ञापी केवल इस आधार पर कि ऐसे परिक्षेत्र के अन्य भाग/भागों की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, किसी आवेदक को संयोजन हेतु इंकार नहीं करेगा, ना ही अनुज्ञापी ऐसे आवेदकों से अन्य भागों के पिछले भुगतान किए गए बिलों के अभिलेख मांगेगा।

(9) संपूर्ण परिक्षेत्र या भवन के गिराए जाने व पुनर्निर्माण के मामले में: –

(a) एल.टी. संयोजन के मामले में, विद्यमान संयोजन को सरेंडर किया जाएगा एवं मीटर व सर्विस लाईन को हटाते हुए स्थायी रूप से विच्छेदित किया जाएगा। पुराने संयोजन पर सभी देय राशि के भुगतान के पश्चात, निर्माण प्रयोजनों हेतु एक अस्थायी संयोजन लिया जाएगा। भवन/संरचना के पुनः निर्मित/पूर्ण होने के पश्चात उपभोक्ता पुनः निर्मित/पूर्ण भवन/संरचना के लिए एक नए संयोजन हेतु आवेदन कर सकता है।

(b) एचटी/ईएचटी संयोजन के मामले में, उपभोक्ता विद्यमान संयोजन एवं आपूर्ति अनुबन्ध के निलंबन हेतु आवेदन करेगा, जिसमें ऐसे निलंबन की अवधि 18 महीने से अधिक इंगित न हो, उपभोक्ता को पुनर्निर्माण के प्रयोजन हेतु अस्थायी संयोजन के लिये भी आवेदन करना होगा। विद्यमान एचटी/ईएचटी लाईन को हटाया नहीं जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान एचटी/ईएचटी लाईन का उपयोग उचित मीटर संस्थापित करते हुए अस्थायी संयोजन प्रदान करने हेतु कर सकता है। पुर्ननिर्माण कर लिये जाने पर उपभोक्ता को अस्थायी संयोजन विच्छेदित करना होगा तथा निलंबित पुराने संयोजन का पुनःविद्युतीकरण करने हेतु आवेदन करना होगा। पुराने संयोजन का पुनःविद्युतीकरण, किसी भी प्रकार के पूर्व बकाया देय धनराशि के भुगतान करने पर ही किया जायेगा। यदि उपभोक्ता भार बढ़ाने/घटाने की इच्छा रखता है, तो विनियम 4.1 के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

परन्तु एचटी/ईएचटी संयोजन के ऐसे निलंबन अवधि के दौरान, एक उपभोक्ता को निलंबित एचटी/ईएचटी संयोजन के स्वीकृत भार के सापेक्ष स्थिर/मांग प्रभार नहीं लिया जाएगा, उसके स्थान पर इस अवधि के दौरान मौजूदा टैरिफ आदेश के अनुसार स्वीकृत अस्थायी भार हेतु फिक्स्ड/मांग प्रभार ही लागू होंगे।

बशर्ते कि निलंबन के 18 महीने से अधिक होने के पश्चात, परिक्षेत्र के गिराए जाने से पूर्व मंजूर किए गए भार के सापेक्ष, फिक्स्ड चार्जेज मौजूदा टैरिफ आदेश के अनुसार लागू होंगे।

(10) नए संयोजन हेतु कोई भी आवेदन, अनुज्ञापी द्वारा "तकनीकी रूप से अव्यवहारिक होने एवं सामग्री अभाव" के आधार पर वापस नहीं किया जाएगा।

(11) एक नए संयोजन हेतु आवेदक यह वचन देगा कि वह उविनिआ (वितरण कोड) विनियम, 2018, उविनिआ (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 के प्रासंगिक एवं लागू प्रावधानों तथा समय–समय पर संशोधित अन्य सभी नियमों/विनियमों का पालन करेगा।

(12) अनुज्ञप्तिधारी सभी आवेदनों एवं संबंधित दस्तावेजों का एक स्थायी रिकॉर्ड हार्ड कॉपी के साथ–साथ सॉफ्ट कॉपी में भी रखेगा, जैसा भी मामला हो। प्रत्येक आवेदन को एक अनन्य आवेदन

संख्या (पहचान हेतु) क्रमबद्ध रूप से उस क्रम में आवंटित की जाएगी जिसमें उसे प्राप्त किया गया था। विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु अलग–अलग फाइलें/रजिस्टर/डाटाबेस बनाए रखा जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक आवेदन पत्र के निस्तारण की चरण–वार स्थिति के साथ फाईल/रजिस्टर/डाटाबेस को अपडेट रखेगा।

(13) एक परिसर के भीतर एक ही श्रेणी के अन्तर्गत आवेदक/उपभोक्ता के नाम पर एक से अधिक संयोजन नहीं होंगे।

(14) केवल, 5 बीएचपी से ऊपर तथा 20 बीएचपी तक के मोटिव भार हेतु प्राइवेट ट्यूब वेल्स (पीटीडब्ल्यू) संयोजन जारी किए जाएंगे।

(15) इन विनियमों में निर्धारित समय–सीमा के भीतर नए संयोजन जारी करने हेतु आवश्यक सामग्री जैसे केबल, मीटर आदि की समय से उपलब्धता हेतु अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी होगा।

(16) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से असंतुष्ट कोई भी उपभोक्ता/आवेदक, उत्तराखण्ड वितरण एवं खुदरा आपूर्ति लाइसेंस के अनुच्छेद 23.4 के अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण प्रक्रिया के अनुसार, शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

(17) अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर चक्रवात, बाढ़, तूफान या अन्य घटनाओं से संबंधित समस्याओं के कारण संयोजन जारी करने या भार बढ़ाने/कम करने में देरी, यदि कोई हो, के लिये अनुज्ञप्तिधारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

यह कि अनुज्ञप्तिधारी को नये संयोजन जारी करने, भार बढ़ाने/कम करने हेतु विनियमों में आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा से परे, वैधानिक मंजूरी, राईट ऑफ वे तथा भूमि अधिग्रहण के कारण देरी का पूर्वाभास होता है तो वह प्रकरणों के आधार पर देरी के कारणों के विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आयोग, विवेकपूर्ण जांच के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को आवश्यक आदेश/निर्देश जारी करेगा।

3.2 अस्थायी संयोजन

3.2.1 अस्थायी संयोजन प्रदान करने हेतु शर्तें

(1) एक समय में अधिकतम 12 महीने की अवधि हेतु अस्थायी संयोजन प्रदान किया जाएगा, जिसे आवश्यकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस तरह के संयोजनों का उचित रिकॉर्ड रखा जाएगा तथा विस्तार के समय नए कार्यालय ज्ञाप जारी किए जाएंगे।

बशर्ते कि निर्माण प्रयोजन हेतु अनुबन्धित भार हेतु 12 महीने की उपरोक्त सीमाएं लागू नहीं होंगी।

(2) उपभोक्ता के स्वामित्व वाले परिसर में विद्यमान भवन के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण हेतु एक स्थायी संयोजन के माध्यम से विद्युत उपयोग, विद्युत का अनधिकृत उपयोग नहीं माना जाएगा, जब तक निर्माण किए जा रहे भवन/आश्रयों का इच्छित उद्देश्य/उपयोग अनुबन्धित भार/मांग की सीमा के भीतर संयोजन की स्वीकृत श्रेणी में समान/स्वीकार्य है।

(3) अस्थायी संयोजन की अनुमति, आवेदक के हक में स्थायी संयोजन के दावे का अधिकार नहीं देती है। यह अधिनियम व विनियमों के उपबंधों के अनुसार शासित होगा।

(4) एक आवेदक जो निर्माण कार्यों हेतु अस्थायी संयोजन की मांग करता है तथा अस्थायी संयोजन की समाप्ति पर या इस तरह के निर्माण के पूरा होने के बाद 75 किलोवॉट तक एक स्थायी संयोजन की इच्छा रखता है, वह अनुलग्नक–I (अस्थायी संयोजन हेतु आवेदन) में दिए गए आवेदन पत्र में के.डब्ल्यू. या के.वी.ए. में संभावित भार के साथ घोषित करेगा।

(5) आवेदक के अनुरोध पर 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत, अनुज्ञप्तिधारी एक कार्य दिवस के भीतर अस्थायी संयोजन प्रदान करेगा, जहां:

(a) आवेदित भार 10 किलोवाट तक हो तथा;

(b) वितरण मेन परिसर के 40 मीटर के दायरे में हो, तथा वितरण नेटवर्क में वृद्धि के साथ–साथ ओवरहेड लाईन, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि की आवश्यकता नहीं हो।

ऐसे अस्थायी संयोजन हेतु आवेदक, अस्थायी संयोजन हेतु लागू प्रभार के अतिरिक्त निम्न तालिका 3.1 के अनुसार तत्काल प्रभार (गैर–वापसी योग्य एवं गैर–समायोज्य) का भुगतान करेगा:

तालिका 3.1: अस्थायी संयोजन हेतु तत्काल प्रभार

अनुबन्धित भार	तत्काल प्रभार रू० में
1 किलोवाट से 4 किलोवाट	1000
4 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक	3000

(6) अस्थायी संयोजन हेतु स्थिर प्रभार, लागू टैरिफ ऑर्डर में परिभाषित किए गए शुल्कों के आनुपातिक प्रतिदिन के आधार पर, वसूला जाएगा।

3.2.2 अस्थायी संयोजन हेतु आवेदन

(1) आवेदक इन विनियमों के अनुलग्नक–I में निर्दिष्ट प्रारूप में अस्थायी आपूर्ति हेतु गैर–वापसी योग्य पंजीकरण–सह–प्रक्रमण प्रभार के साथ अनुरोध करेगा:

तालिका 3.2: अस्थायी संयोजन हेतु पंजीकरण–सह–प्रक्रमण प्रभार

एलटी	एचटी	ईएचटी
रू० 1000/–	रू० 20,000/–	रू० 30,000/–

यद्यपि, पंजीकरण–सह–प्रकमण प्रभार की यह राशि, जमा करते समय लागू देय करों में कटौती के बाद कार्यों की अनुमानित लागत के सापेक्ष समायोजित की जाएगी।

(2) अनुज्ञप्तिधारी के उपखण्ड कार्यालय, या अनुज्ञप्तिधारी के किसी भी अन्य कार्यालय से निर्दिष्ट आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है या अनुज्ञप्तिधारी की आधिकारिक वेबसाइट से

डाऊनलोड किया जा सकता है, अथवा फोटोकॉपी भी किया जा सकता है। विधिवत भरे हुए फॉर्म को अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित उपखण्ड/खण्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

(3) आवेदक, अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर एक अस्थायी संयोजन हेतु गैर–वापसी योग्य पंजीकरण–सह–प्रक्रमण प्रभार का भुगतान करके ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। तत्काल सेवा के अन्तर्गत अस्थायी संयोजन हेतु ऑनलाईन आवेदन सुविधा लागू नहीं होगी।

(4) आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों का विवरण निम्नवत् है:

(a) यदि आवेदक एक व्यक्ति है, तो निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रतिलिपि पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

(i) आधार कार्ड

(ii) निर्वाचन पहचान पत्र

(iii) पासपोर्ट

(iv) ड्राइविंग लाइसेंस

(v) राशन कार्ड

(vi) सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

(vii) ग्राम प्रधान या किसी ग्राम स्तर के सरकारी कार्मिक जैसे पटवारी/लेखपाल/प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी इत्यादि द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(b) यदि आवेदक एक कंपनी, फर्म, न्यास, स्कूल/कॉलेज, सरकारी विभाग आदि है, तो संबंधित कंपनी/संस्थान के निदेशक, प्रोपराइटर, पार्टनर, शाखा प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियंता जैसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रासंगिक संकल्प/प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन किए जाएंगे। ऐसा व्यक्ति उपरोक्त (a) में बताए गए किसी भी पहचान प्रमाण की प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

(c) यदि निर्माण उद्देश्यों हेतु अस्थायी संयोजन की आवश्यकता होती है तो स्वामित्व प्रमाण या स्वामी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) यदि स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व वाले परिसर/स्थान पर आपूर्ति की आवश्यकता है तो स्थानीय प्राधिकरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी परमिट/अनापत्ति प्रमाण पत्र को संयोजन की सक्रियता के बाद वापस ले लिया जाता है, तो आपूर्ति को तत्काल विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा परमिट/अनापत्ति प्रमाण पत्र के बहाल होने के बाद ही इसे फिर से जोड़ा जाएगा।

3.2.3 अस्थायी संयोजन के आवेदन पर कार्यवाही

(1) हार्ड कॉपी में विधिवत भरा हुआ आवेदन प्राप्त होने पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्र की जाँच करेंगे तथा आवेदन पत्र में पायी गई कमियों, यदि कोई हों, को आवेदक से तुरंत ठीक करवा लिया जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को दिनांकित रसीद जारी करेगा।

(2) ऑनलाईन आवेदन के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत अधिकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र की जाँच करेंगे तथा यदि कोई कमी पायी जाती है, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक को ई–मेल एवं एसएमएस के माध्यम से आवेदन पत्र भरने के 2 कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगा। तत्पश्चात, उपभोक्ता अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर कमी को दूर करेगा, जिसमें विफल रहने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। विधिवत भरे हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी तुरंत ऑनलाईन प्राप्ति रसीद जारी करेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्या परिसर की कोई बकाया राशि है, तथा यदि ऐसा है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी बकाया राशि का पूरा विवरण देते हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल होने पर उसका आवेदन निरस्त माना जाएगा तथा आवेदक को लिखित रूप में प्राप्ति रसीद के तहत सूचित किया जाएगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी आवेदन प्राप्ति के 5 दिवसों के भीतर एलटी व 15 दिवसों के भीतर एचटी/ईएचटी संयोजन की तकनीकी संभाव्यता की जांच करेगा एवं तत्पश्चात जैसा कि केविप्रा सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 31 के अधीन अपेक्षित है, अनुज्ञप्तिधारी आवेदक के संस्थापन का, आवेदन प्राप्ति की तिथि से 5 दिवसों के भीतर एलटी व 15 दिवसों के भीतर एचटी/ईएचटी संयोजन का आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में निरीक्षण व परीक्षण करेगा। संस्थापन का परीक्षण केविप्रा सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 33 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा तथा निरीक्षण अधिकारी जैसा कि उससे केविप्रा सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 31 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त परीक्षण के परिणामों का रिकॉर्ड **अनुलग्नक–I (A)** में दिए गए प्रपत्र में रखेगा।

परन्तु, यदि अस्थायी आपूर्ति की ऐसे परिक्षेत्र/स्थान में आवश्यकता होती है जहां 100 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की संभावना है, तो आवेदक अधिनियम की धारा 54 के प्रावधानों का पालन करेगा।

(5) यदि अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने पर कोई त्रुटि मिलती है, जैसे कि संस्थापना का पूरा न होना या कंडक्टर के अनावृत्त सिरों को या जोड़ों को इन्सुलेटिंग टेप से पूरी तरह ढका न होना या वायरिंग का इस प्रकार किया जाना कि वह जीवन/सम्पत्ति हेतु हानिकारक हो, तो वह **अनुलग्नक–I (A)** में दिए गए प्रपत्र में उसी समय निर्धारित रसीद के साथ आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(6) आवेदक 15 दिनों के भीतर सभी त्रुटियों को दूर करेगा तथा प्राप्ति स्वीकृति के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी कमियों को दूर करने में असफल रहता है या त्रुटियों को दूर किये जाने के सम्बन्ध में अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन निरस्त माना जायेगा तथा आवेदक को फिर से आवेदन करना होगा।

(7) त्रुटियों को दूर किए जाने के सम्बन्ध में आवेदक से सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सूचना प्राप्ति के पांच दिवस के भीतर संस्थापन का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा, यदि पहले बतायी गयी त्रुटियां तब भी बनी हों तो अनुज्ञप्तिधारी उन्हें **अनुलग्नक–I (A)** में दिए गए प्रपत्र में फिर से रिकॉर्ड करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को देगा। इस स्थिति में आवेदन व्यपगत हो जाएगा व आवेदक को प्राप्ति स्वीकृति के अधीन लिखित में इसकी सूचना दे दी जायेगी। यदि आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के इस कृत्य से व्यथित हो तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है, जिसका अधिमत इस सम्बन्ध में अतिंम तथा बाध्यकारक होगा।

(8) यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है या त्रुटियों को दूर कर दिया गया है, तथा कोई देय राशि बकाया नहीं है या उसका भुगतान कर दिया गया है तो अनुज्ञप्तिधारी तत्काल भार स्वीकृत करेगा। इसके अलावा, यदि आवेदन की तिथि से 15 दिवसों के भीतर आवेदक को बकाया राशि हेतु कोई त्रुटि नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदित भार स्वीकृत कर लिया गया समझा जायेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इन आधारों पर संयोजन प्रदान करने से मना नहीं करेगा।

(9) भार की मंजूरी के बाद, अनुज्ञप्तिधारी निम्न मद दर्शित करते हुए एक मांग नोट जारी करेगा : –

(a) **उपभोग प्रतिभूतिः**

आवेदक नीचे दी गई तालिका 3.3(A) के अनुसार उपभोग प्रतिभूति की राशि जमा करेगाः

तालिका 3.3 (A): अस्थाई संयोजन हेतु उपभोग प्रतिभूति
(रुपये/किलोवाट/माह)

घरेलू	अघरेलू	निर्माण
2000	4000	4000

उपरोक्त प्रतिभूति 1 माह हेतु ली जाएगी जहां संयोजन 1 माह तक की अवधि हेतु आवेदित गया है तथा 2 माह हेतु जहां संयोजन 1 माह से अधिक की अवधि हेतु आवेदित किया गया है।

परन्तु, के.वी.ए. में अनुबन्धित भार वाले उपभोक्ताओं हेतु उपरोक्त तालिका में उल्लिखित प्रभारों की गणना 0.85 के पावर फैक्टर पर विचार करके रुपये/किलोवाट/माह के आधार पर की जाएगी।

किन्तु, प्री–पेड मीटर आवेदकों को कोई उपभोग प्रतिभूति जमा नहीं करनी होगी।

(b) **सामग्री प्रतिभूतिः**

सामग्री प्रतिभूति की राशि (सर्विस लाईन, ओवरहेड लाईन, मीटर, अन्य उपकरण, आदि के लिये) भार के अनुमोदन की तिथि से एल.टी. हेतु 5 दिन व एच.टी./ई.एच.टी हेतु 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किए गए कार्यों की आगणित लागत पर आधारित होगी।

परन्तु, अस्थायी संयोजन हेतु 10 किलोवाट तक व विद्यमान वितरण मेन से 40 मीटर के भीतर, नीचे दी गई तालिका 3.3 (B) के अनुसार सामग्री प्रतिभूति लागू होगीः

तालिका 3.3 (B): 10 किलोवाट तक के अस्थायी संयोजन हेतु सामग्री प्रतिभूति

क्रम सं०	अनुबन्धित भार	सामग्री प्रतिभूति (रुपये में)
1.	4 किलोवाट तक	5000/—
2.	4 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक	10,000/—

(10) आवेदक मांग नोट की प्राप्ति के पांच दिवस के भीतर मांग नोट के अनुसार भुगतान करेगा। ऐसा न करने पर उसकी स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।

(11) मांग नोट के अनुसार लागू प्रभार प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी कार्यों को सम्पादित करेगा एवं एल. टी. संयोजन हेतु उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (15) व उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (16) तथा एच.टी./ई.एच.टी संयोजन हेतु उप–विनियम 3.4.3 के क्लॉज (10) व उप–विनियम 3.4.3 के क्लॉज (11) में निर्धारित समय सीमा के भीतर संयोजन को ऊर्जीकृत करेगा।

(12) अस्थायी संयोजन की अवधि के विस्तार हेतु, उपभोक्ता अस्थायी संयोजन की समाप्ति की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले अनुज्ञप्तिधारी को लिखित रूप में आवेदन करेगा।

(13) आवेदक पूर्व में स्वीकृत अस्थाई संयोजन की अनुमोदित तिथि स्थगित करवा सकता है, किन्तु उक्त स्थगन की अवधि मूल अनुमोदित तिथि से 1 माह से अधिक नहीं होगी। इस हेतु उसे अस्थायी संयोजन की पूर्व अनुमोदित तिथि से कम से कम 5 दिन पहले अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करना होगा। यद्यपि, 1 माह से आगे कोई स्थगन स्वीकार्य नहीं होगा। यदि इस तरह की स्थगित अवधि के भीतर अस्थायी संयोजन का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो आवेदन निरस्त हो जाएगा तथा अस्थायी संयोजन के सापेक्ष किए गए किसी भी भुगतान को विनियम 3.7 के अनुसार निस्तारित किया जाएगा।

(14) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अस्थाई संयोजन की समाप्ति पर शेष देय राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के पश्चात उपभोग प्रतिभूति वापस कर दी जाएगी। इसी प्रकार, सामग्री की किसी भी क्षति (जैसे मीटर, ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर आदि) व विखण्डन प्रभार, यदि लागू हो, को घटाने के बाद सामग्री प्रतिभूति भी वापस कर दी जाएगी।

बशर्ते कि विखण्डन प्रभार सामग्री प्रतिभूति के 10% से अधिक न हो।

इन प्रतिभूतियों की वापसी विच्छेदन की तिथि से 15 दिवसों के भीतर की जाएगी, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्तिधारी को बैंक दर के अनुसार ब्याज भी देना होगा। उक्त अवधि के भीतर प्रतिभूति की वापसी में विफल होने पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को कार्य निष्पादन के मानक, विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।

3.2.4 आवेदन पर कार्यवाही जहां अस्थायी संयोजन को स्थायी संयोजन में परिवर्तित किया जाना वांछित है :–

(1) निर्माण प्रयोजनों के लिए 75 किलोवाट तक के भार हेतु अस्थायी संयोजन की मांग करने वाले आवेदकों के लिए तथा ऐसे अस्थायी संयोजन की समाप्ति पर अथवा ऐसे निर्माण के पूर्ण होने के बाद, एक स्थायी संयोजन प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी :–

(a) इस तरह के आवेदन प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी एक मार्ग सर्वेक्षण करेगा एवं तदनुसार घोषित भावी भार (75 किलोवाट तक) के आधार पर अस्थायी संयोजन जारी करने हेतु एक आगणन तैयार कर, आवेदक को अपेक्षित प्रभार जमा करने हेतु सूचित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी को उप–विनियम 3.2.3 के क्लॉज (9) के अनुसार उपभोग प्रतिभूति एवं सामग्री प्रतिभूति सहित मांग नोट के साथ विस्तृत आगणन की एक प्रति प्रदान करनी होगी। उक्त प्रभारों के विपरीत जमा प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी तदनुसार अस्थायी संयोजन जारी करेगा।

यह कि अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे अस्थायी संयोजन हेतु लाईन का निर्माण करते समय, केविप्रा सुरक्षा विनियमों व केविप्रा/आयोग के प्रासंगिक विनियम के अनुसार एक सुरक्षित, मजबूत तथा विश्वसनीय स्थायी संयोजन जारी करने हेतु आवश्यक सभी पहलुओं को सुनिश्चित करेगा।

(b) आवेदक/उपभोक्ता स्थायी संयोजन जारी करने हेतु ऐसे अस्थाई संयोजन की समाप्ति से 15 दिन पहले अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा तथा इन विनियमों के उप–विनियम 3.3.2 के अनुसार आवेदन करेगा। इस तरह के आवेदन पर इन विनियमों के उप–विनियम 3.3.3 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(c) नए स्थायी एल.टी. संयोजन जारी करने से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित को समायोजित करने के बाद सामग्री प्रतिभूति को वापस/वसूल करेगाः

(i) इन विनियमों के उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 तक निर्दिष्ट प्रभार के अनुसार स्थायी संयोजन जारी करने हेतु सर्विस लाईन, ओवरहेड लाईन, सबस्टेशन तथा प्रारंभिक प्रतिभूति हेतु नियामक प्रभार।

(ii) सामग्री की कोई क्षति (जैसे मीटर, ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर आदि)।

परन्तु, प्रतिभूति की वापसी, यदि कोई हो, तो नियत् समायोजन के बाद अस्थायी संयोजन के विच्छेदन की तिथि से 15 दिवसों के भीतर की जाएगी, जिसमें विफल होने पर अनुज्ञप्तिधारी को बैंक दर के अनुसार ब्याज देय होगा। उक्त अवधि के भीतर प्रतिभूतियों की वापसी में अनुज्ञप्तिधारी की ओर से विफलता के मामले में, ऐसे उपभोक्ताओं को कार्य निष्पादन के मानक, विनियमों में निहित प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति भी देय होगी।

(d) ऐसे मामलों में कोई विखण्डन प्रभार लागू नहीं होगा।

3.3 एल.टी. संयोजन

3.3.1 एल.टी. संयोजन स्वीकृति की शर्तें:

विनियम 3.1 में निर्दिष्ट नए संयोजन जारी करने के लिए सामान्य शर्तों के अतिरिक्त एल.टी. संयोजन देने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(1) 4 किलोवाट तक भार के लिए आवेदन के मामले में:

(a) **यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर के अंदर है:**

अनुज्ञप्तिधारी सर्विस लाईन को विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से उपभोक्ता के परिसर तक जोड़ेगा। आवेदक इस तरह के संयोजन को निर्गत कराने हेतु उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 के अनुसार फिक्स्ड सर्विस लाईन चार्जेज का भुगतान करेगा। इस मामले में उपभोक्ता द्वारा कोई ओवरहेड लाईन शुल्क देय नहीं होगा।

(b) **यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान 3 फेज एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक की दूरी पर है:**

अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वयं के व्यय पर 3 फेज 5 वायर एल.टी. वितरण मेन का निर्माण कर, विद्यमान 3 फेज एल.टी. वितरण मेन का विस्तार करेगा, हालांकि, आवेदक इस तरह के संयोजन को निर्गत करने हेतु आवश्यक लाईन की लम्बाई के आधार पर, फिक्स्ड सर्विस लाईन चार्जेज के अतिरिक्त एल.टी. वितरण मेन के नॉर्मेटिव चार्जेज का भुगतान, उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 के अनुसार करेगा, पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों/गांवों को छोड़कर, जिनकी जनगणना 2011 के अनुसार 3000 से कम आबादी है, इन गांवों में अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त थ्री फेज एल.टी. वितरण मेन का विस्तार, सिंगल फेज एल.टी. वितरण मेन का निर्माण कर ऐसे संयोजन अनुमन्य वोल्टेज वैरिएशन का पालन करते हुए निर्गत कर सकता है

(c) **यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान सिंगल फेज या 2 फेज वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक की दूरी पर है:**

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्यमान एल.टी. वितरण मेन का विस्तार सिंगल फेज या 2 फेज एल.टी. वितरण मेन का निर्माण करके किया जाएगा एवं इस तरह के संयोजन को निर्गत करने हेतु आवश्यक लाईन की लम्बाई के आधार पर, आवेदक फिक्स्ड सर्विस लाईन

चार्जेज के अतिरिक्त एल.टी. वितरण मेन के नॉर्मेटिव चार्जेज का भुगतान, उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 के अनुसार करेगा।

(2) 4 किलोवाट से ऊपर तथा 25 किलोवाट तक के भार के आवेदन के मामले में

(a) **यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान सिंगल फेज या 2 फेज एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर के अंदर है**

अनुज्ञप्तिधारी ऐसे संयोजन को निर्गत करने हेतु विद्यमान एल.टी. वितरण मेन को 3 फेज 5 वायर एल.टी. वितरण मेन द्वारा अपनी लागत पर आवश्यक परिवर्तन करेगा। ऐसे मामलों में, आवेदक उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.5 के अनुसार केवल निर्धारित सर्विस लाईन चार्जेज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जेज का भुगतान करेगा।

(b) **यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान सिंगल फेज या 2 फेज एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक की दूरी पर है:**

अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान सिंगल फेज या 2 फेज एलटी वितरण मेन का 3 फेज 5 वायर एल.टी. वितरण मेन पर अपनी लागत पर रूपांतरण करेगा। इसके अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विद्यमानवितरण मेन से अलग 3 फेज 5 वायर एल.टी. वितरण मेन का निर्माण करके विस्तार भी करेगा तथा आवेदक इस तरह के संयोजन को निर्गत करने हेतु आवश्यक लाईन की लम्बाई के आधार पर निर्धारित सर्विस लाईन चार्जेज के अतिरिक्त, उप विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.5 के अनुसार नॉर्मेटिव चार्जेज का भुगतान करेगा।

(c) **यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान 3 फेज एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक की दूरी पर है:**

यदि अनुज्ञप्तिधारी का विद्यमान 3 फेज एल.टी. वितरण मेन 40 मीटर से अधिक की दूरी पर है, तो आवेदक विद्यमान 3 फेज एल.टी. वितरण मेन तक लाईन की लम्बाई हेतु उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.5 के अनुसार नॉर्मेटिव चार्जेज का भुगतान करेगा।

(3) **25 किलोवाट से ऊपर के भार के लिए आवेदन के मामले में, संयोजन केवल एच.वी.डी.एस. के माध्यम से जारी किया जाएगा तथा आवेदक को उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.6 के अनुसार नॉर्मेटिव चार्जेज का भुगतान करना होगा।**

बशर्ते कि जहां आवेदन 25 किलोवाट से अधिक तथा 75 किलोवाट तक के भार के लिए हो तथा एच.वी.डी.एस. के माध्यम से संयोजन जारी करना विद्यमान भूमिगत नेटवर्क के कारण संभव नहीं है, ऐसे मामलों में वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने विद्यमान एल.टी. भूमिगत नेटवर्क के माध्यम से इस तरह के संयोजन निर्गत कर सकता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी उप–स्टेशन लागत, वितरण मेन से उपभोक्ता के परिसर तक भूमिगत एल.टी. प्रणाली की लागत, तथा सर्विस लाईन चार्जेज व प्रारंभिक

प्रतिभूति राशि के साथ उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.6 के अनुसार वसूल करेगा।

बशर्ते कि उपभोक्ता एच.वी.डी.एस. के माध्यम से 25 किलोवाट तक के भार के लिए संयोजन लेने की इच्छा रखता हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, इस तरह के संयोजन को उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.5 के अनुसार उप–स्टेशन लागत तथा सर्विस लाईन चार्जेज व प्रारंभिक प्रतिभूति राशि के साथ तथा उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.6 के अनुसार 11 केवी लाईन के सापेक्ष शुल्क वसूल करते हुये, निर्गत कर सकता है।

(4) पी.टी.डब्ल्यू. संयोजन के मामले में, यदि पी.टी.डब्ल्यू. संयोजन निर्गत करने हेतु वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना सहित एल.टी. वितरण मेन तथा / या एच.टी. मेन का विस्तार आवश्यक है, तो आवेदक को इस तरह के संयोजन निर्गत करने हेतु आवश्यक लाईन की लम्बाई के आधार पर निर्धारित सर्विस लाईन चार्जेज के अतिरिक्त उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.7 के अनुसार नॉर्मेटिव चार्जेज का भुगतान करना होगा।

(5) एल.टी. पर कोई एकल प्वाइंट थोक आपूर्ति संयोजन जारी नहीं किया जाएगा।

3.3.2 नए एल.टी. संयोजन के लिए आवेदन

(1) नया संयोजन प्राप्त करने का इच्छुक भावी उपभोक्ता इस उद्देश्य के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुलग्नक–II में दिए गए निर्दिष्ट आवेदन पत्र पर एक आवेदन करेगा।

(2) निर्दिष्ट आवेदन पत्र अनुज्ञप्तिधारी के उप–खण्ड कार्यालय या अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है या उसे अनुज्ञप्तिधारी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउन लोड किया जा सकता है अथवा फोटोकॉपी भी की जा सकती है। विधिवत भरे हुए फॉर्म को अनुज्ञप्तिधारी के संबंधित उप–खण्ड/खण्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

(3) आवेदक अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर नए संयोजन के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकता है तथा ऑनलाईन आवेदन के 2 कार्य दिवसों के भीतर, यदि अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी कोई कमी पाता है, तो उसे ई–मेल तथा एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदक को सूचित किया जाएगा। तत्पश्चात, उपभोक्ता अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर कमी को दूर करेगा, इसमें विफल होने पर आवेदन निरस्त समझा जाएगा।

(4) आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:

(a) **स्वामित्व या कब्जाधारी होने का प्रमाण**

(i) आवेदक, परिसर जिसके लिए संयोजन की आवश्यकता है, के स्वामित्व या कब्जाधारी होने के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्वःहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत करेगाः

(a) बिक्री विलेख या पट्टा विलेख (आवेदन की तिथि से तीन महीने पहले जारी की गई नवीनतम किराया रसीद के साथ) या खसरा या खतौनी

(खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम शामिल होना इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा)।

(b) पंजीकृत मुख्तयारनामा।

(c) नगर कर रसीद या डिमांड नोटिस या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

(d) आवंटन पत्र।

(e) एक आवेदक जो एक मालिक नहीं है, लेकिन परिसर का एक कब्जाधारी है, उक्त (a) से (d) में सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी भी एक को परिसर के मालिक के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि आवेदक उपरोक्त (a) से (e) में सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो आवेदक से उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से तालिका 3.6 के अनुसार तीनगुना धरोहर राशि चार्ज की जाएगी। परिसर का मालिक, यदि आवेदक से अलग है, तो ऐसे संयोजन के विरूद्ध किसी भी बकाया के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आगे यह कि जहाँ आवेदक उपरोक्त (a) से (e) में सूचीबद्ध किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असमर्थ है तथा जिला मजिस्ट्रेट/सरकारी प्राधिकारियों/सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र में परिसर आता है, द्वारा परिसर पर आपत्ति जताई गई है, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदक को नए संयोजन जारी नहीं करेगा ।

आगे यह भी कि जहां अदालत ने आवेदक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में परिसर के स्वामित्व या कब्जे का फैसला किया है, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदक को नए संयोजन जारी नहीं करेगा।

(b) **सांविधिक अनुमतियाँ/पंजीकरण**

(i) किसी भी कानून/वैधानिकता के तहत आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग निदेशक आदि की मंजूरी/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का प्रमाण।

(ii) साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख तथा साझेदारों की सूची उनके प्रमाणित पते के साथ।

(iii) लिमिटेड कंपनी के मामले में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।

(c) **पहचान प्रमाण**

(i) यदि आवेदक एक व्यक्ति है, तो निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति पहचान प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

(a) आधार कार्ड

(b) निर्वाचन पहचान पत्र

(c) पासपोर्ट

(d) ड्राइविंग लाइसेंस

(e) राशन कार्ड की प्रति

(f) सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

(ii) यदि आवेदक एक कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, स्कूल/कॉलेज, सरकारी विभाग आदि है, तो संबंधित कंपनी/संस्थान के निदेशक, प्रोपराइटर, पार्टनर, शाखा प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियंता जैसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रासंगिक संकल्प/प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन किए जाएंगे। ऐसा व्यक्ति उपरोक्त (i) में बताए गए किसी भी पहचान प्रमाण की प्रति भी प्रस्तुत करेगा।

(d) **वचनबद्धता**

अनुलग्नक–II के परिशिष्ट में दिए गए प्रारूप में एक वचनबद्धता यह है कि परिसर में वायरिंग तथा अन्य विद्युत कार्य लागू अधिनियम/नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं।

3.3.3 एल.टी. संयोजन के लिए आवेदन पर कार्यवाही:

(1) विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी का प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्र तथा कमियों की जांच करेगा, यदि आवेदन पत्र में कोई कमी देखी जाय तो आवेदनकर्ता से तुरंत ठीक करा ली जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी आवेदन पत्र तथा पावती फॉर्म में एक अनन्य आवेदन संख्या/पंजीकरण संख्या डालकर आवेदन को पंजीकृत करेगा तथा उसके बाद तिथि अंकित कर आवेदक को उसकी पावती जारी करेगा।

(2) ऑनलाईन आवेदन के मामले में, अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र की जांच करेगा तथा यदि आवेदन पत्र में कोई कमी पायी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी, आवेदक को ई–मेल तथा एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदन पत्र भरने के 2 कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगा। इसके बाद उपभोक्ता अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर कमी को दूर करेगा, इसमें विफल होने पर आवेदन निरस्त समझा जाएगा। विधिवत भरे हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी तुरंत ऑनलाईन पावती जारी करेगा।

(3) पावती जारी करने के बाद, अनुज्ञप्तिधारी यह पता लगाएगा कि क्या परिसर का कोई बकाया है, तथा यदि ऐसा है, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी बकाया राशि का पूरा विवरण देते हुए

आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर एक मांग पत्र जारी करेगा। आवेदक को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि जमा करने हेतु कहा जायेगा, इसमें विफल होने पर आवेदन निरस्त समझा जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार लिखित रूप में पावती के तहत सूचित कर दिया जाएगा।

(4) जैसा कि केविप्रा सुरक्षा विनियमों के विनियम 31 के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित है, आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि से 5 दिवसों के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, अनुज्ञापी आवेदक के संस्थापन का निरीक्षण व परीक्षण करेगा। संस्थापन का परीक्षण केविप्रा सुरक्षा विनियमों के विनियम 33 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा तथा निरीक्षक अधिकारी, जैसा कि उससे केविप्रा सुरक्षा विनियमों के विनियम 31 के अधीन अपेक्षित है, प्राप्त परीक्षण के परिणामों का रिकॉर्ड अनुलग्नक–I(A) में दिए गए प्रपत्र में रखेगा। अनुज्ञप्तिधारी वितरण मेन अर्थात् ओवरहेड लाईन के विस्तार तथा अन्य संबंधित कार्यों की आवश्यकता भी अभिनिश्चित करेगा।

यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी, मार्ग सर्वेक्षण संचालित करेगा तथा आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 10 दिवसों के भीतर विनियमों के अनुरूप कार्यों का आंगणन तैयार करेगा। अनुज्ञप्तिधारी मांग पत्र के साथ विस्तृत आंगणन की एक प्रति प्रदान करेगा।

(5) यदि अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण पर कोई त्रुटि मिलती है, जैसे कि संस्थापन का पूरा न होना या कंडक्टर के अनावृत्त सिरों को या जोड़ों को इंसुलेटिंग टेप से पूरी तरह ढका न होना या वायरिंग का इस प्रकार किया जाना कि वह जीवन/संपत्ति आदि के लिए खतरनाक हो, तो वह **अनुलग्नक–I (A)** में दिए गए प्रपत्र में उसी समय रसीद के साथ आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(6) यदि आवेदन पत्र में इसका उल्लेख नहीं है तो अनुज्ञप्तिधारी, सम्पत्ति के समीप भूमि चिन्ह के साथ तथा जहाँ से सेवा संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है वहां से खम्भे की संख्या सहित परिक्षेत्र का सही तथा पूरा पता या जीपीएस को–ऑर्डिनेट्स (जहाँ भी उपलब्ध हो) भी रिकॉर्ड करेगा।

(7) आवेदक 15 दिवसों के भीतर सभी त्रुटियों को दूर करेगा तथा प्राप्ति स्वीकृति के अधीन अनुज्ञापी को लिखित में इसकी सूचना देगा। यदि आवेदक ऐसी त्रुटियों को दूर करने में असफल रहता है या त्रुटियों को दूर किये जाने के संबंध में अनुज्ञापी को सूचित करने में असफल रहता है तो आवेदन निरस्त हो जाएगा तथा आवेदक को फिर से आवेदन करना होगा।

(8) त्रुटियों को दूर किये जाने के संबंध में आवेदक से सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी ऐसी सूचना प्राप्ति के पांच दिवसों के भीतर संस्थापन का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा तथा यदि पहले बताई गई त्रुटियां तब भी रहती हों तो अनुज्ञप्तिधारी उन्हें

अनुलग्नक–I (A) में दिए गए प्रपत्र में फिर से रिकॉर्ड करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को हस्तगत करायेगा और फिर आवेदन निरस्त् हो जाएगा। यदि आवेदक अनुज्ञप्तिधारी के इस कृत्य से व्यथित हो, तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है, जिसका अभिमत इस संबंध में अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(9) यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है या त्रुटियां दूर कर दी पाई जाती हैं तथा कोई देय राशि बकाया नहीं है या उसका भुगतान कर दिया गया है, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक द्वारा आवेदन किये अनुसार भार स्वीकृत करेगा तथा उसकी सूचना आवेदन प्रपत्र प्राप्ति से पांच दिवस के भीतर लिखित में आवेदक को देगा। यदि आवेदन की तिथि से पांच दिवस के भीतर आवेदक को कोई त्रुटि नोट या मांग नोट प्राप्त नहीं होता है तो भार, इसमें ऊपर दिये उप–विनियम के अनुसार स्वीकृत कर लिया समझा जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी इन आधारों पर संयोजन प्राप्त करने से इन्कार नहीं करेगा।

(10) विकासकर्ता द्वारा बनाए जाने वाले आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर/मल्टीप्लेक्स/मॉल/टाउनशिप आदि के लिए भार, इन विनियमों के अनुलग्नक–IV में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(11) भार स्वीकृति के पांच दिवसों के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी एक मांग नोट जारी करेगा जिसमें विस्तृत आगणन की एक प्रति आवेदक को नीचे दी गई तालिका में दिए गए निर्धारित शुल्क के आधार पर दी जाएगी तथा आवेदक उपरोक्त शुल्क को नकद या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (RTGS/NEFT/IMPS) से जमा करेगा जो अनुज्ञप्तिधारी को 30 दिनों के भीतर स्वीकार्य हो।

तालिका 3.4: 4 किलोवाट तक के भार के लिए सर्विस लाईन चार्जेज, ओवरहेड तथा भूमिगत लाईन चार्जेज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एंव ओवर हैड/भूमिगत लाईन चार्जेज			प्रारंम्भिक प्रतिभूति(रू./कि.वा.)		
		सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)		ओवर हैड लाईन तथा भूमिगत लाईन चार्जेज यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक है (रू.)	घरेलू	गैर–घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1.	बीपीएल उपभोक्ता (1 कि.वा.तक)*	100	100	ओवर हैड - रू. 300 भूमिगत - रू. 300	100	-	-
2.	4 कि.वा. तक	1000	2000	ओवर हैड -रू. 1500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	4 कि.वा. तक (प्रीपेड मीटर के माध्यम से)	1000	2000		-	-	-

[यदि कोई बीपीएल उपभोक्ता 1 किलोवाट से अधिक भार के लिए आवेदन करता है, तो वह तालिका 3.4 तथा तालिका 3.5 के क्रम संख्या–2 के अनुसार जो भी लागू हो, मानक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।]

तालिका 3.5: 4 किलोवाट से अधिक तथा 25 किलोवाट तक के भार हेतु सर्विस लाईन चार्जेज, ओवरहेड/भूमिगत लाईन चार्जेज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एंव ओवर हैड/भूमिगत लाईन चार्जेज			प्रारंभिक प्रतिभूति (रू./कि.वा.)		
		सर्विस लाईन प्रभार (रू.)		ओवर हैड लाईन तथा भूमिगत लाईन चार्जेज यदि परिसर अनुज्ञप्तिधारी के विद्यमान एल.टी. वितरण मेन से 40 मीटर से अधिक है (रू.)	घरेलू	गैर–घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1.	4 कि.वा. से अधिक तथा 10 कि.वा. तक #	2000	5000	ओवर हैड -रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 13500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	4 कि.वा. से अधिक तथा 10 कि.वा. तक #(प्रीपेड मीटर के माध्यम से)	2000	5000		-	-	-
2.	10 कि.वा. से अधिक तथा 25 कि.वा. तक #	4000	10000	ओवर हैड -रू. 4500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत - रू. 13500 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	10 कि.वा. से अधिक तथा 25 कि.वा. तक # (प्रीपेड मीटर के माध्यम से)#	4000	10000		-	-	-

उप–विनियम 3.3.1 के क्लॉज (3) के अन्तर्गत एच.वी.डी.एस. संयोजन लेने वाले आवेदक को 25 के.वी.ए. के सब–स्टेशन (20 किलोवाट तक भार के लिए) हेतु रु0 1,50,000/– तथा 63 के.वी.ए. (21 किलोवाट से 25 किलोवाट तक भार के लिए) हेतु रु0 2,00,000/– साथ ही 11 के.वी. लाईन विस्तार हेतु लागत निम्नलिखित तालिका 3.6 के अनुसार तथा सर्विस लाईन एवं प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जेज तालिका 3.5 के अनुसार, भुगतान करना होगा।

तालिका 3.6: 25 किलोवाट से अधिक तथा 75 किलोवाट तक के भार हेतु सर्विस लाईन चार्जेज, 11 के.वी. ओवरहेड/भूमिगत लाईन, सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एंव 11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज			प्रारंभिक प्रतिभूति (रू./कि.वा.) या (रू./के.वी.ए.)		
		सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)		11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज (रू.)	घरेलू	गैर–घरेलू	एल.टी. उद्योग/सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
1	11 के.वी. लाईन चार्जेज						
	25 कि.वा. से अधिक तथा 50 कि.वा. तक **	6000	15000	ओवर हैड– रू. 8000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग भूमिगत– रू. 30000 प्रति 10 मीटर या उसका भाग	600	1500	1500
	50 कि.वा. से अधिक तथा 75 कि.वा. तक **	8000	20000				
2	11 के.वी. सबस्टेशन चार्जेज						
	25 कि.वा. से अधिक तथा 50 कि.वा. तक	63 के.वी.ए. सबस्टेशन का निर्माण		2,00,000	-		
	50 कि.वा. से अधिक तथा 75 कि.वा. तक	100 के.वी.ए. सबस्टेशन का निर्माण		2,50,000			

तालिका 3.6: 25 किलोवाट से अधिक तथा 75 किलोवाट तक के भार हेतु सर्विस लाईन चार्जेज, 11 के.वी. ओवरहेड/भूमिगत लाईन, सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	अनुबन्धित भार	सर्विस लाईन चार्जेज एंव 11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज			प्रारम्भिक प्रतिभूति (रू./कि.वा.) या (रू./के.वी.ए.)		
		सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)		11 के.वी. ओवर हैड/भूमिगत लाईन तथा सबस्टेशन के निर्माण हेतु चार्जेज (रू.)	घरेलू	गैर–घरेलू	एल.टी. उद्योग/ सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान
		ओवर हैड	भूमिगत				
3	ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि						
	63 के.वी.ए. से 100 के.वी.ए. तक	-		50,000	-		

** **केवल भूमिगत नेटवर्क वाले क्षेत्रों के लिए**— उप–विनियम 3.3.1 के क्लॉज (3) के प्रथम नियम के अन्तर्गत संयोजन चाहने वाले आवेदक, 63 के.वी.ए./100 के.वी.ए. के उप–स्टेशन के लिए तालिका 3.6 के अनुसार प्रति 10 मीटर या उसके भाग के लिए एल.टी. मेन के विस्तार तथा सर्विस लाईन एवं प्रारंभिक प्रतिभूति चार्जेज के साथ रु. 20,000/– का भुगतान करेंगे।

तालिका 3.7: 5 बी.एच.पी. तथा 20 बी.एच.पी. तक के भार वाले निजी नलकूपों (PTW) के लिए सर्विस लाईन चार्जेज, ओवरहेड लाईन चार्जेज तथा प्रारंभिक प्रतिभूति

क्र. स.	संविदाकृत भार	सर्विस लाईन चार्जेज (रू.)	विद्यमान एल.टी. वितरण मेन तथा /एच.टी.मेन के विस्तार के साथ वितरण ट्रांसफॉर्मर की संस्थापना का प्रभार (रू.)	प्रारंभिक प्रतिभूति (रू./बी.एच.पी.)
1	5 बी.एच.पी. से 20 बी.एच.पी.	1000	रू. 750 प्रति 10 मीटर या उसके भाग के लिये	200

(12) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से कम से कम 3 महीने पहले, यदि आवश्यक हो, वितरण अनुज्ञापी, तालिका 3.4 से तालिका 3.7 के अनुसार शुल्क के संशोधन का प्रस्ताव समर्थन गणना एवं औचित्य के साथ आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत कर सकता है। एक बार स्वीकृत किए गए शुल्क, आयोग द्वारा अगले संशोधन तक मान्य रहेंगे।

(13) आवेदक, उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार, उसको ऐसी आपूर्ति दिये जाने के लिए वास्तव में विस्तारित एल.टी. वितरण मेन की लम्बाई के आधार पर, लागू ओवरहेड लाईन चार्जेज का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि जहाँ विद्यमान एल.टी. वितरण प्रणाली एल.टी. ए.बी. केबल पर है, उसी का आगे विस्तार एल.टी. ए.बी. केबल के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे मामलों में, आवेदक उक्त तालिका 3.4 से 3.7 में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लागू होने वाले शुल्क का भुगतान करेगा।

(14) उपरोक्त तालिका 3.4 से तालिका 3.7 में निर्धारित चार्जेज के अतिरिक्त, कोई अन्य शुल्क जैसे मीटर की लागत, विविध सामग्री की लागत, केबल, प्रक्रमण शुल्क इत्यादि नए संयोजन में आवेदक द्वारा देय नहीं होंगे।

<u>उदाहरणः विद्यमान वितरण मेन के विस्तार की लम्बाई की गणना</u>

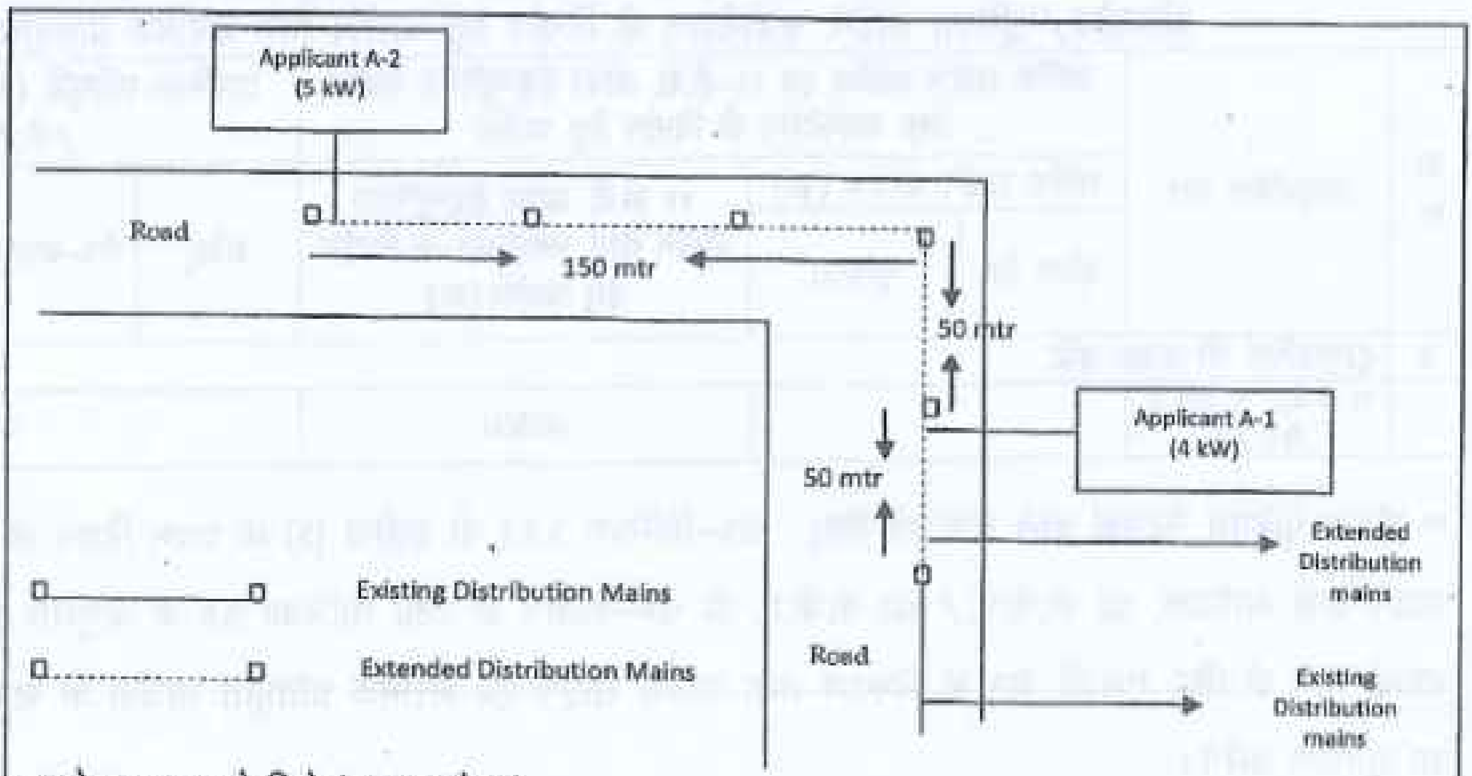

आवेदक, ए–1 के लिये (प्रथम आवेदक)

i. *संयोजन प्रदान करने के लिये वितरण मेन्स के विस्तार की लम्बाई = 50 मीटर.*

ii. *आवेदक द्वारा देय ओवर हैड लाईन प्रभार =रू. (50/10)*1,500 = रू. 7,500.*

आवेदक, ए–2 के लिये (द्वितीय आवेदक)

i. *संयोजन प्रदान करने के लिये वितरण मेन्स के विस्तार की लम्बाई = 200 मीटर.*

ii. *आवेदक द्वारा देय ओवर हैड लाईन प्रभार =रू. (200/10)*4,500=रू. 90,000.*

(15) जहां एक नए संयोजन के लिये, अपने वितरण मेन के विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है या नए वितरण मेन के बिछाने या एक नया सबस्टेशन चालू करने की आवश्यकता नहीं है, अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर एक सही मीटर के माध्यम से संयोजन को ऊर्जीकृत करने के लिए बाध्य होगा।

[यहां आवेदन की तिथि, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयुक्त प्रारूप में सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र, आवश्यक शुल्क तथा अन्य अपेक्षित कार्यवाही दर्शित करने वाले दस्तावेजों के साथ, प्राप्त करने की तिथि होगी।]

(16) जहां एक नये संयोजन के लिये, वितरण मेन या नए वितरण मेन के बिछाने या एक नए सबस्टेशन के चालू करने की आवश्यकता है, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदक को आपूर्ति हेतु लगने वाले समय की सूचना देगा तथा जो निम्नलिखित अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए:

(a) 60 दिन यदि केवल वितरण मेन का विस्तार अपेक्षित है।

(b) 90 दिन यदि नया 11 / 0.4 के.वी. सबस्टेशन चालू करना अपेक्षित है।

(c) 180 दिन यदि नया 33 / 11 के.वी. सबस्टेशन चालू करना अपेक्षित है।

(17) यदि अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदक को संयोजन प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह आवेदक द्वारा जमा करायी गई राशि पर रू. 05 प्रति रू. 1000 (या उसका एक भाग) जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा, जो व्यतिक्रम में प्रतिदिन हेतु अधिकतम रु. 1000 तक होगा।

(18) अनुज्ञप्तिधारी पर लगाए गए जुर्माने का संज्ञान लिये बिना, यदि अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर एक आवेदक को संयोजन प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह आवेदक द्वारा जमा करायी गई राशि पर रू. 5/– प्रति रू. 1000/– (या उसका एक भाग) आवेदक को क्षतिपूर्ति देने का जिम्मेदार होगा, जो व्यतिक्रम में प्रतिदिन हेतु अधिकतम रु. 500/– तक होगा।

बशर्ते कि मुआवजे की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गई राशि तक सीमित होगी।

(19) अनुज्ञप्तिधारी नये एलटी संयोजन जारी करने में हुये विलम्ब की खण्डवार मासिक रिपोर्ट, अनुलग्नक –VI में आयोग को प्रस्तुत करेगा तथा इस अवधि के दौरान संयोजनों के जारी किए जाने में हुए व्यतिक्रम/विलम्ब की दण्डात्मक राशि भी उक्त रिपोर्ट के साथ जमा करेगा।

(20) किसी भी मुआवजे के दावे के मामले में, उपभोक्ता, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, आयोग द्वारा जारी तत्समय प्रचलित कार्य निष्पादन के मानक (एसओपी) विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत आवेदन करेगा।

(21) यदि इन विनियमों के अंतर्गत संयोजन ऊर्जीकृत नहीं किया गया है, तो आवेदक संबंधित क्षेत्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में पूर्ण विवरण, जैसे कि आवेदन की तिथि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निरीक्षण की तिथि इत्यादि, का उल्लेख करते हुये शिकायत कर सकता है।

3.4 एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन

3.4.1 एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन प्रदान करने के लिए शर्तें

(1) 88 केवीए से ऊपर के सभी भार केवीए में अनुबन्धित भार के साथ एच.टी./ई.एच.टी. पर जारी किये जाएंगे।

परन्तु, 1 एम.वी.ए. से अधिक सभी भार, दोनों सिरों पर मीटरिंग व्यवस्था वाले निकटतम 33केवी/66केवी/132केवी/220केवी उप स्टेशनों से निकलने वाले स्वतंत्र फीडरों के साथ संस्वीकृत किये जाएगें।

परन्तु, आगे यह भी कि जहाँ प्रस्तावित स्वतंत्र फीडर हेतु मार्ग का अधिकार उपलब्ध नहीं है, वहां 1 एमवीए से ऊपर ऐसे भार या तो भूमिगत केबल के माध्यम से या विद्यमान फीडर से संस्वीकृत किये जायेंगे बशर्ते कि ऐसे फीडर पर प्रस्तावित भार जोड़ने के बाद 25% अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता हो।

परन्तु यह भी कि आवेदित भार को दृष्टिगत न रखकर निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता वाले निरन्तर प्रक्रिया उद्योगों के लिये संयोजन केवल स्वतंत्र फीडर के माध्यम ही जारी किया जाएगा। यदि आवेदक भूमिगत केबल के माध्यम से इस तरह के संयोजन की मांग करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी तद्नुसार ही उसे प्रदान करेगा।

परन्तु यह भी कि, इस स्थिति में जब क्षेत्र में एक स्वतंत्र फीडर के माध्यम से संयोजन दिए जाने में कठिनाई हो तथा उद्योग के लिए एक विद्यमान स्वतंत्र फीडर के माध्यम से निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती हो, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस तरह के संयोजन को केवल ऐसे किसी विद्यमान फीडर जिनमें कि इसी प्रकार के निरंतर आपूर्ति उद्योगों, को संयोजित किया गया हो, से निर्गत कर सकता है।

परन्तु यह भी कि सभी स्टील इकाइयाँ जैसे इंडक्शन/आर्क फर्नेसेज या रोलिंग मिल्स, री–रोलिंग मिल्स, मिनी स्टील प्लांट इत्यादि बिना आवेदित भार को दृष्टिगत रखे, 33 केवी या इससे ऊपर के भार पर केवल स्वतंत्र फीडर के माध्यम से ही संस्वीकृत की जाएंगी। यदि आवेदक इस तरह के संयोजन की मांग भूमिगत केबल के माध्यम से करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उसी के अनुसार प्रदान करेगा।

परन्तु यह कि, यदि विद्यमान स्टील इकाई 11 केवी पर संयोजित है, को अपना भार बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी, ताकि ऐसी वृद्धि के बाद उनका अनुबन्धित भार 1000 केवीए से अधिक न हो।

(2) एक नये उपभोक्ता को संयोजन केवल सही 3 फेज 4 वायर विद्युत मीटर, जैसा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन व परिचालन) विनियम, 2006, एवं समय–समय पर जारी इसके संशोधनों में विनिर्दिष्ट है, के साथ ही प्रदान किया जाएगा तथा उक्त विनियमों में विनिर्दिष्टानुसार ही इस की संस्थापना की जाएगी।

(3) एचटी तथा ईएचटी में सभी नए संयोजनों के लिए नीचे क्लॉज (5) में दिये अनुसार परिशुद्धता का अगला उच्च स्तर–सिंगल रेशियो करेन्ट ट्रांसफॉर्मर (सी.टी.) उपयोग में लाया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में मीटरिंग के उद्देश्य हेतु मल्टी रेशियो सी.टी. का उपयोग नहीं किया जाएगा। सी.टी. तथा मीटर के बीच केबल्स का क्रॉस–सेक्शनल क्षेत्र 6 वर्ग मिलीमीटर से कम नहीं होगा।

(4) एचटी तथा ईएचटी पर सभी नए संयोजनों हेतु नीचे क्लॉज (5) में दिये गये परिशुद्धता वर्ग का पोटेन्शियल ट्रांसफार्मर (पी.टी.) मीटरिंग हेतु उपयोग में लाया जायेगा। पी.टी. तथा मीटर के बीच केबल्स का क्रॉस–सेक्शनल क्षेत्र 6 वर्ग मिमी से कम नहीं होगा। वितरण अनुज्ञापी द्वारा दूरस्थ मीटर रीडिंग के लिए संस्थापित स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) मॉडम के भार को छोड़कर, मेजरिंग पी.टी. पर अन्य भार, यदि कोई हो, नहीं डाला जाएगा। परन्तु पी.टी. के मीटरिंग कोर पर कुल भार, जिसमें लीड केबल, मीटर, एएमआर मॉडम का भार भी शामिल है, यदि कोई उनसे जुड़ा हुआ है, तो वह रेटेड भार से अधिक नहीं होगा।

(5) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की संस्थापन व परिचालन) विनियम, 2006 यथा समय–समय पर संशोधित, के अनुसार मीटर्स, करेंट ट्रांसफॉर्मर (सी.टी.) तथा पोटेन्शियल ट्रांसफॉर्मर (पी.टी.) परिशुद्धता श्रेणी की निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेंगे:

तालिका 3.8: मीटरिंग सिस्टम की परिशुद्धता श्रेणी

आपूर्ति की वोल्टेज	मीटर	सी.टी. तथा पी.टी.
650 वोल्ट से अधिक एवं 33 केवी तक	0.5 एस या बेहतर	0.5 एस या बेहतर
33 केवी से अधिक	0.2 एस या बेहतर	0.2 एस या बेहतर

परन्तु यह कि सी.टी. तथा पी.टी. की परिशुद्धता श्रेणी संबद्ध मीटरों से कम नहीं होगी तथा विद्यमान सी.टी. तथा पी.टी. इन विनियमों का अनुपालन नहीं करने वाले या दोषपूर्ण/संतृप्त पाए जाते हैं, तो वे तालिका 3.8 में दिए गए परिशुद्धता श्रेणी के नए सी.टी. तथा पी.टी. द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएगें।

3.4.2 नए एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन के लिए आवेदन

(1) एक नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने का इच्छुक भावी उपभोक्ता इस प्रयोजन के लिए वितरण अनुज्ञापी के संबंधित खण्ड कार्यालय में अनुलग्नक–III पर दिए गए निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर, अप्रतिदेय पंजीकरण–सह–प्रक्रमण शुल्क, जैसा तालिका में दिया गया है, के साथ आवेदन करेगा:

तालिका 3.9: नए एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन के लिए पंजीकरण–सह–प्रक्रमण शुल्क

विवरण	प्रभार रुपये में
11 के वी पर संयोजन	7,500/-
33 के वी पर संयोजन	15,000/-
132 के वी पर संयोजन	40,000/-
220 के वी या उससे अधिक पर संयोजन	75,000/-

(2) निर्धारित आवेदन प्रपत्र वितरण अनुज्ञापी के खण्ड या उप–खण्ड कार्यालय या किसी अन्य कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं या इसे वितरण अनुज्ञापी की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं या फोटोकॉपी भी किये जा सकते हैं।

(3) आवेदक अनुज्ञापी की वेबसाइट पर नए संयोजन के लिए ऑनलाईन आवेदन भी कर सकता है।

(4) आवेदन पत्र के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:

(a) स्वामित्व या अधिकारिता का प्रमाण

(i) आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्वःसत्यापित प्रति, उस परिसर जिसके लिए संयोजन अपेक्षित है, के स्वामित्व या अधिकारिता के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करेगा :

a) विक्रय विलेख या पट्टा लेख (आवेदन की तिथि से तीन महीने पहले जारी की गई नवीनतम किराया रसीद के साथ) या खसरा या खतौनी (खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम शामिल होना इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त होगा)।

b) पंजीकृत मुख्त्यारनामा।

c) नगरपालिका कर रसीद या मांग पत्र या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज।

d) आवंटन–पत्र।

e) एक आवेदक जो परिसर का मालिक नहीं है, किन्तु परिसर पर उसका कब्जा है, उक्त a) से d) में सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक के साथ परिसर के मालिक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।

(b) सांविधिक अनुमतियाँ/पंजीकरण

(i) किसी भी कानून/वैधानिकता के तहत आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग निदेशक आदि की स्वीकृति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने का प्रमाण ।

(ii) साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख तथा साझेदारों की सूची उनके प्रमाणित पते के साथ।

(iii) लिमिटेड कंपनी के मामले में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तथा निदेशकों की सूची उनके प्रमाणित पते के साथ।

(c) पहचान प्रमाण

(i) यदि आवेदक एक व्यक्ति है, तो पहचान के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी:

a) आधार कार्ड

b) निर्वाचन पहचान कार्ड,

c) पासपोर्ट

d) ड्राइविंग लाइसेंस

e) राशन कार्ड की प्रति

f) सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

(ii) यदि आवेदक एक कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, स्कूल/कॉलेज, सरकारी विभाग आदि है, तो संबंधित कंपनी/संस्थान के निदेशक, प्रोपराइटर, पार्टनर, शाखा प्रबन्धक, प्रधानाचार्य, अधिशासी अभियन्ता जैसे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रासंगिक संकल्प/प्राधिकार पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ आवेदन किये जायेंगे। ऐसा व्यक्ति उपरोक्त (i) पर उल्लेखित किसी भी पहचान प्रमाणों में से एक की प्रति भी जमा करेगा।

(d) अनन्तिम तिथि हेतु वचन, जिस पर आवेदक का कार्य पूर्ण होकर ऊर्जीकरण के लिए तैयार होगा।

3.4.3 वितरण अनुज्ञापी द्वारा आवेदन की प्रोसेसिंग तथा कार्य का निष्पादन

(1) विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, वितरण अनुज्ञापी का प्राधिकृत अधिकारी आवेदन प्रपत्र की जांच करेगा तथा यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो, तो आवेदनकर्ता से तुरंत सुधार करवायेगा। वितरण अनुज्ञापी का प्राधिकृत अधिकारी अनन्य आवेदन संख्या/पंजीकरण संख्या अंकित कर आवेदन पंजीकृत करेगा तथा आवेदन की प्राप्ति रसीद, तिथि के साथ जारी करेगा।

(2) ऑनलाईन आवेदन के मामले में, अनुज्ञापी का अधिकारी ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र की जांच करेगा तथा यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो, तो अनुज्ञापी आवेदक को ई–मेल तथा एस.एम.एस. के माध्यम से आवेदन दाखिल करने के 2 कार्य दिवसों के भीतर अवगत करायेगा, तत्पश्चात, उपभोक्ता अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर त्रुटि को दूर करेगा, विफल होने पर आवेदन व्यपगत मान लिया जायेगा। विधिवत भरे हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञापी तुरंत ऑनलाईन पावती जारी करेगा।

(3) पावती जारी करने के बाद, वितरण अनुज्ञापी यह अभिनिश्चित करेगा कि परिसर पर कोई देय धनराशि बकाया है या नहीं, यदि है, तो वितरण अनुज्ञापी ऐसी बकाया राशि का पूरा विवरण 15 दिन का समय इसे जमा करने के लिए देते हुये, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 5 दिनों के भीतर एक मांग नोट जारी करेगा।

परन्तु, यदि आवेदक, आवेदन जमा किये जाने की तिथि से 5 दिनों के भीतर बकाया राशि के लिए कोई त्रुटि पत्र या मांग पत्र प्राप्त नहीं करता है, तो अनुज्ञापी इस आधार पर संयोजन प्रदान करने से इन्कार नहीं कर सकेगा।

(4) आवेदक को यह बकाया देय धनराशि उक्त 15 दिन के समय के भीतर जमा करानी होगी, विफल होने पर उसका आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को पावती के अधीन लिखित रूप में इसकी सूचना दे दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहां कि आवेदक 15 दिनों के भीतर बकाया देय राशि जमा कर देता है, आवेदन प्राप्ति की तिथि को बकाया राशि के जमा की तिथि माना जाएगा।

(5) वितरण अनुज्ञापी आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर, लाईन रूट हेतु सर्वेक्षण तथा संबंधित कार्यों सहित ऐसे संयोजन प्रदान करने की साध्यता का अध्ययन करेगा तथा भार स्वीकृत करेगा। यदि 132 केवी या 220 केवी पर पारेषण अनुज्ञापी से संबंधित कार्यों का निष्पादन किया

जाना अपेक्षित है, तो वितरण अनुज्ञापी तुरंत पारेषण अनुज्ञापी को ऐसा अध्ययन करने के लिए सूचित करेगा तथा उससे कार्यो के प्रभारों का प्राक्कलन प्राप्त करेगा। वितरण अनुज्ञापी तालिका 3.10 के अनुसार जमा की जाने वाली आंगणित आवश्यक राशि तथा वह तिथि जिस तक उक्त एक माह के भीतर यह राशि जमा की जानी है, की सूचना आवेदक को देना सुनिश्चित करेगा। वितरण अनुज्ञापी उपरोक्त संवाद में, ऐसा संयोजन प्रदान किये जाने की अनुमानित समय सीमा भी इंगित करेगा, जो इस विनियम के क्लॉज (10) तथा क्लॉज (11) में विनिर्दिष्ट या अपने आवेदन में उपभोक्ता द्वारा इंगित अनंतिम तिथि, दोनों में से जो बाद में हो, से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(6) 132 केवी तथा 220 केवी पर सभी ईएचटी कार्यो को पारेषण अनुज्ञापी द्वारा निष्पादित किया जाएगा। वितरण अनुज्ञापी द्वारा पारेषण अनुज्ञापी को, ऐसे कार्यों के लिए आवेदक द्वारा जमा कराए गए प्राक्कलित कार्यप्रभारों की राशि के साथ पूर्व सूचना, पर्याप्त समय पूर्व दिया जाना आवश्यक है, ताकि इन विनियमों में नियत समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जा सके, इसमें विफल रहने पर दोनों अनुज्ञापी विनियमों के अननुपालन हेतु जिम्मेदार ठहराए जाएंगे तथा अनुज्ञापी दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगें। 132 केवी/220 केवी सबस्टेशन से निकलने वाले फीडर्स के लिए, वितरण अनुज्ञापी ऐसे 132 केवी/220 केवी पर उपयुक्त मीटरिंग क्यूबिकल उपलब्ध करायेगा। पारेषण अनुज्ञापी की जिम्मेदारी फीडर के लाईन साइड आइसोलेटर तक सीमित होगी।

(7) भार स्वीकृति के पश्चात एक माह के भीतर, आवेदक को नीचे दी गई तालिका 3.10 के अनुसार अपेक्षित कार्यो के प्रकार तथा मात्रा के आधार पर कार्य प्रभार की आंगणित अपेक्षित राशि जमा करानी होगीः –

तालिका 3.10: एचटी/ईएचटी संयोजन हेतु कार्य प्रभार

क्रम सं	विवरण	कार्य प्रभार
(A) 11 केवी संयोजन		
(1)	एचटी केबल्स, सीटी, पीटी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि सहित उपभोक्ता के छोर पर टर्मिनल उपस्कर।	रु 2.00 लाख
(2)	स्वतंत्र फीडर हेतु: उपरोक्त क्रम सं (1) में उल्लिखित खर्चों के अतिरिक्त – स्विच गियर, एचटी केबल्स, सीटी, पीटी, मीटर क्यूबिकल, लाइटनिंग अरेस्टर इत्यादि सहित प्रेषण छोर पर टर्मिनल उपस्कर।	रु 6.00 लाख
(3)	लाईन लागत	
	(a) ओवरहेड लाईन लागत	रु 80,000 प्रति 100 मीटर या उसके भाग
	(b) भूमिगत केबल बिछाने की लागत	रु 3.00 लाख प्रति 100 मीटर या उसके भाग
(B) 33 केवी संयोजन		
(1)	प्रेषण छोर पर सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स सहित टर्मिनल उपस्कर तथा दोनों सिरों पर ईएचटी केबल्स, सीटी, पीटी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि।	रु 20.00 लाख
(2)	लाईन की लागत	

तालिका 3.10: एचटी/ईएचटी संयोजन हेतु कार्य प्रभार

क्रम सं	विवरण	कार्य प्रभार
	(a) ओवरहेड लाईन लागत	रु 1,25,000 प्रति 100 मीटर या उसके भाग
	(b) भूमिगत केबल बिछाने की लागत	रु 5.00 लाख प्रति 100 मीटर या उसके भाग
(C) 132 केवी संयोजन		
(1)	प्रेषण छोर पर सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स सहित टर्मिनल उपस्कर तथा दोनों सिरों पर ईएचटी केबल्स, सीटी, पीटी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि।	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किए गए अनुमान के आधार पर
(2)	लाईन की लागत	
	(a) सिंगल सर्किट लाईन	
	(b) डबल सर्किट लाईन	
	(c) भूमिगत केबल बिछाने की लागत	
(D) 220 केवी संयोजन		
(1)	प्रेषण छोर पर सर्किट ब्रेकर्स, आइसोलेटर्स, लाइटनिंग अरेस्टर्स सहित टर्मिनल उपस्कर तथा दोनों सिरों पर ईएचटी केबल्स, सीटी, पीटी, मीटर क्यूबिकल इत्यादि।	पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किए गए अनुमान के आधार पर
(2)	लाईन की लागत	
	(a) सिंगल सर्किट लाईन	
	(b) डबल सर्किट लाईन	
	(c) भूमिगत केबल बिछाने की लागत	

(8) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंम्भ से कम से कम 3 माह पूर्व, वितरण अनुज्ञापी, यदि आवश्यक हो, आयोग के अनुमोदन हेतु संबंधित संगणना व औचित्य के साथ तालिका 3.10 के अनुसार प्रभारों के संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। एक बार अनुमोदित प्रभार आयोग द्वारा पुनरीक्षित किए जाने तक मान्य रहेंगे।

(9) कार्य प्रभारों की प्राक्कलित राशि प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञापी कार्यो का निष्पादन प्रारंभ करेगा।

(10) ऐसे मामलों में, जहां आवेदित परिसरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए नए सबस्टेशन/बे की कमीशनिंग की आवश्यकता नहीं है, वितरण/पारेषण अनुज्ञापी एचटी/ईएचटी कार्यों का संस्थापन, आवेदक द्वारा कार्य प्रभारों की राशि जमा करने की तिथि से विभिन्न वोल्टेज स्तरों के लिए निम्नवत् दी गयी तालिका 3.11 में निर्दिष्ट समय के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा।

तालिका 3.11: नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करने हेतु समय–सारणी

क्रम सं	विवरण	दिनों की संख्या
(i)	11 केवी कार्य लाईन सहित	
(a)	स्वतंत्र फीडर की संलग्नता के बिना	60 दिन
(b)	स्वतंत्र फीडर की संलग्नता	90 दिन
(ii)	33 के.वी. कार्य लाईन सहित	180 दिन
(iii)	132 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज के कार्य लाईन सहित	300 दिन

(11) ऐसे मामलों में, जहां आवेदित परिसर में विद्युत की आपूर्ति हेतु एक नये सबस्टेशन/बे की कमीशनिंग करने की आवश्यकता होती है, वितरण/पारेषण अनुज्ञापी नये सबस्टेशन/बे का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। हालांकि, नये सबस्टेशन/बे से संबंधित कार्यों की लागत संबंधित अनुज्ञापी (वितरण या पारेषण) द्वारा वहन की जाएगी तथा विभिन्न सब–स्टेशनों के लिए नीचे दिए गए अतिरिक्त समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा:

तालिका 3.12: नया एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करने के लिए अतिरिक्त समय–सारणी

क्रम सं0	विवरण	दिनों की संख्या
(i)	नया 33/11 केवी सबस्टेशन	180 दिन
(ii)	विद्यमान 33/11 केवी सबस्टेशन का विस्तार	120 दिन
(iii)	33/11 केवी सबस्टेशन पर बे का विस्तार	45 दिन
(iv)	132 केवी और उससे अधिक के सबस्टेशन	540 दिन
(v)	132 केवी और उससे अधिक के सबस्टेशन पर बे का विस्तार	90 दिन

(12) एचटी/ईएचटी कार्यों के पूरा होने के 5 दिनों के भीतर, वितरण अनुज्ञापी विद्युत निरीक्षक, को आवश्यक निरीक्षण शुल्क के साथ, विनियम 43 (2) केविप्रा सुरक्षा विनियमों के अनुसार संस्थापना का निरीक्षण करने के लिए सूचित करेगा। विद्युत निरीक्षक कार्यों का निरीक्षण करेगा तथा या तो वितरण अनुज्ञापी के कार्यों के ऊर्जीकरण हेतु अपना अनुमोदन प्रदान करेगा या वितरण अनुज्ञापी द्वारा निरीक्षण शुल्क जमा करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उसे कमियों की सूचना देगा।

(13) वितरण अनुज्ञापी विद्युत निरीक्षक द्वारा बतायी गयी सभी त्रुटियों को 30 दिनों के भीतर दूर कर पावती के साथ विद्युत निरीक्षक को लिखित में सूचित करेगा। इस तरह की जानकारी

प्राप्त होने पर विद्युत निरीक्षक 5 दिनों के भीतर अनुज्ञापी के कामों का फिर से निरीक्षण करेगा तथा तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करेगा।

(14) आवेदक विनियमों के अनुसार अपने एचटी/ईएचटी कार्यों की संस्थापना को पूरा करेगा तथा अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए वह साथ ही साथएक लेआउट ड्रॉइंग व अन्य विवरण जैसे उपकरण की रेटिंग/संस्थापन के लिए प्रस्तावित उपकरण आदि विद्युत निरीक्षक के कार्यालय में अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जमा कर सकता है। अपने कार्यों के पूरा होने पर, आवेदक विद्युत निरीक्षक से आवश्यक निरीक्षण शुल्क के साथ केविप्रा सुरक्षा नियमों के विनियम 43(3) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर अनुमोदन हेतु निवेदन करेगा। विद्युत निरीक्षक, यथाशीघ्र, किन्तु निरीक्षण के लिए आवेदन की तिथि से पंद्रह दिनों के अन्दर, आवेदक के कार्यों का निरीक्षण करेगा। विद्युत निरीक्षक से अनुमोदन प्राप्त होने पर, आवेदक, उक्त क्लॉज (10) एवं क्लॉज (11) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा या आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इंगित अनंतिम तिथि, जो भी बाद में हो, से कम से कम दो सप्ताह पूर्व विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन की स्वतः प्रमाणित प्रति के साथ **अनुलग्नक–V(A)** के अनुसार कार्य पूर्णता रिपोर्ट में अपने कार्यों की पूर्णता के संबंध में वितरण अनुज्ञापी को सूचित करेगा।

परन्तु यदि आवेदक को लगता है कि वह प्रारम्भ में अपने आवेदन (उप–विनियम 3.4.2 के क्लॉज (4) (डी) के अनुसार), में इंगित ऊर्जीकरण की तिथि तक आपूर्ति नहीं ले पाएगा तो वह वितरण अनुज्ञापी को लिखित में इस तिथि से कम से कम दो माह पूर्व एक नई तिथि की सूचना दे सकता है, जिस पर कि वह आपूर्ति लेने का प्रस्ताव रखता है, इस तिथि को अब आवेदक द्वारा इंगित अनंतिम तिथि माना जाएगा। तथापि, उपरोक्तानुसार ऊर्जीकरण की तिथि के विस्तार का विकल्प आवेदक द्वारा केवल एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है जो कि आवेदन की तिथि से एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(15) एलटी भार के लिए, आवेदक द्वारा फ्यूज या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स (एमसीबी)/ईएलसीबी/कट आउट के साथ लिंक्ड स्विच तथा एचटी/ईएचटी भार के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकरों (सीबी) के साथ स्विच, केविप्रा (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के विनियम 35 तथा संबंधित संशोधन के अनुसार उपयुक्त रेटिंग के साथ ही विनिर्दिष्टों के अनुरूप स्थापित किया जाएगा।

(16) वितरण अनुज्ञापी उपरोक्त क्लॉज (14) में उल्लिखित विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन की प्राप्ति तथा कार्य पूर्णता रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के भीतर आवेदक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में केविप्रा सुरक्षा विनियमों के विनियम 31 के अधीन अपेक्षानुसार आवेदक की संस्थापना का निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा। संस्थापना का परीक्षण केविप्रा सुरक्षा विनियमों के विनियम 33 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया

जाएगा तथा वितरण अनुज्ञापी का निरीक्षण अधिकारी केविप्रा सुरक्षा विनियमनों के विनियम 31 के अधीन अपेक्षानुसार **अनुलग्नक–V(B)** में दिए गए प्रपत्र पर, प्राप्त परीक्षण परिणामों का रिकॉर्ड रखेगा। निरीक्षण के दौरान आवेदक या उसका प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा।

(17) निरीक्षण हो जाने पर वितरण अनुज्ञापी यह सत्यापित करेगा कि सभी एचटी तथा ईएचटी कार्य विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप किये गये हैं तथा परिसर में संस्थापित सभी एचटी तथा ईएचटी उपकरण प्रासंगिक बीआईएस के तथा उसकी अनुपस्थिति में अन्य समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। वितरण अनुज्ञापी, आवेदक के परिसर में लगाये गये एलटी कार्यों का भी निरीक्षण करेगा तथा यह सत्यापित करेगा कि एलटी वायरिंग भी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है। **वितरण अनुज्ञापी विशेष रूप से केविप्रा सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 41(xv) के अनुसार आवेदक के परिसर में उसके द्वारा लगाई गई 'अर्थ प्रणाली' की प्रतिरोधकता की जाँच करेगा तथा अपनी रिपोर्ट में इसे अभिलिखित करेगा। वितरण अनुज्ञापी यह भी सत्यापित करेगा कि परिसर में उचित आकार का अर्थ वायर लगाया गया है तथा आवेदक के परिसर में संस्थापित विद्युत उपस्करों में सभी धातु भाग तथा थ्री पिन सॉकेट की थर्ड पिन केविप्रा सुरक्षा विनियम, 2010, के विनियम 41 (xiv) के अनुसार, स्थायी रूप से अर्थ से जोड़ी गयी है।** यदि वितरण अनुज्ञापी कोई त्रुटि पाता है, तो वह **अनुलग्नक–V(B)** में दिये गये निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट में इसे अभिलिखित करेगा तथा उचित रसीद प्राप्त कर स्थल पर ही आवेदक या उसके प्रतिनिधि को इसकी सूचना देगा।

(18) आवेदक 30 दिनों के भीतर सभी त्रुटियां दूर करेगा तथा पावती के अधीन लिखित में वितरण अनुज्ञापी को इस की सूचना देगा। यदि आवेदक इन त्रुटियों को दूर करने में विफल रहता है या इन त्रुटियों को दूर किये जाने की सूचना वितरण अनुज्ञापी को देने में विफल रहता है तो आवेदन व्यपगत हो जाएगा तथा आवेदक को नया आवेदन करना होगा।

(19) आवेदक से त्रुटियां दूर किये जाने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर वितरण अनुज्ञापी ऐसी सूचना प्राप्ति से 5 दिनों के भीतर संस्थापना का पुनः निरीक्षण तथा परीक्षण करेगा तथा यदि पहले बतायी गयी त्रुटियां विद्यमान पाई जाती हैं तो वितरण अनुज्ञापी इसे पुनः **अनुलग्नक–V(B)** में दिए गए प्रारूप में रिकॉर्ड करेगा तथा उसकी एक प्रति आवेदक या स्थल पर उपलब्ध उसके प्रतिनिधि को देगा तथा तब आवेदन व्यपगत हो जाएगा। यदि आवेदक वितरण अनुज्ञापी की इस कार्रवाई से व्यथित है, तो वह विद्युत निरीक्षक से अपील कर सकता है, जिसका अभिमत इस मामले में अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(20) यदि आवेदक की संस्थापना के निरीक्षण/पुनः निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है या यह पाया जाता है कि त्रुटियां दूर कर दी गयी हैं, तो वितरण अनुज्ञापी आवेदक की

संस्थापना के निरीक्षण/पुनः निरीक्षण की तिथि या वितरण अनुज्ञापी के कार्यों के लिए विद्युत निरीक्षक द्वारा दी गई अनुमोदन की तिथि, जो भी बाद में हो, से 15 दिनों के भीतर आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतिम राशि, 15 दिनों के भीतर जमा करने के लिए, निम्नलिखित इंगित करते हुए मांग नोट जारी करेगाः

(a) प्रारंभिक प्रतिभूति राशि @ अनुबन्धित भार का रु. 1500/केवीए।

(b) कार्य प्रभारों का अतिरिक्त/वापसी, यदि कोई है,

(i) 33 के.वी. तक के संयोजनों हेतु – वास्तविक लाईन लम्बाई पर आधारित मात्र लाईन लागत। वास्तविक लाईन लम्बाई हेतु लाईन लागत, उपरोक्त क्लॉज (7) में दिए गए मानकों के अनुसार गणना की जायेगी।

(ii) 33 के.वी. से ऊपर के संयोजनों हेतु–लाईन तथा टर्मिनल उपकरण हेतु वास्तविक व्यय पर आधारित ।

(c) पंजीकरण सह प्रक्रमण शुल्क जमा करते समय लागू करों को घटाने के पश्चात उप–विनियम 3.4.2 के क्लॉज (1) के अनुसार पंजीकरण–सह–प्रक्रमण शुल्क।

(d) अनुज्ञापी निष्पादित कार्यों के विरुद्ध किए गए व्यय का शीर्षवार विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

(21) मांग नोट में इंगित ऐसी धनराशि की प्राप्ति पर वितरण अनुज्ञापी, लिखित रूप में आवेदक को 7 दिनों के भीतर, आवेदक के कार्यों के ऊर्जीकरण की अंतिम तिथि सूचित करेगा। यह अंतिम तिथि बाद में ऊपर दी गई सुसंगत सीमाओं के योग से आगे नहीं होगी। आवेदक के कार्यों के ऊर्जीकरण के समय, आवेदक को अनुलग्नक–V(C) में दिए गए प्रारूप में एक आपूर्ति करार करना होगा।

(22) उपरोक्त क्लॉज (13) तथा क्लॉज (14) के कार्यों हेतु विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन तथा सक्षम प्राधिकारी यथा–प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग निदेशक आदि की स्वीकृति /अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि किसी कानून/विधि के तहत आवश्यक हो, के बिना किसी भी संयोजन का ऊर्जीकरण नहीं किया जाएगा।

(23) उपरोक्त क्लॉज (10) तथा क्लॉज (11) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से अधिक संयोजन के ऊर्जीकरण में आवेदक के कारण देरी की अवधि को वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय दंड की गणना तथा मुआवजे की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(24) उप–विनियम 3.4.3 में निहित होते हुये भी यदि वितरण अनुज्ञापी क्लॉज (10) तथा क्लॉज (11) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक को संयोजन प्रदान करने या उक्त क्लॉज (14) के तहत आवेदक के अनुरोधानुसार विस्तारित तिथि, जो भी बाद में हो, ऊर्जीकरण करने में विफल रहता है तो वह व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस के लिए रु. 500/–की दर से दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(25) वितरण अनुज्ञापी, उन संयोजनों की संख्या के विवरण **अनुलग्नक–VI** के अनुसार मासिक खण्ड–वार रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा जिनका विनिर्दिष्ट अवधि में ऊर्जीकरण नहीं किया गया तथा इसके साथ ही ऐसे व्यतिक्रम के कारण उपार्जित जुर्माना भी जमा करेगा।

(26) अनुज्ञापी पर लगाए गए जुर्माने के पक्षपात के बिना, यदि अनुज्ञापी उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी आवेदक को संयोजन प्रदान करने में विफल रहता है, तो वह व्यतिकम के प्रत्येक दिवस के लिए रु. 500/–की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। परन्तु यह कि मुआवजे की कुल धनराशि आवेदक द्वारा जमा की गई धनराशि तक सीमित रहेगी। वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपरोक्त क्लॉज (21) के अनुसार संसूचित की गई ऊर्जीकरण की अंतिम तिथि से आवेदक को यह समझा जाएगा कि उसने वितरण अनुज्ञापी से उपभोक्ता के रूप में संलग्न आपूर्ति समझौते में निर्दिष्ट शर्तो के तहत विद्युत की आपूर्ति लेना शुरू कर दिया है। यदि आवेदक इस तिथि से विद्युत की आपूर्ति प्रारम्भ करने में विफल रहता है, तो आवेदक प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार निर्धारित/मांग या उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित दर अनुसूची के अनुसार अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(27) उपरोक्त क्लॉज (20) के अनुसार वास्तविक लाईन की लम्बाई/वास्तविक व्यय, पंजीकरण–सह–प्रक्रमण शुल्क, तालिका 3.10 में दिए गए शुल्क, प्रारंभिक प्रतिभूति राशि तथा अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, कोई अन्य प्रभार यथा मीटर, सीटी, पीटी, केबल तथा अन्य टर्मिनल उपकरण आदि, नए संयोजन के आवेदक द्वारा देय नहीं होंगे।

(28) आवेदक, सामग्री तथा श्रम लागत के 15 प्रतिशत की दर से, स्थापना लागत को छोड़कर, पर्यवेक्षणीय प्रभार जमा कर वितरण अनुज्ञापी/पारेषण अनुज्ञापी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित ड्रॉइंग/डिजाइन के अधीन क्लास–1 अनुज्ञप्तिधारक ठेकेदार के माध्यम से स्वयं लाईन/सबस्टेशन के निर्माण का विकल्प चुन सकता है। इस पर्यवेक्षणीय प्रभार में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं:,

(a) सर्वेक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण: प्रारंभिक, विस्तृत, चैक तथा कन्टूर सर्वेक्षण, प्रोफाइल की जाँच, टॉवर अनुसूची तथा मार्ग संरेखण, भूमि अनुसूची आदि।

(b) मृदा अन्वेषण डेटा की जाँच।

(c) विभिन्न वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने तथा वैधानिक सूचनाओं के प्रकाशन में सहायता।

(d) सभी एचटी/ईएचटी उपकरण जैसे पावर ट्रांसफार्मर, स्विचगियर आदि, संरचनाओं, लाईन सामग्री, नियंत्रण सुरक्षा योजनाओं, केबल अनुसूचियों तथा विक्रेताओं की मंजूरी के ड्राइंग, डिजाइन, तकनीकी विशिष्टताओं की जांच तथा अनुमोदन।

(e) निर्माताओं के कार्यों पर सभी एचटी/ईएचटी उपकरणों तथा सामग्रियों का पूर्व–वितरण निरीक्षण।

(f) निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण जैसे उपकरणों की नींव तथा निर्माण आदि।

(g) उपकरणों की अंतिम जाँच तथा परीक्षण।

(h) लाईन क्लीयरेंस की व्यवस्था।

(i) विद्युत निरीक्षक/विद्युत सुरक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के निरीक्षण में सहायता।

(j) विद्युत अधिष्ठापनों का ऊर्जीकरण।

3.5. घरेलू, अघरेलू तथा मिश्रित भार श्रेणियों के लिए एकल बिंदु थोक आपूर्तिः

(1) एकल बिंदु थोक आपूर्ति संयोजन की अनुमति केवल 75 किलोवाट/88 केवीए से ऊपर एकल बिंदु मीटरिंग के साथ अनुबन्धित भार के लिए अंतिम उपयोगकर्ता तक आगे वितरण के लिए दी जाएगी। परन्तु ऐसे उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत संयोजन के लिए आवेदन करने से प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा। जिस व्यक्ति ने एकल बिंदु आपूर्ति ली है, वह अनुज्ञापी को सभी विद्युत प्रभारों के भुगतान तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं से उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित प्रशुल्क के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा। अनुज्ञापी सुनिश्चित करेगा कि आयोग द्वारा जारी एकल बिंदु थोक आपूर्ति (एस.पी.बी.एस.) संयोजन के लिए प्रभावी टैरिफ आदेश से अधिक शुल्क अंतिम उपयोगकर्ता/उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा।

(2) जिस व्यक्ति ने एकल बिंदु आपूर्ति ली है, उसे उस परिसर के लिए विद्युत वितरण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के सातवें परन्तुक के तहत अनुज्ञापी का एजेंट माना जाएगा, तथावितरण अनुज्ञापी अधिनियम, नियमों तथा विनियमों के ऐसे सभी प्रावधानों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा जो इस तरह के क्षेत्र के लिये प्रभावी हैं।

(3) एकल बिंदु थोक आपूर्ति संयोजन जारी करने की प्रक्रिया नीचे उप–विनियम 3.6 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

3.6 विकासकर्ता द्वारा निर्मित किये जाने वाले आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर/मल्टीप्लैक्स/मॉल/टाउनशिप आदि में नए विद्युत संयोजन।

[स्पष्टीकरण– आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर/मल्टीप्लैक्स/मॉल/टाउनशिप आदि का अभिप्राय ऐसे परिसर से है जिसमें कि निम्नलिखित सम्मिलित हों: –

a) आवासीय/वाणिज्यिक इकाइयों वाले भवन या इमारतें;

b) कॉमन एरिया; तथा

c) किसी एक या एक से अधिक सुविधाओं या सेवाओं युक्त जैसे पार्क, लिफ्ट, पार्किंग स्थान, कम्युनिटी हॉल, सार्वजनिक जल आपूर्ति, सामूहिक प्रकाश की सुविधा यथा सुरक्षा/पथ प्रकाश, शौचालय, परिसर के अन्दर चौकीदार का कमरा एवं इस तरह के परिसर के ले–आउट की स्वीकृति एक प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रभावी किसी कानून के तहत दी गई हो।]

(1) आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर/मल्टीप्लैक्स/मॉल/टाउनशिप आदि के भीतर अपेक्षित/पर्याप्त वितरण नेटवर्क संरचना की लागत के साथ–साथ विभिन्न संचयी मानकीकृत भार के लिए जिम्मेदारी निम्नानुसार होगी: –

(a) **25 किलोवाट से ऊपर तथा 75 किलोवाट तक संचयी मानक भार के लिए:**
ट्रांसफॉर्मर से आगे, अर्थात नीचे दिए गए क्लॉज (4) के अनुसार निर्धारित क्षमता के ट्रांसफॉर्मर को छोड़कर, जैसा भी मामला हो व इस तरह के परिसर में प्रत्येक उपभोक्ता की संस्थापना के लिए संयोजन के बिंदु तक की जिम्मेदारी, विकासकर्ता/बिल्डर/सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी (सीजीएचएस) जो इस तरह के परिसर के निर्माण का कार्य करता है, की होगी। संबंधित सहायक उपकरणों सहित ऐसे ट्रांसफॉर्मर की लागत तथा अनुज्ञापी के छोर से इस तरह के 11 केवी/0.4 केवी लाईन का विस्तार करने की लागत का आंगणन वितरण अनुज्ञापी द्वारा इन विनियमों की सारिणी 3.6 में विनिर्दिष्ट किए गए मानक प्रभारों के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा यह लागत विकासकर्ता/बिल्डर/सीजीएचएस द्वारा देय होगी बशर्ते कि कार्यों के पूर्ण होने पर अतिरिक्त राशि वसूली/वापसी के अधीनदेय होगी।

(b) **75 किलोवाट से ऊपर संचयी मानक भार के लिए:**

(i) **एसपीबीएस संयोजन के लिए (एचटी/ईएचटी पर मीटरिंग)–** ऐसे कॉम्प्लैक्स के अंतर्गत नीचे दिये क्लॉज 4 के अनुसार स्थापित ट्रांसफॉर्मर से (वितरण ट्रांसफॉर्मर तथा/या पावर ट्रांसफॉर्मर सहित), जैसा भी मामला हो, प्रत्येक उपभोक्ता की संस्थापना पर संयोजन के बिंदु तक, अपेक्षित/पर्याप्त वितरण नेटवर्क संरचना की जिम्मेदारी, विकासकर्ता/बिल्डर/को–ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी (सीजीएचएस) की होगी जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। संबद्ध प्रोटेक्शन गियर सहित ऐसे ट्रांसफॉर्मर की लागत विकासकर्ता /बिल्डर/सीजीएचएस द्वारा वहन की जाएगी। अनुज्ञापी के छोर से इस तरह के 220 केवी/132 केवी/33 केवी/11 केवी लाईन के विस्तार की लागत का आंगणन इन विनियमों की तालिका 3.10 में दिए गए मानक प्रभारों के अनुसार वितरण अनुज्ञापी द्वारा तैयार किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, तथा यह लागत विकासकर्ता/बिल्डर/सीजीएचएस द्वारा देय होगी, बशर्ते कि अतिरिक्त धनराशिकार्यों के पूर्ण होने पर, वसूली/वापसी के अधीन देय होगी।

(ii) **गैर–एसपीबीएस संयोजन के लिए**– ट्रांसफॉर्मर से आगे अर्थात् नीचे क्लॉज (4) में दिए गए निर्धारित क्षमता के ट्रांसफॉर्मर को छोड़कर, जैसा भी मामला हो, एवं इस तरह के कॉम्प्लेक्स के भीतर प्रत्येक उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन बिंदु तक नेटवर्क पहुँचाने की जिम्मेदारी उस विकासकर्ता/बिल्डर/सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी (सीजीएचएस) की होगी जिसने इस तरह के कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया हो। संबद्ध प्रोटेक्शन गियर तथा सहायक उपकरण सहित ऐसे ट्रांसफॉर्मर की लागत तथा अनुज्ञापी के छोर से इस तरह के 220 केवी/132 केवी/33 केवी/11 केवी लाईन का विस्तार करने की लागत का आंगणन वितरण अनुज्ञापी द्वारा वास्तविक आधार पर किया जाएगा तथा इस तरह की लागत विकासकर्ता/बिल्डर/सीजीएचएस द्वारा देय होगी, बशर्ते कि अतिरिक्त धनराशि कार्यों के पूर्ण होने पर, वसूली/वापसी के अधीन देय होगी।

परन्तु यह कि विकासकर्ता/निर्माता/सीजीएचएस के पास अनुज्ञापी द्वारा तैयार किये गये आंगणन सामग्री लागत व मजदूरी लागत, जिसमें स्थापना लागत सम्मिलित नहीं है, के 15 प्रतिशत की दर से पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करके स्वयं अनुज्ञप्तधारी ठेकेदार के माध्यम से संबंधित उपकरणों के साथ, ट्रांसफॉर्मर तथा अनुज्ञप्तिधारी के एलटी (एलटी नेटवर्क के विस्तार के मामले में)/एचटी/ईएचटी लाईनों के विस्तार का विकल्प होगा। अनुज्ञापी मांग नोट के साथ विस्तृत आंगणन की एक प्रति उपलब्ध करायेगा।

(2) विकासकर्ता/निर्माता/सीजीएचएस गारंटीकृत तकनीकी विवरण (जीटीपी)/परिसर के विद्युत नेटवर्क की ड्रॉइंग वितरण अनुज्ञापी को नीचे दिए गए क्लॉज (4) के अनुसार भार के अनुमोदन के लिए आवेदन करते समय प्रस्तुत करेगा तथा आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर/मल्टीप्लेक्स/मॉल/टाउनशिप आदि के भीतर अपेक्षित/पर्याप्त वितरण नेटवर्क समय–समय पर जारी किये गये केविप्रा सुरक्षा विनियमों, 2010 के अनुसार सृजित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

3) ऐसे विकासकर्ता द्वारा वितरण अनुज्ञापी को परिसर के भीतर सब–स्टेशन या पावर/वितरण ट्रांसफॉर्मर या पोल आदि की स्थापना के लिए भूमि निःशुल्क दी जाएगी।

(4) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए परिसर की योजना/ले–आउट के अनुसार अनुमोदित इकाइयों/अपार्टमेंट/दुकानों/निर्माण क्षेत्र/निर्मित क्षेत्र/मंजिलों की संख्या के आधार पर संचयी मानदंड भार की गणना **अनुलग्नक–IV** में दिए गए विवरण के अनुसार की जाएगी तथा आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर, मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि के भीतर स्थापित किये जाने वाले पावर ट्रांसफॉर्मर तथा/या वितरण ट्रांसफॉर्मर, जैसा भी मामला हो, की क्षमता, अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(5) जहां विकासकर्ता/निर्माता/सीजीएचएस, परियोजना पूर्ण होने के बाद कॉम्प्लैक्स के अन्दर के विद्युत नेटवर्क/संस्थापना व्यक्तिगत उपभोक्ता के संयोजन बिंदु तक वितरण अनुज्ञापी को सौंपने की इच्छा रखता हो, तो ऐसे मामलों में विकासकर्ता/निर्माता/सीजीएचएस, वितरण अनुज्ञापी को स्थापना लागत को छोड़कर आंगणित सामग्री लागत तथा श्रम लागत का 15 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करेगा। वितरण अनुज्ञापी द्वारा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए उपरोक्त विद्यमान अवसंरचना का आंगणन तैयार किया जाएगा, बशर्ते कि विद्यमान नेटवर्क/संस्थापन केविप्रा के विनियमों तथा मानकों के अनुरूप हो। इस तरह के कॉम्प्लैक्स के व्यक्तिगत उपभोगकर्ताओं को नए संयोजन की मांग के समय, वितरण अनुज्ञापी को प्रयोज्यता के आधार पर मात्र सेवा लाईन शुल्क तथा प्रारंभिक प्रतिभूति धनराशि का भुगतान उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) में दी गयी तालिका 3.4 से तालिका 3.7 के अनुसार करना होगा।

(6) जहां एकल बिंदु थोक आपूर्ति के प्रावधान उपलब्ध हैं, ऐसे कॉम्प्लैक्स के अंतर्गत व्यक्तिगत उपभोक्ता जो विकासकर्ता/बिल्डर/सीजीएचएस के नेटवर्क से जुड़े हों, वे आयोग द्वारा एकल बिंदु थोक आपूर्ति (एसपीबीएस) संयोजन के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

परन्तु यह कि, ऐसे कॉम्प्लैक्स के भीतर जहां विकासकर्ता/निर्माता/सीजीएचएस द्वारा एकल बिंदु थोक आपूर्ति (एसपीबीएस) संयोजन लिया गया हो तथा जिसका उपयोग मात्र घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हो, तो व्यक्तिगत उपभोक्ता/उपयोगकर्ता को ऐसे कॉम्प्लैक्स में घरेलू संयोजन सीधे वितरण अनुज्ञापी से लिये जाने हेतु प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इस तरह के संयोजन विकासकर्ता/निर्माता/सीजीएचएस द्वारा सृजित वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुये अधिमानतः प्री–पेड मीटर, जो वितरण अनुज्ञापी द्वारा प्रदान किया गया हो अथवा उपभोक्ता द्वारा केविप्रा मीटरिंग विनियमों के अनुसार क्रय किया गया हो, के माध्यम से जारी किए जाएंगे। एसपीबीएस संयोजन के बिल को अनुज्ञापी से सीधे संयोजन लेने वाले ऐसे व्यक्तिगत उपभोक्ता की मासिक ऊर्जा खपत द्वारा विधिवत समायोजित किया जाएगा। तथा यह भी, यदि वितरण अनुज्ञापी ऐसे कॉम्प्लैक्स के विद्युत बुनियादी ढांचे को अपने नियंत्रण में लेता है, तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी वितरण अनुज्ञापी के पास होगी तथा अन्य मामलों में विकासकर्ता/निर्माता/आरडब्ल्यूए/सीजीएचएस रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

3.7 आवेदन की वापसी/व्यपगत होना:

(1) यदि संयोजन के लिए आवेदन करने के पश्चात कोई व्यक्ति, अपना आवेदन वापस लेता है या आपूर्ति लेने से इनकार करता है या उसका आवेदन व्यपगत हो जाता है तो पंजीकरण–सह–प्रक्रमण शुल्क तथा तत्काल शुल्क, यदि कोई हो, जब्त कर लिया जाएगा तथा उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4 से 3.7 के अनुसार तथा उप–विनियम 3.4.3

के क्लॉज (7) की तालिका 3.10 के अनुसार आवेदक द्वारा जमा प्रभार राशि निम्नलिखित तालिका 3.13 में निर्दिष्टानुसार वापस कर दी जाएगी:

तालिका 3.13: आवेदन की वापसी/निरस्त होने पर लागू धनवापसी

1	यदि उस समय तक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा कार्य निष्पादन शुरू नहीं हुआ है।	संपूर्ण राशि वापस की जा सकती है।
2	जहां 50% से कम कार्य निष्पादित किया गया है।	50% राशि वापस की जा सकती है।
3	जहां 50% से अधिक और 75% तक कार्य निष्पादित किया गया है।	25% राशि वापस की जा सकती है।
4	जहां 75% से अधिक कार्य निष्पादित किए गए हैं।	शून्य

परन्तु, यह कि एलटी/एचटी/ईएचटी संयोजन के लिए आवेदक द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी।

आगे यह कि अस्थायी एलटी/एचटी/ईएचटी संयोजन के लिए, आवेदक द्वारा जमा की गई पूर्ण उपभोग प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी। यद्यपि, यदि कोई काम शुरू नहीं किया गया है, तो आवेदक द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण सामग्री प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी तथा अन्य मामलों में, सामग्री की किसी भी तरह की क्षति (जैसे मीटर, ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेटर) आदि यदि कोई हो, की कटौती के बाद तथा ध्वस्तीकरण शुल्क जो कि सामग्री प्रतिभूति का 10 प्रतिशत होगा, वापस कर दिया जाएगा।

(2) आवेदन की वापसी/आवेदन के इन्कार पत्र की प्राप्ति/आवेदन के व्यपगत होने के 30 दिनों के भीतर अनुज्ञापी द्वारा धनराशि वापस की जाएगी, इसके पश्चात् बैंक दर पर ब्याज देय होगा।

अध्याय 4: विद्यमान संयोजन

4.1 अनुबन्धित भार में वृद्धि/कमी हेतु प्रक्रिया

4.1.1 सामान्य

(1) अस्थायी संयोजन के मामले में भार में कोई वृद्धि/कमी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई अस्थायी संयोजन धारक भार को बढ़ाने/कम करने की इच्छा रखता है, तो वह विद्यमान अस्थायी संयोजन का समर्पण कर नये सिरे से आवेदन करेगा।

(2) स्थायी संयोजन रखने वाले उपभोक्ता कभी भी अपने अनुबन्धित भार को बढ़ा सकते हैं, हालांकि, अनुबन्धित भार में कमी की अनुमति वित्तीय वर्ष में केवल एक बार दी जाएगी।

(3) समान वोल्टेज स्तर पर भार में वृद्धि/कमी चाहने वाले उपभोक्ता **अनुलग्नक–VII** पर दिए गए फॉर्म में अनुज्ञप्तिधारी को आवेदन करेंगे, जो अनुज्ञापी के उप–खण्ड/खण्ड या किसी अन्य कार्यालय में नवीनतम बिल के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने पर निःशुल्क उपलब्ध कराया

जाएगा। इस फॉर्म को अनुज्ञापी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसकी फोटोकॉपी भी की जा सकती है।

(4) उपभोक्ता विद्यमान वोल्टेज स्तर के अलावा अन्य वोल्टेज स्तर पर भार में वृद्धि/कमी की मांग करता है, तो ऐसे मामलों में उपभोक्ता नए एलटी संयोजन के लिए **अनुलग्नक–II** तथा नये एचटी/ईएचटी संयोजन के लिये **अनुलग्नक–III** में दिए गए फॉर्म में वितरण अनुज्ञापी को आवेदन करेगा, जो अनुज्ञापी के उप–खण्ड/खण्ड या किसी अन्य कार्यालय से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस फॉर्म को अनुज्ञापी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसकी फोटोकॉपी भी की जा सकती है। उपभोक्ता से नवीनतम भुगतान किए गए बिल के प्रमाण के साथ विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी नए संयोजन के लिए लागू विनियमों के अनुसार आवेदन पत्र पर अग्रेतर कार्यवाही करेगा तथा प्रारंभिक प्रतिभूति राशि व साइट से वापस प्राप्त सामग्री जो पुनः प्रयोज्य है, के मूल्यह्रास लागत का वितरण अनुज्ञापी द्वारा विधिवत समायोजन किया जायेगा।

परन्तु ऐसे मामलों के लिए जहां एलटी से एचटी या इसके विपरीत, वोल्टेज में परिवर्तन होता है तथा भार में वृद्धि/कमी के उद्देश्य से उपभोक्ता के विद्यमान संस्थापित ट्रांसफॉर्मर को हटाया नहीं जाता है तो ऐसे मामलों में उपभोक्ता द्वारा जमा किए गए ट्रांसफॉर्मर के शुल्क का समायोजन नहीं किया जायेगा।

(5) उपभोक्ता अनुज्ञापी की वेबसाइट पर भार बढ़ाने/घटाने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन के मामले में, अनुज्ञापी का अधिकारी ऑनलाईन आवेदन पत्र की जॉच करेगा तथा यदि कोई कमी पायी जाती है, तो अनुज्ञापी इस सम्बंध में आवेदन दाखिल करने के 2 कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को ईमेल तथा एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा। इसके बाद, उपभोक्ता अगले 3 कार्य दिवसों के भीतर कमी को दूर करेगा, इसमें विफल रहने पर आवेदन व्यपगत हो जाएगा। विधिवत भरे हुए ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञापी तुरंत ऑनलाईन पावती जारी करेगा।

(6) एलटी संयोजन के लिए उप–विनियम 3.3.1 से उप–विनियम 3.3.3 तक तथा एचटी/ईएचटी संयोजन के लिए उप–विनियम 3.4.1 से उप–विनियम 3.4.3 तक नए संयोजन जारी करने के लिए के लिए जो प्रक्रिया व शर्तें निर्दिष्ट की गयी हैं वह अनुबन्धित भार में वृद्धि/कमी करने के लिये लागू होंगी तथा अनुबन्धित भार को बढ़ाने/घटाने में विलम्ब के लिये वितरण अनुज्ञापी, एलटी उपभोक्ता के मामले में विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए रु.100/– की दर से तथा एचटी/ईएचटी उपभोक्ता के मामले में विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए रु. 500/– जो अधिकतम रु.1,00,000/– होगा, द्वारा दंड स्वरूप भुगतान किया जायेगा।

(7) अनुज्ञापी पर लगाए गए जुर्माने का संज्ञान लिये बिना, यदि अनुज्ञापी उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी उपभोक्ता के अनुबन्धित भार को बढ़ाने/कम करने में विफल रहता है, तो वह विलम्ब

के प्रति दिन के लिये रू. 50/–, जो अधिकतम रु. 50,000/–होगा, के मुआवजे का भुगतान उपभोक्ता को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) एलटी संयोजन के लिए उप–विनियम 3.3.1 से उप–विनियम 3.3.3 तक तथा एचटी/ईएचटी संयोजन के लिए उप–विनियम 3.4.1 से उप–विनियम 3.4.3 तक जो प्रक्रिया व कार्य सम्पादन की औपचारिकतायें निर्दिष्ट की गयी हैं, के अनुसार वितरण अनुज्ञापी कार्यों को समय सीमा में पूरा करेगा। हालाँकि, यदि भार बढ़ाने/घटाने के लिए लाईन/सबस्टेशन में किसी भी फेरबदल की आवश्यकता नहीं होती है तो अनुबन्धित भार को एचटी/ईएचटी संयोजन के लिए 30 दिनों के भीतर तथा एल.टी. संयोजन के लिए आवेदन जमा करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर बढ़ाया या घटाया जाएगा।

(9) भार में वृद्धि की मांग करने वाला उपभोक्ता विद्यमान भार तथा ट्रांसफॉर्मर प्रभार, जैसा भी मामला हो, के लिए जमा प्रतिभूति राशि को समायोजित करने के बाद बढ़ाए गए भार के लिए प्रारंभिक प्रतिभूति का भुगतान, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, करेगाः

(a) **एल टी उपभोक्ताओं के लिए (75 किलोवाट भार तक)**

(i) यदि वृद्धि के बाद कुल भार 25 किलोवाट तक है तथा जहां एक ही वोल्टेज स्तर पर विद्यमान सर्विस लाईन/ओवरहेड या भूमिगत लाईन/उपकरण आदि की वृद्धि या प्रतिस्थापन आवश्यक है, तो उपभोक्ता उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.4, तालिका 3.5 तथा तालिका 3.7 के अनुसार मात्र सेवा लाईन के प्रभार का भुगतान करेगा जब कि अनुज्ञापी यदि आवश्यक हो तो विद्यमान ओवरहेड या भूमिगत लाईन/उपकरण के वितरण मेन तक वृद्धि या प्रतिस्थापन अपने स्वयं के खर्च पर करेगा।

(ii) यदि वृद्धि के बाद कुल भार 25 किलोवाट से अधिक तथा 75 किलोवाट तक है तथा जहां एक ही वोल्टेज स्तर पर विद्यमान सर्विस लाईन/ओवरहेड या भूमिगत लाईन/उपकरण आदि की वृद्धि या प्रतिस्थापन आवश्यक है, तो उपभोक्ता उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.6 के अनुसार सर्विस लाईन, ओवरहेड या भूमिगत लाईन तथा ट्रांसफॉर्मर (63 केवीए या 100 केवीए जैसा कि मामला हो) के प्रभार का भुगतान करेगा। जब कि अनुज्ञापी यदि आवश्यक हो तो विद्यमान 11 केवी ओवरहेड या भूमिगत लाईन/उपकरण को विद्यमान 11 केवी वितरण मेन तक वृद्धि या प्रतिस्थापन अपने स्वयं के खर्च पर करेगा।

(b) **एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं के लिए (75 किलोवाट से अधिक भार)**

(i) स्वतंत्र फीडर के मामले में, जहां एक ही वोल्टेज स्तर पर विद्यमान ओवरहेड या भूमिगत लाईन/उपकरण आदि की वृद्धि या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, तो उप–विनियम 3.4.3 के क्लॉज (7) की तालिका 3.10 के अनुसार उपभोक्ता द्वारा ओवरहेड या भूमिगत

लाईन/टर्मिनल उपकरणों, यदि आवश्यक हो, के लिए कार्य प्रभार का भुगतान करना होगा।

(ii) गैर–स्वतंत्र फीडर के मामले में, जहां एक ही वोल्टेज के स्तर पर विद्यमान ओवरहेड या भूमिगत लाईन/उपकरण आदि की वृद्धि या प्रतिस्थापन आवश्यक है, तो उप–विनियम 3.4.3 के क्लॉज (7) की तालिका 3.10 के अनुसार उपभोक्ता टर्मिनल उपकरण के लिए, यदि आवश्यक हो तो, कार्य प्रभार का भुगतान करेगा। जबकि, अनुज्ञापी अपनी लागत पर ओवरहेड या भूमिगत लाईन की वृद्धि या प्रतिस्थापन करेगा।

(10) यदि उपभोक्ता भार में कमी की मांग करता है तथा विद्यमान उपकरणों के प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है, तब उपभोक्ता, उप–विनियम 3.3.3 के क्लॉज (11) की तालिका 3.6 तथा उप–विनियम 3.4.3 के क्लॉज (7) की तालिका 3.10 जैसा भी मामला हो, उपकरण के लिए कार्य प्रभार का भुगतान करेगा। भार कम करने के लिए आवश्यक प्रतिभूति जमा तथा पहले से जमा प्रतिभूति के बीच के अंतर का समायोजन, अगले तीन बिलिंग चक्रों या 6 महीने के भीतर, जो भी पहले हो, बिलों में किया जाएगा।

(11) पुराने टर्मिनल उपकरणों को हटाने तथा अनुबन्धित भार में वृद्धि हेतु नए उपकरणों की स्थापना या एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं के लिए अनुबन्धित भार में कमी के लिए उक्त बिन्दु (9)(b) के अनुसार नए उपकरण तथा लेबर चार्जेज की आंगणित लागत के आधार पर भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। यह लेबर चार्जेज नए उपकरणों की लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

यह भी कि उप–विनियम 3.4.3 के क्लॉज (7) की तालिका 3.10 में निर्दिष्ट शुल्कों से अधिक, जैसा भी मामला हो, उपभोक्ता से नहीं लिया जायेगा तथा इस तरह के कार्य प्रभार से हटाए गए उपकरणों की मूल्यह्रास लागत, यदि उनकी लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की गई है तथा वे अनुज्ञापी द्वारा पुनः उपयोग करने योग्य हैं, से कम किये जाएंगे।

आगे यह भी कि इन चार्जेज का समायोजन उप–विनियम 3.4.3 के क्लॉज (20) के अनुसार जारी किए गए मांग नोट में किया जाएगा।

(12) भार में कमी के अनुरोध पर विचार करते समय, अनुज्ञापी पहले उक्त उपभोक्ता की वास्तविक खपत का विवरण सत्यापित करेगा। यदि वास्तविक खपत के प्रतिरूप से यह इंगित होता है कि विगत चार महीनों में वास्तव में उपयोग किया जाने वाला भार मांग की तुलना में अधिक है, तो मांग में कमी की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा आवेदक को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा। उदाहरणः

उन संस्थापनों के लिए जहां एमडीआई के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीटर संस्थापित किये गये हैं:

भार श्रेणी	*औद्योगिक*
स्वीकृत भार	*50 केवीए*
भार में कमी पर आवेदित भार	*35 केवीए*
पिछले 04 महीनों में अधिकतम मांग	*40 केवीए*

चूंकि एमडीआई द्वारा इंगित पिछले 04 माह में अधिकतम माँग आवेदित भार से अधिक थी, अतः भार में कमी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उन संस्थापनों के लिए जहां मीटर के साथ एमडीआई नहीं है :

भार श्रेणी	*घरेलू*
स्वीकृत भार	*7 केडब्ल्यू*
भार में कमी पर आवेदित भार	*4 केडब्ल्यू*
पिछले 04 महीनों में अधिकतम मासिक उपभोग	*600 केडब्ल्यूएच*
घरेलू श्रेणी के लिए मानक उपयोग	*100 केडब्ल्यूएच/केडब्ल्यू*
मानक उपयोग पर भार की गणना	*600/100 = 6 केडब्ल्यू*

चूंकि पिछले 04 महीनों के दौरान मानक उपयोग के आधार पर गणना किया गया भार आवेदित भार से अधिक है, अतः भार में कमी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

** टैरिफ आदेश के अनंतिम बिलिंग के आधार पर दर्शाए मानक उपभोग ।*

परन्तु पिछले 04 महीनों के लिए वास्तविक भार/खपत प्रतिरूप के आधार पर एक बार भार में कमी की अनुमति दी गई हो, तो भविष्य में आवश्यकता होने पर भार में वृद्धि को इस तरह की कमी की तिथि से 06 महीने के बाद की ही अनुमति दी जाएगी।

यदि भार में वृद्धि/कमी के लिए आपूर्ति प्रकार में एलटी से एचटी/ईएचटी या इसके विपरीत में परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो संबंधित नियमों के प्रावधान वृद्धि/घटाए गए भार की प्रकृति के आधार पर लागू होंगे।

(13) उपभोक्ता 0.4 केवी या 11 केवी या 33 केवी पर अनुबन्धित भार रखता है, अनुबन्धित मांग का उल्लंघन करता है तथा भार में इस तरह का उल्लंघन उच्च वोल्टेज स्तर के दायरे में आता है, उपभोक्ता अधिकतम मांग उल्लंघन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, हालांकि, यदि ऐसा उल्लंघन अनुबन्धित भार के 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर है, तो अनुज्ञापी उपभोक्ता को आपूर्ति वोल्टेज बढ़ाने के लिए मजबूर नहीं करेगा।

4.2. अतिरिक्त प्रतिभूति जमा

(1) गत वर्ष की 31 मार्च को जमा अवशेष प्रतिभूति 'विद्यमान प्रतिभूति धनराशि' के रूप में जमा होगी। उपभोक्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के 'N' + 1 महीने की अनुमानित औसत उपयोग के बराबर या अनुज्ञापी के पास विद्यमान जमा प्रतिभूति, जो भी अधिक हो, को किसी भी देरी या विलम्ब के लिए भुगतान के विपरीत प्रतिभूति (आवश्यक प्रतिभूति जमा) के रूप में रखना आवश्यक है। यहां 'N' पूर्ववर्ती वर्ष के लिए लागू टैरिफ आदेश में अनुमोदित बिलिंग चक्र में महीनों की संख्या है।

(2) अनुज्ञापी प्रतिभूति जमा की पर्याप्तता के लिए उपभोक्ता के पिछले वर्ष के अप्रैल से मार्च तक किये गये उपभोग की समीक्षा करेगा। विद्यमान प्रतिभूति जमा के ऊपर यदि आवश्यक प्रतिभूति जमा तक धनराशि की आवश्यकता हो तो यह अतिरिक्त प्रतिभूति जमा होगी। अतिरिक्त प्रतिभूति जमा का निर्धारण अप्रैल माह में प्रतिवर्ष एक बार किया जाएगा तथा इसे अगले बिल में दर्शाया जाएगा। इस तरह परिलक्षित राशि उपभोक्ता द्वारा नकद/डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी या वितरण अनुज्ञापी द्वारा स्वीकार किए गए किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से जमा की जाएगी।

(3) जहां अतिरिक्त प्रतिभूति जमा, वर्तमान प्रतिभूति जमा का 10 प्रतिशत है, वहां अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा। पिछले वर्ष के 31 मार्च तक वर्तमान प्रतिभूति जमा पर अर्जित ब्याज वर्तमान प्रतिभूति जमा में जोड़ा जाएगा तथा यह चालू वर्ष के लिए वर्तमान प्रतिभूति जमा हो जाएगा।

(4) जहां अतिरिक्त प्रतिभूति जमा वर्तमान प्रतिभूति जमा के 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां पिछले वर्ष के 31 मार्च तक वर्तमान प्रतिभूति जमा पर अर्जित ब्याज वर्तमान प्रतिभूति जमा में जोड़ा जाएगा तथा अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के विपरीत शेष राशि की मांग उपभोक्ता से की जाएगी।

(5) जहां उपरोक्त क्लॉज (1) के अनुसार विद्यमान प्रतिभूति जमा की गणना करने पर आवश्यक विद्यमान प्रतिभूति जमा, प्रतिभूति जमा के बराबर या अधिक पायी जाती है, तो ऐसे प्रकरणों में विद्यमान प्रतिभूति जमा पर पिछले वर्ष 31 मार्च तक कमाया गया ब्याज, उपभोक्ता को चालू वर्ष की 31 जुलाई तक उसके विद्युत बिल में समायोजित कर वापस किया जाएगा।

(6) प्रत्येक उपभोक्ता के बिल में अनुज्ञापी के पास उपलब्ध प्रतिभूमि जमा को दर्शाया जाएगा।

(7) अतिरिक्त प्रतिभूति जमा राशि को बिल विवरणों/मापदंडों में एक अलग प्रविष्टि के रूप में दिखाया जाएगा। अतिरिक्त प्रतिभूति जमा के विपरीत देय राशि के भुगतान में डिफॉल्ट को अनुज्ञापी के बकाया का भुगतान न करने के रूप में माना जाएगा तथा इन विनियमों के विनियम 6.1 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की बकाया राशि पर कोई विलंब भुगतान अधिभार/विलंबित भुगतान अधिभार लागू नहीं होगा।

4.3. संयोजन का अन्तरण

संयोजन को एक परिसर से दूसरे परिसर में स्थानान्तरण/परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसे मामलों में, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किया जाएगा तथा नए परिसर के लिए एक अलग नया संयोजन जारी किया जाएगा।

अनुज्ञापी उसी परिसर में संयोजन के हस्तांतरण से संबंधित आवेदन पर निम्नानुसार कार्यवाही करेगा:

4.3.1 संपत्ति के स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन

(1) आवेदक भुगतान किये गये नवीनतम बिल की प्रति के साथ, इन विनियमों के **अनुलग्नक–VII** में निर्दिष्ट प्रारूप में उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन करेगा। संपत्ति का विधिपूर्ण

स्वामित्व/कब्जे का साक्ष्य दिखाने पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदक के नाम में प्रतिभूति के अन्तरण के मामलों, परिसर के पिछले कब्जाधारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा फर्मों/कंपनियों के मामले में उचित प्राधिकारी से विलय/डिमर्जर का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद दो माह के भीतर उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन किया जाएगा। इसके बाद, अनुज्ञापी आवेदक को ईमेल/मोबाइल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नाम में परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा। संपत्ति पर कोई भी पुराने देय, अधिनियम की धारा 56 (2) के उपबन्धों के अनुसार नये उपभोक्ता द्वारा देय होगें।

(2) यदि पिछले कब्जाधारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा नहीं किया जाता है तो नाम परिर्वतन के आवेदन पर तभी विचार किया जायेगा जब विनियम में नियत प्रतिभूति जमा का फिर से भुगतान किया जाएगा। तथापि, ब्याज सहित मूल प्रतिभूति जमा की वापसी दावेदार को दावा प्रस्तुत करने पर ही की जाएगी।

(3) यदि उक्त दो महीनों के भीतर उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन नहीं होता है, तो उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007, समय–समय पर संशोधित, में विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति का भुगतान अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।

4.3.2 उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अन्तरण:

(1) उपभोक्ता के नाम के परिर्वतन के लिए आवेदक, उचित रूप से भुगतान किये गये नवीनतम बिल की प्रति के साथ, इन विनियमों के **अनुलग्नक–VII** में निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करेगा। कानूनी वारिस होने के विधिक साक्ष्य, जैसे पंजीकृत वसीयतनामा, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, नगरपालिका/भूमि अभिलेखों में म्यूटेशन आदि दिखाने पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आवेदन स्वीकार होने के बाद दो महीने के भीतर उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन किया जाएगा। इसके बाद, अनुज्ञापी आवेदक को ईमेल/मोबाइल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नाम के परिर्वतन के बारे में सूचित करेगा। संपत्ति पर कोई भी पुराने देय, अधिनियम की धारा 56 (2) के उपबन्धों के अनुसार नये उपभोक्ता द्वारा देय होगें।

(2) यदि उक्त दो महीनों के भीतर उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन नहीं होता है, तो उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007, समय–समय पर संशोधित, में विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति का भुगतान अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।

4.4 श्रेणी में परिवर्तन

(1) आवेदक इन विनियमों में नई श्रेणी के परिवर्तन के लिए विनिर्दिष्ट **अनुलग्नक–VII** पर निर्दिष्ट प्रारूप में देय प्रभारों के समायोजन के साथ आवेदन करेगा।

(2) यदि किसी प्रवृत्त कानून के तहत नयी श्रेणी की स्वीकृति की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो अनुज्ञापी आवेदन की तिथि से 10 दिवसों के भीतर आवेदक को इसकी सूचना देगा।

(3) अनुज्ञापी, सत्यापन के लिये परिसर का निरीक्षण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 5 दिनों के भीतर करेगा तथा आवेदन फॉर्म की प्राप्ति की तिथि से दो महीने के भीतर श्रेणी को परिवर्तित करेगा। इसके बाद, अनुज्ञापी आवेदक को ईमेल/मोबाइल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से श्रेणी परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा।

(4) श्रेणी का परिवर्तन, आवेदन की स्वीकृति की तिथि से प्रभावी होगा। परिवर्तित श्रेणी के तहत बिलिंग आवेदन की स्वीकृति की तिथि से शुरू होगी। यदि उपरोक्त क्लॉज (3) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर श्रेणी में परिवर्तन नहीं होता है, तो विद्युत के अनधिकृत उपयोग का उपभोक्ता उत्तरदायी नहीं होगा तथा यदि ऐसे विलम्ब के कारण उपभोक्ता को कोई क्षति होती है तो उसे क्षतिपूर्ति का भुगतान उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007, समय–समय पर संशोधित, में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञापी द्वारा किया जाएगा।

(5) पी.टी.डब्ल्यू. संयोजनों के लिए श्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा तथा पी.टी.डब्ल्यू. संयोजनों के लिए समर्पित फीडर से किसी अन्य श्रेणी के लिए कोई संयोजन जारी नहीं किया जाएगा।

अध्याय 5: मीटरिंग व बिलिंग

5.1. मीटरिंग

5.1.1 सामान्य

(1) बिना मीटर के किसी संस्थापन को सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। सभी मीटर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006/उविनिआ (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 एवं समय–समय पर संशोधित, के अंतर्गत मीटरिंग संचार तथा डेटा अधिग्रहण आवश्यकताएँ (एमसीडीएआर), में नियत की गयी अपेक्षाओं की पुष्टि करेगें। एमसीडीएआर में कोई भी परिवर्तन एमसीडीएआर समिति की संस्तुति पर आयोग की स्वीकृति के आधार पर होगा।

बशर्ते कि इस संबंध में एमसीडीएआर समिति की संस्तुति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन एवं प्रचालन) विनियम, 2006, यथा संशोधित तथा वैधानिक रिपोर्टों/दस्तावेजों/नियमों के अनुरूप हो।

(2) अनुज्ञापी, नए संयोजन को सक्रिय करने या मीटर के प्रतिस्थापन के लिए उपरोक्त पैरा (1) में संदर्भित केविप्रा विनियमों का अनुपालन करते हुए मीटरों का उपयोग करेगा। यदि उपभोक्ता, इच्छुक हो तो वह उपरोक्त पैरा (1) में संदर्भित केविप्रा विनियमों की पुष्टि करते हुए अनुज्ञापी द्वारा अनुमोदित मेक तथा स्पेशिफिकेशन्स सूची के अनुसार मीटर क्रय कर सकता है, किन्तु अनुज्ञप्तिधारी मीटरों का परीक्षण, संस्थापन करेगा व सील लगाएगा।

(3) अनुज्ञापी को उपभोक्ता के परिसर या परिसर के बाहर जैसे कि पोल/परिसर की सीमा आदि में मीटर स्थापित करने का विकल्प होगा। जहां मीटर उपभोक्ता के परिसर के बाहर स्थापित किये गये हैं, वहां मीटर की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी अनुज्ञापी की होगी। जहां मीटर उपभोक्ता के परिसर के भीतर लगाए गये हैं, वहां मीटर की सुरक्षित अभिरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी। परन्तु जहां अनुज्ञापी उपभोक्ता के परिसर के बाहर मीटर स्थापित करता है, तो उपभोक्ता के अनुरोध पर अनुज्ञापी उपभोक्ता के परिसर में वास्तविक समय प्रदर्शन इकाई/होम डिस्प्ले यूनिट, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत की जानकारी को इंगित करने के लिए, आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित दरों पर भुगतान के आधार पर स्थापित करेगा। यद्यपि, बिलिंग के उद्देश्य के लिए उपभोक्ता के मीटर की रीडिंग मान्य होगी, न कि डिस्प्ले यूनिट की।

(4) उपभोक्ता मीटर की स्थापना के लिए उपयुक्त तथा पर्याप्त स्थान या तो प्रवेश द्वार पर या परिसर के बाहर, इस तरह से प्रदान करेगा कि वह मीटर रीडर अथवा उसके प्रतिनिधियों के लिए सदैव सुलभ हो तथा इस उद्देश्य के लिये मीटर रीडर को परिसर को खुलवाना या खोलने की आवश्यकता न हो।

(5) बहुमंजिला इमारतों के प्रकरणों में, मीटर अधिमानतः भूतल पर उचित हवादार तथा पर्याप्त रोशनी वाले स्थान पर स्थापित किए जाएंगे।

(6) मीटर के रख–रखाव तथा उसे प्रत्येक समय कार्यशील अवस्था में रखने की जिम्मेदारी अनुज्ञापी की होगी।

(7) मीटर का प्रारंभिक अधिष्ठापन तथा प्रतिस्थापन अनुज्ञापी द्वारा एक सप्ताह का नोटिस देकर उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा। प्रारंभिक अधिष्ठापन तथा प्रतिस्थापन के समय अनुज्ञापी सीलिंग प्रमाण पत्र (पहली प्रति) में मीटर के विवरण अभिलिखित करेगा, जिस पर अनुज्ञापी तथा उपभोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जाएंगे, जिसे उपभोक्ता की मास्टर फाइल में रखा जाएगा। सीलिंग प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति मीटर के अधिष्ठापन के समय उचित रसीद के साथ उपभोक्ता को जारी की जाएगी। सीलिंग प्रमाण पत्र की तीसरी तथा चौथी प्रति संबंधित उप–खण्डीय/खण्डीय कार्यालय में जमा की जाएगी। मीटर की सील, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन तथा प्रचालन) विनियम, 2006 के विनियम (12) यथा संशोधित, के अनुसार लगाई जायेगी।

(8) अनुज्ञापी प्रभावी मीटरिंग तथा आगे की गतिविधियों के लिए, विश्वसनीय इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की ऑनलाईन कनेक्टिविटी के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों के कार्यालयों में रखे गए अपने सिस्टम (हार्डवेयर्स तथा सॉफ्टवेयर्स सहित) का उचित संचालन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, अनुज्ञापी एक महीने में काम के घंटों के दौरान अपनी ऑनलाईन सेवाओं के सक्रिय रहने की अवधि/उपलब्धता को कम से कम 95 प्रतिशत सुनिश्चित करेगा तथा अनुज्ञापी द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ सेवा स्तर के समझौते को निष्पादित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

5.1.2 मीटर का पढ़ना:

(1) मीटरों को प्रत्येक बिलिंग चक्र में एक बार पढ़ा जाएगा। मीटर रीडिंग को केवल इस उद्देश्य के लिए अनुज्ञापी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही पढ़ा/अभिलिखित किया जाएगा।

(2) अनुज्ञापी सभी मीटर रीडर्स को उचित फोटो पहचान पत्र जारी करेगा तथा मीटर रीडर्स, मीटर रीडिंग के दौरान फोटो पहचान पत्र साथ रखेगें।

(3) अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि मीटर, स्पॉट बिलिंग मशीन (एस बी एम) या किसी भी अन्य नवीनतम उपकरण के माध्यम से नियमित रूप से पढ़ा जाएगा तथा बिलों को मौके पर ही जारी किया जाएगा व भौगोलिक रूप से मैदानी क्षेत्रों के लिए बिल जनरेट करने के 3 दिनों तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 5 दिनों के भीतर बिल की अपलोडिंग सुनिश्चित की जाएगी। जहाँ ऑटोमैटिक मीटर रीडिंग (AMR)/एडवान्स्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (AMI) आधारित मीटरिंग सिस्टम स्थापित है, वहां अनुज्ञापी बिल जनरेशन की तिथि को ही अपनी वेबसाइट पर बिल अपलोड करेगा।

(4) जहां मीटर उपभोक्ता के परिसर के भीतर है, उपभोक्ता मीटर रीडिंग के लिए अनुज्ञापी को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।

(5) टाइम ऑफ डे (ToD) मीटर्स जहाँ कहीं लगाए गये हैं वहां उन्हें केवल मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (MRI) द्वारा पढ़ा जाएगा। यह अनुज्ञापी के मीटर पढ़ने वाले कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह इलैक्ट्रॉनिक मीटर्स की एलईडी की जांच करे । यदि इलैक्ट्रॉनिक मीटर्स पर लगाया गया (ई/एल) अर्थ लीकेज एलईडी संकेतक "ऑन" पाया जाता है तो वह उपभोक्ता को सूचित करेगा कि परिसर में कहीं लीकेज है तथा उसे सलाह देगा कि अपनी वायरिंग की जांच करवाकर लीकेज दूर करवा ले। वह अनुज्ञापी के संबंधित अधिकारी को भी लीकेज की सूचना देगा।

(6) जहां किसी उपभोक्ता की अनुपलब्धता (एनए) के कारण मीटर पढ़ा नहीं जा सका है तो अनुज्ञापी, जिस तिथि को उपभोक्ता के परिसर पर मीटर रीडिंग लेने गया था, तथा ऐसा करने में सक्षम नहीं होने का कारण इंगित करते हुए पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के आधार पर एक अस्थायी बिल जारी करेगा। जब कभी मीटर पढ़ा जाएगा तो ऐसे सभी बिलों का उचित रूप से समायोजन किया जाएगा। इस तरह की अनंतिम बिलिंग एक समय में लगातार दो बार से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए जारी नहीं रखी जाएगी तथा उसके बाद कोई अनंतिम बिल जारी नहीं किया जाएगा।

(7) यदि लगातार दो मीटर रीडिंग की तिथियों पर मीटर पर पहुंच नहीं हो पा रही है तो अनुज्ञापी तिथि तथा समय इंगित करते हुए मीटर रीडिंग लेने के लिए परिसर को खुला रखने का 15 दिन का स्पष्ट नोटिस, उचित रसीद को प्राप्त कर, उपभोक्ता को देगा। यदि उपभोक्ता नोटिस का अनुपालन नहीं करता है, तो अनुज्ञापी नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, जब तक ऐसी मनाही या विफलता जारी रहे, तब तक के लिए आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

(8) जब कोई उपभोक्ता परिसर से निरंतर अनुपस्थिति के कारण अनुज्ञापी को मीटर पर पहुंच न हो पाने के सम्बंध में पूर्व लिखित सूचना देता है तो अनुज्ञापी, उपभोक्ता को कोई नोटिस/अनंतिम बिल नहीं भेजेगा, बशर्ते कि उपभोक्ता अनुपस्थिति की अवधि के दौरान अपने भुगतान के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि अग्रिम रूप से जमा करे। अनुज्ञापी प्रत्येक बिलिंग चक्र के बाद इस प्रकार जमा राशि का समायोजन विद्युत देयकों के सापेक्ष करेगा। यह सुविधा किसी भी उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होगी यदि वह ऐसा चाहे तथा अग्रिम राशि जमा करने के लिए उपभोक्ता विनियम के **अनुलग्नक–IX** में निर्दिष्ट प्रारूप पर अनुज्ञापी को आवेदन कर सकता है।

(9) यदि उपभोक्ता चाहता है कि विशेष रीडिंग ली जाए तो अनुज्ञापी द्वारा लागू टैरिफ आदेश के अनुसार विविध शुल्क का भुगतान प्राप्त कर इसकी व्यवस्था की जाएगी।

(10) अनुज्ञापी यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी रीडिंग न लेने (NR) का नया मामला उसके बिलिंग डेटा बेस में न जोड़ा जाए। अनुज्ञापी ऐसे प्रकरणों की पहचान के लिए अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करेगा तथा लगातार 2 से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए अनंतिम बिलिंग के ऐसे मामलों को उच्च अधिकारियों को उजागर करेगा।

(11) जहाँ कहीं भी मोबाइल की वैश्विक प्रणाली (जीएसएम)/जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) /एडवान्स्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) आधारित स्वचालित मीटर रीडिंग की जा रही हो, अनुज्ञापी ऐसे उपभोक्ताओं की रीडिंग का भौतिक सत्यापन, जिसका अंतर छः माह से अधिक न हो, करेगा।

5.1.3 मीटरों का परीक्षण

(1) अनुज्ञापी की मीटर परीक्षण प्रयोगशालायें एनएबीएल से मान्यता प्राप्त होंगी या वह अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं की सेवाएं तब तक ले सकेगा जब तक कि उसकी प्रयोगशालायें एनएबीएल से मान्यता प्राप्त न हो जाएं।

(2) सभी मीटर परीक्षण प्रयोगशालाओं में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली होगी।

(3) अनुज्ञापी मीटरों का आवधिक निरीक्षण/परीक्षण तथा अंशांकन निम्न लिखित तरीके से करेगा:

मीटर परीक्षण की आवर्तिता — अनुज्ञापी नियमित मीटर परीक्षण के लिए नीचे दी गयी तालिका 5.1 के अनुसार समय—सीमा का पालन करेगा:

तालिका 5.1 — मीटर परीक्षण की आवर्तिता

श्रेणी	परीक्षण का अन्तराल
थोक आपूर्ति मीटर्स (एचटी)	1 वर्ष
एलटी मीटर्स	5 वर्ष

सीटी अनुपात तथा सीटी/पीटी की परिशुद्धता, जहां—कहीं भी लागू हो, मीटर के साथ परीक्षित की जाएगी।

परन्तु पी.टी.डब्ल्यू. संयोजनों पर स्थापित मीटरों के परीक्षण की आवर्तिता कम से कम 2 वर्ष में एक बार होगी।

(4) यदि उपभोक्ता मीटर की परिशुद्धता के संबंध में विवाद उत्पन्न करता है तो वह ऐसी शिकायत/नोटिस देकर तथा प्रचलित टैरिफ आदेश में दिए गए शुल्क के अनुसार निर्धारित परीक्षण शुल्क का भुगतान कर अनुज्ञापी द्वारा मीटर का परीक्षण करवा सकता है।

यदि, परीक्षण के बाद, मीटर खराब पाया जाता है या गलत रीडिंग दे रहा है या तकनीकी कारणों से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस के लिए अनुज्ञापी जिम्मेदार है तो मीटर के परीक्षण के लिए जमा किए गए शुल्क को विद्युत बिलों में समायोजित कर वापस कर दिया जाएगा। यदि मीटर सही पाया जाता है तो अनुज्ञापी ऐसी फीस वापस नहीं करेगा।

(5) अनुज्ञापी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार मीटर का परीक्षण करवाएगा तथा उपभोक्ता को उचित रूप से अधिकृत परिणाम प्रस्तुत करेगा। उपभोक्ता को कम से कम दो दिन पहले परीक्षण की प्रस्तावित तिथि तथा समय की सूचना दी जाएगी।

परन्तु जहां अनुज्ञापी ऊर्जा की खपत के सत्यापन के लिए परीक्षण के तहत मीटर के साथ एक परीक्षण/चेक मीटर स्थापित करता है, ऐसे मामलों में अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ता को पहले ऐसे परीक्षण/चेक मीटर की वैध परीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करना आवश्यक होगा।

(6) अनुज्ञापी की मीटर परीक्षण टीम, परीक्षण करने के लिए पर्याप्त क्षमता के प्रतिरोधक भार के साथ परीक्षण करना सुनिश्चित करेगी। मीटर का परीक्षण एक केडब्ल्यूएच की न्यूनतम खपत के लिए किया जाएगा। पल्स की गणना के लिए उपयुक्त स्कैनर का उपयोग किया जाएगा। मीटर परीक्षण की रिपोर्ट **अनुलग्नक–VIII** में दिए गए प्रारूप में होगी।

(7) यदि कोई उपभोक्ता स्थापित मीटर के परीक्षण से संतुष्ट नहीं है या अनुज्ञापी द्वारा साईट पर मीटर का परीक्षण नहीं किया जा सकता है तो मीटर को हटा दिया जाएगा तथा छेड़छाड़ के सबूत, विशेष मीटर सील किट बैग में प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजने की व्यवस्था अनुज्ञापी द्वारा की जाएगी तथा एक मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला से विधिवत परीक्षित मीटर को ऐसे उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किया जाएगा। इस स्थिति में, अनुज्ञापी या उपभोक्ता को संदेह होता है कि मीटर तथा/या उसकी सील से छेड़छाड़ हुयी है तो अनुज्ञापी तथा उपभोक्ता संयुक्त रूप से मीटर की पैकिंग को सील करेंगे। यदि उपभोक्ता चाहे तो उक्त सील तोड़ने तथा प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान वह उपस्थित रह सकता है।

(8) अनुज्ञापी विभिन्न चरणों जैसे कि मीटर की वर्तमान स्थिति, मीटर हटाने की प्रक्रिया, उपभोक्ता परिसर में टैम्पर प्रूफ विशेष मीटर सीलिंग किट बैग में सीलिंग तथा टेस्ट बेंच पर मीटर की स्थापना के साथ परीक्षण लैब में विशेष मीटर सीलिंग किट खोलने, तथा मीटर को विघटित कर मीटर के हिस्सों को खोलने की विडियोग्राफी सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञापी द्वारा प्रत्येक उप–खण्ड में इन विनियमों की प्रयोज्यता के छह महीने के भीतर टैम्पर प्रूफ विशेष मीटर सीलिंग किट बैग्स की व्यवस्था की जाएगी।

(9) अनुज्ञापी की प्रयोगशाला में परीक्षण के उद्देश्य से उपभोक्ता परिसर से निकाले गए मीटर के परीक्षण के मामले में, उपभोक्ता को परीक्षण की तिथि की अग्रिम सूचना दी जाएगी।

(10) जब मीटर पाया जाता है कि:–

(a) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से परे तेज है तो अनुज्ञापी परीक्षण करने के 15 दिनों भीतर त्रुटिपूर्ण मीटर को बदलेगा/सुधार करेगा। अनुज्ञापी, उपभोक्ता की शिकायत की तिथि से पहले या मीटर के पिछले परीक्षण की तिथि या मीटर स्थापना की अवधि जो अधिकतम 12 महीने या उससे कम की होगी, प्रतिशत त्रुटि के आधार पर, उक्त त्रुटि के फलस्वरूप जमा करायी गई अधिक राशि का समायोजन/रिफंड, उस तिथि तक का जिस तिथि तक त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दिया गया हो/ठीक कर दिया गया हो, करेगा।

(b) भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्दिष्ट अनुमेय सीमाओं से परे धीमी गति तथा उपभोक्ता के परीक्षण की परिशुद्धता के संबंध में विवाद उत्पन्न नहीं करने की दशा में, परीक्षण के 15 दिनों के भीतर त्रुटिपूर्ण मीटर का प्रतिस्थापन/सुधार करेगा। उपभोक्ता मीटर की प्रतिशत त्रुटि के आधार पर, पिछली अवधि या परीक्षण की तिथि से पहले परीक्षण की तिथि के आधार पर अधिकतम 12 महीने या उससे कम नहीं, की अधिकतम अवधि के लिए, सामान्य दरों पर त्रुटिपूर्ण मीटर प्रतिस्थापन/सुधार की तिथि तक के लिये अंतर का भुगतान करेगा।

(11) जहां कहीं भी मीटर का परीक्षण किया जाय, उपभोक्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, यदि उपस्थित हों तो उनके हस्ताक्षर परीक्षण रिपोर्ट पर प्राप्त किये जाएगें तथा उसकी एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान की जाएगी।

(12) यदि उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना करता है या इसे विवादित बताता है, तो त्रुटिपूर्ण मीटर को प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा तथा मामले में, या तो (a) उपभोक्ता के आवेदन पर सी.जी.आर.एफ. या विद्युत निरीक्षक या किसी भी अधिकृत तीसरे पक्ष, जो मीटर की परिशुद्धता का परीक्षण करेगा तथा एक महीने के भीतर परिणाम देगा या (b) अनुज्ञापी के आवेदन पर, विद्युत निरीक्षक या किसी भी अधिकृत तीसरे पक्ष द्वारा जो मीटर की परिशुद्धता का परीक्षण करेगा तथा एक महीने के भीतर परिणाम देगा, के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

विद्युत निरीक्षक या सी.जी.आर.एफ. या ऐसे अधिकृत तीसरे पक्ष का निर्णय, जैसा भी हो, अनुज्ञापी के साथ ही उपभोक्ता के लिए अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। अनुज्ञापी ऐसे सभी मीटर परीक्षणों का अभिलेख रखेगा तथा प्रत्येक 6 महीने में अपवाद रिर्पोट आयोग को प्रस्तुत करेगा।

5.1.4 रिकॉर्डिंग न करने वाला मीटरः

(1) यदि उपभोक्ता की रिपोर्ट के अनुसार, मीटर दर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है/अटक गया है तो अनुज्ञापी, शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मीटर की जांच करेगा तथा यदि यह प्रदर्शित नहीं कर रहा है/रिकॉर्ड नहीं कर रहा है /अटक गया है या त्रुटिपूर्ण (आई.डी.एफ.) पाया जाता है तो इसके पश्चात 15 दिन के भीतर अनुज्ञापी द्वारा मीटर को, बदल दिया जाएगा।

(2) जहां अनुज्ञापी को यह पता चले कि पिछले एक बिलिंग चक्र के लिए मीटर कोई उपभोग रिकॉर्ड नहीं कर रहा है या त्रुटिपूर्ण (ए.डी.एफ.) प्रतीत होता है तो वह उपभोक्ता को ईमेल, एस.एम.एस. आदि के द्वारा सूचित करेगा। इसके बाद, अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर मीटर की जांच करेगा तथा यदि मीटर अटक हुआ/रुका हुआ/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मीटर को 15 दिनों के भीतर बदल दिया जाएगा।

(3) जहां अनुज्ञापी को यह पता चले कि वर्तमान रीडिंग पिछली रीडिंग से कम है (आर.डी.एफ.) जो कि संभवतः वर्तमान रीडिंग वास्तविक से कम होने के कारण है या पिछली रीडिंग वास्तविक या पुराने मीटर से अधिक है या पुराने मीटर को नए मीटर से बदल दिया गया है। अनुज्ञापी 30 दिन के भीतर इसकी जांच करेगा तथा त्रुटिपूर्ण पाये गये मीटर को 15 दिवसों के भीतर बदलेगा अन्यथा अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए डेटा बेस में सुधार करेगा।

5.1.5 जले हुए मीटरः

(1) यदि उपभोक्ता की शिकायत पर या अन्यथा, अनुज्ञापी द्वारा निरीक्षण करने पर मीटर जला पाया जाता है तो वह भविष्य में होने वाले नुकसान को टालने के लिए यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि स्थल पर उपचारक कार्यवाही कर दी गयी है, जले हुए मीटर को बाईपास करके शिकायत प्राप्त करने के 6 घंटे के भीतर संयोजन को बहाल कर देगा। अनुज्ञापी द्वारा 3 दिवसों के भीतर नया मीटर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) अनुज्ञापी, साईट/उपभोक्ता के परिसर से जले हुए मीटर को हटवाएगा तथा इसका परीक्षण करेगा। यदि परीक्षण के परिणाम से यह स्थापित हो जाता है कि मीटर तकनीकी कारणों, जैसे कि वोल्टेज में उतार–चढ़ाव, ट्रांजिएन्ट्स इत्यादि, के कारण जला है जो कि प्रणाली के अवरोधों के कारण है, तो मीटर की लागत अनुज्ञापी वहन करेगा।

(3) यदि उपभोक्ता के अधिष्ठापन के निरीक्षण तथा इसके पश्चात् मीटर के परीक्षण से यह स्थापित होता है कि मीटर उपभोक्ता की त्रुटि के कारण जला है, जैसे छेड़छाड़, उपभोक्ता की स्थापना में त्रुटि, उपभोक्ता द्वारा अनधिकृत भार का संयोजन आदि, तो उपभोक्ता नए मीटर की लागत का भुगतान करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुज्ञापी द्वारा उचित कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

(4) यदि मीटर जला हुआ पाया जाता है तथा यह विश्वास करने का कारण है कि मीटर के प्रतिस्थापन के लंबित रहने पर अनुज्ञापी के कर्मचारी द्वारा सीधा संयोजन प्रदान किया गया था तो विद्युत की चोरी का मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। जले हुए मीटर के प्रतिस्थापन के लिए उपभोक्ता की शिकायत या विद्युत की आपूर्ति में व्यवधान के बारे में शिकायत को इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना जाएगा।

5.1.6 मीटर की चोरी

(1) यदि किसी उपभोक्ता के परिसर में स्थापित मीटर चोरी होने की सूचना दी जाती है तथा उपभोक्ता द्वारा इस आशय की प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ता के अनुरोध पर विद्युत की आपूर्ति एक अन्य परीक्षित मीटर स्थापित करके तुरंत बहाल कर दी जाएगी तथा मीटर की लागत उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहां उपभोक्ता के परिसर के बाहर स्थापित मीटर चोरी होने की सूचना दी जाती है, इस आशय की प्राथमिकी अनुज्ञापी द्वारा दर्ज कराई जाएगी तथा अनुज्ञापी द्वारा विद्युत की आपूर्ति

एक अन्य परीक्षित मीटर स्थापित करके तुरंत बहाल कर दी जाएगी। मीटर की लागत अनुज्ञापी द्वारा वहन की जाएगी।

(3) उपरोक्त मामलों में, जिस अवधि के लिए मीटर उपलब्ध नहीं था, उसके लिए विद्युत शुल्क का मूल्यांकन पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।

(4) यदि अनुज्ञापी द्वारा यह स्थापित कर दिया जाता है कि मीटर का नुकसान उपभोक्ता के जानबूझकर किए गए कार्य के कारण हुआ है, तो अनुज्ञापी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित कार्यवाही शुरू की जाएगी।

5.1.7 त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुए मीटरों के स्थल पर रहने की अवधि में या चोरी हुए मीटर की बिलिंग

(1) त्रुटिपूर्ण/अटके हुए/रुके हुए/जले हुए/चोरी हुए मीटर की रिपोर्ट किये या पाए जाने की तिथि से तुरन्त पिछले तीन बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर उपभोक्ता को बिल जारी किया जाएगा। ये प्रभार 2 बिलिंग चक्र की अधिकतम अवधि के लिए लगाए जाएंगे, इस दौरान अनुज्ञापी से अपेक्षा होगी कि वह त्रुटिपूर्ण मीटर को बदल दे।

(2) अधिकतम मांग प्रभार की गणना, पिछले वर्ष जब मीटर क्रियाशील था तथा ठीक से रिकॉर्ड कर रहा था, के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र के दौरान अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी। यदि पिछले वर्ष के समरूप महीनों/बिलिंग चक्र की रिकार्ड की गयी एमडीआई भी उपलब्ध नहीं है तो एम.डी.आई. कम समय के लिए उपलब्ध उच्चतम अधिकतम मांग पर विचारित की जाएगी।

5.2 बिलिंग

5.2.1 सामान्य

(1) अनुज्ञापी, उसके द्वारा निर्धारित किए अनुसार क्षेत्र वार, जनपद वार, खण्ड/उप–खण्ड वार या मण्डल वार बिलिंग तथा भुगतान तालिका अधिसूचित करेगा।

(2) अनुज्ञापी, वास्तविक मीटर रीडिंग पर आधारित प्रत्येक बिलिंग चक्र के लिए बिल जारी करेगा।

(3) विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिलिंग चक्र प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार होगा।

(4) बिल, बिलिंग चक्रों के अनुसार जारी किए जाएगें। स्पॉट बिलिंग के मामले में उपभोक्ताओं को बिल तुरंत उपलब्ध करा दिये जाएगें तथा अनुज्ञापी बिल जारी करने के, पर्वतीय क्षेत्रों के 5 दिनों के भीतर तथा भौगोलिक रूप से मैदानी क्षेत्रों के लिए 3 दिनों के भीतर, अपनी वेबसाइट पर बिल अपलोड करेगा। एएमआर/एएमआई आधारित मीटरिंग प्रणाली के मामले में, बिल जारी करने के ही दिन बिल को अपलोड किया जाएगा।

(5) अनुज्ञापी, उपभोक्ता को बिल जारी करने तथा उसके भुगतान की देय तिथि के संबंध में एसएमएस या ईमेल जैसा भी मामला हो, के माध्यम से सूचित करेगा।

(6) बिल के भुगतान की नियत तिथि बिल की तिथि से कम से कम 15 दिन होगी।

(7) अनंतिम बिलिंग (एनए/एनआर/आईडीएफ/एडीएफ/आरडीएफ; औसत खपत के आधार पर बिलिंग) दो से अधिक बिलिंग चक्रों के लिए नहीं होगी। यदि किसी मामले में मीटर पर पहुंच लगातार दो बिलिंग चक्रों के लिए न हो तो उप–विनियम 5.1.2 के क्लॉज (7) के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

(8) अनुज्ञापी को सर्वप्रथम देय होने की तिथि से 2 वर्ष से अधिक के प्रभार वसूलने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि ऐसे प्रभार निरन्तर बकाया देय के रूप में दिखाए न गए हों।

(9) अनुज्ञापी बिल में सभी प्रकार की देयता का पूरा विवरण प्रदान करेगा।

(10) अनुज्ञापी द्वारा निर्धारित बिल संग्रह केंद्रों पर निर्दिष्ट समय पर या ऑनलाईन या अनुज्ञापी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित बिल भुगतान प्राप्ति की किसी अन्य योजना द्वारा बिल का भुगतान किया जा सकता है।

(11) जहां चेक के माध्यम से भुगतान किया गया हो और वह अमान्य हो जाए तो अनुज्ञापी उपभोक्ता को सूचित करेगा तथा कहेगा कि वह 5 कार्य दिवसों के भीतर नकद या आरटीजीएस/एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट (केवल सरकारी उपभोक्ताओं को छोड़कर) के माध्यम से बिल का भुगतान करे। उपभोक्ता विलम्ब भुगतान अधिभार, जैसा लागू हो, के साथ ही चेक के अमान्य होने के प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में किसी उपभोक्ता का चेक अमान्य हुआ हो, तो उपभोक्ता को अगले छः महीनों के लिए नकद या ऑनलाईन या आरटीजीएस/एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट (सरकारी उपभोक्ताओं को छोड़कर) के माध्यम से भुगतान करना होगा।

5.2.2 बिल विवरणः

बिल में निम्नलिखित विवरण इंगित किये जाएंगेः

(1) उपभोक्ता का नाम व पता;

(2) सेवा संयोजन संख्या – यह विशिष्ट उपभोक्ता पहचान संख्या है, जो किसी भी संचार हेतु संदर्भित की जा सकती है;

(3) खाता संख्या – यह प्रत्येक उपभोक्ता की विशिष्ट संख्या होगी, जो किसी भी संचार हेतु संदर्भित की जा सकती है;

(4) वितरण अनुज्ञापी के कार्यालय का नाम, जिसका यह आपूर्ति का कार्यक्षेत्र हो;

(5) पुस्तक संख्या – मीटर पुस्तक संख्या वह पुस्तक है, जिसमें उपभोक्ताओं के मीटर रीडिंग विवरण, मीटर रीडिंग चक्र के दौरान नोट किये जाते हैं/सॉफ्ट फॉर्म में संकलित किया जाता है;

(6) बिल संख्या तथा बिल की तिथि;

(7) बिल का महीना तथा बिल की अवधि;

(8) बिल का प्रकार –अस्थायी या मीटर्ड यूनिट (एमयू);

(9) मीटर संख्या;

(10) मीटर का प्रकार तथा बनावट;

(11) मीटर का गुणन कारक;

(12) उपभोक्ता श्रेणी;

(13) लागू शुल्क;

(14) बिल–सह–विच्छेदन सूचना;

(15) अनुज्ञापी के पास वर्तमान में जमा प्रतिभूति तथा अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति का विवरण;

(16) अनुबन्धित भार (केडब्ल्यू/केवीए/एचपी);

(17) बिलिंग अवधि के दौरान अधिकतम मांग (केडब्ल्यू/केवीए/एचपी) (समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश में केवल निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए);

(18) स्थायी प्रभार/मांग प्रभार (केडब्ल्यू/केवीए/एचपी);

(19) नेट–मीटरिंग वाले उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा आयात तथा निर्यात विवरण;

(20) पिछले बिलिंग चक्र की मीटर रीडिंग, टी.ओ.डी. मीटर के मामले में, पिछली प्रत्येक समय स्लॉट की रीडिंग अलग–अलग उल्लिखित की जाएगी तथा रीडिंग की तिथि;

(21) वर्तमान मीटर रीडिंग, टी.ओ.डी. मीटर के मामले में मीटर रीडिंग की तिथि तथा प्रत्येक समय स्लॉट की रीडिंग अलग से उल्लिखित की जाएगी;

(22) बिल की गयी यूनिट्स, यह विशेष बिलिंग चक्र के लिए उपभोग की गयी कुल यूनिट्स दर्शाता है। टी.ओ.डी. मीटर के मामले में, प्रत्येक टाइम स्लॉट हेतु बिलिंग की गयी यूनिट्स अलग–अलग उल्लिखित की जाएंगी;

(23) ऊर्जा प्रभार, टी.ओ.डी. मीटर के मामले में, प्रत्येक टाइम स्लॉट हेतु ऊर्जा प्रभारों को अलग–अलग उल्लिखित किया जाएगा;

(24) विद्युत कर, हरित ऊर्जा उपकर, जीएसटी (यदि लागू हो) या सरकार द्वारा लगाया गया कोई अन्य उपकर या कर;

(25) ईंधन प्रभार समायोजन (एफसीए) प्रभार;

(26) वोल्टेज आपूर्ति छूट तथा वोल्टेज आपूर्ति अधिभार विवरण;

(27) लो पावर फैक्टर सरचार्ज;

(28) अतिरिक्त ऑफ–सीजन भार से इन्कार का लाभ तथा अधिभार;

(29) समय–समय पर जारी किए गए टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थायी संयोजन के लिए अतिरिक्त प्रभार;

(30) अतिरिक्त अधिभार तथा अतिरिक्त छूट;

(31) सोलर वॉटर हीटर छूट;

(32) विविध प्रभार;

(33) ओपन एक्सेस ऊर्जा विवरण ;

(34) पिछली बकाया राशि;

(35) पिछला बकाया विवरण–जिसके लिए बकाया देय है, उस अवधि को इंगित करते हुए, ऊर्जा प्रभार, स्थिर/मांग प्रभार, एलपीएससी, विद्युत कर इत्यादि;

(36) देय तिथि से पहले या देय तिथि को किये जाने वाले भुगतान की राशि (पूर्णांकित) – कुल राशि जिसका देय तिथि से पहले या देय तिथि को भुगतान करना है।

(37) नियत तिथि यानी बिल की तिथि से 15 स्पष्ट दिन, जिसमें अंतिम तिथि भी सम्मलित है, के पूर्व बिल भुगतान किया जाना है;

(38) विलंबित भुगतान अधिभार – यह वह शुल्क है जो कि देय तिथि के भीतर भुगतान न करने पर/देय तिथि के पश्चात भुगतान करने पर प्रभारित होगा;

(39) देय तिथि के पश्चात देय राशि (पूर्णांकित) – नियत तिथि के बाद भुगतान की जाने वाली शुद्ध राशि;

(40) उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति, यदि कुछ है;

(41) पिछले उपभोग का पैटर्न (बिल माह, यूनिट्स, स्थिति) – यह पिछले 6 माह हेतु उपभोग के पैटर्न को दर्शाता है;

(42) अंतिम भुगतान विवरण;

(43) केवीएएच बिलिंग तथा एचटी उपभोक्ताओं पर लागू अन्य सूचना जिसे उचित रूप से जोड़ा जाएगा तथा असंबंधित मदों को हटाया जाएगा;

(44) कोई अन्य सूचना जिसे अनुज्ञापी उचित समझता हो;

(45) मीटर टिप्पणी– यह मीटर की स्थिति को इंगित करती है।

बिल के पीछे निम्नलिखित विवरण मुद्रित किए जाएंगे:

(1) भुगतान का तरीका तथा संग्रह सुविधाएं।

(2) उपभोक्ता सेवा केंद्र का दूरभाष नम्बर/टोल फ्री नम्बर तथा पता जहां उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है;

(3) गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) का दूरभाष नम्बर तथा पता;

(4) लोकपाल का दूरभाष नम्बर तथा पता (कोई भी उपभोक्ता केवल उस स्थिति में लोकपाल से संपर्क कर सकता है जब वह मंच के फैसले से संतुष्ट न हो);

(5) चेक तथा बैंक ड्राफ्ट के मामले में, प्राप्त प्राधिकारी जिसके पक्ष में राशि आहरित की जानी चाहिए;

(6) विद्युत बिल ऐसी किसी संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा जहाँ विद्युत आपूर्ति की जा रही हो।

5.2.3 अतिरिक्त भार/मांग जुर्माना

(1) ऐसे उपभोक्ताओं के मामले में जहां अधिकतम मांग सूचक (एमडीआई) के साथ इलैक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए हैं तथा किसी भी महीने में दर्ज अधिकतम मांग अनुबन्धित भार/मांग से अधिक है, ऐसे

अतिरिक्त भार/मांग के लिए प्रभार, आयोग द्वारा समय–समय पर टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा। इस तरह का अतिरिक्त भार जुर्माना केवल उस महीने के लिए लगाया जाएगा जिसमें अधिकतम मांग अनुबन्धित भार से अधिक है।

परन्तु1 यह अतिरिक्त भार/मांग जुर्माना निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों, स्नोबाउंड, घरेलू उपभोक्ता श्रेणी तथा ऐसे उपभोक्ता जिनके पास प्रीपेड संयोजन है, पर लागू नहीं होगा।

परन्तु यह कि यदि घरेलू उपभोक्ताओं (बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को छोड़कर) की अधिकतम दर्ज मांग उनके अनुबन्धित भार से अधिक हो तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भार को निम्न प्रक्रिया के अनुसार पुनरीक्षित किया जाएगा, :–

(a) अधिकतम मांग सूचक के आधार पर अनुज्ञापी द्वारा किसी भी अतिरिक्त मांग का उल्लंघन संस्थापित किया जाएगा।

(b) जहां उपभोक्ता मीटर में एमडीआई रिकॉर्डिंग सुविधा उपलब्ध है, ऐसे मामलों में अनुज्ञापी नीचे दी गई तालिका 5.2 के अनुसार लगातार तीन बिलिंग चक्रों के लिए अनुबन्धित भार में अनुमेय प्रतिशत भिन्नता का विश्लेषण करेगा तथा यदि अधिकतम मांग अनुमेय सीमा से अधिक पाई जाती है तब चौथे बिलिंग चक्र के बिल के साथ एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस जारी कर उपभोक्ता को सूचित किया जाएगा कि या तो वह अनुबन्धित भार के भीतर ही भार को प्रतिबंधित करे या अतिरिक्त भार के लिए आवेदन करे।

यदि उपभोक्ता अपने भार को प्रतिबंधित नहीं करता है या अतिरिक्त भार के लिए आवेदन नहीं करता है तथा पांचवे बिलिंग चक्र में भी अनुबन्धित भार/मांग की सीमा को पार करना जारी रखता है, तो अनुज्ञापी इस आधार पर छठवें बिलिंग चक्र में उक्त घरेलू उपभोक्ता के अनुबन्धित भार को बढ़ाएगा तथा पिछले 5 बिलिंग चक्रों में दर्ज एमडीआई के औसत तथा संबंधित विनियमों के अनुसार भार वृद्धि के लिए लागू प्रभार भी वसूल करेगा।

तालिकाः 5.2– केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिये अनुबन्धित भार का अनुमन्य प्रतिशत वेरिएशन

अनुबन्धित भार किलोवाट में	अनुबन्धित भार का अनुमन्य प्रतिशत वेरिएशन
1 कि.वा. से 4 कि.वा. तक	50%
4 कि.वा. से अधिक 10 कि.वा. तक	40%
10 कि.वा. से अधिक 25 कि.वा. तक	25%
25 कि.वा.से अधिक	20%

परन्तुयदि भार दशमलव संख्या में आता है, तो अनुज्ञापी गणना के उद्देश्य के लिए अगली पूर्ण संख्या मान सकता है।

जहां उपभोक्ता मीटर में एमडीआई रिकॉर्डिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अनुज्ञापी इन विनियमों की प्रयोज्यता के छह महीने के भीतर रिकॉर्डिंग के लिए उपयुक्त मीटर स्थापित करेगा।

(2) जहां उपभोक्ता की लगातार तीन बिलिंग चक्रों के दौरान (घरेलू उपभोक्ता के अलावा) अधिकतम मांग अनुबन्धित भार से अधिक हो, उक्त बिलिंग चक्र के तीसरे बिल के साथ एक नोटिस उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञापी द्वारा इस आशय से भेजा जाएगा कि या तो वह भार को अनुबन्धित भार की सीमा तक प्रतिबंधित करे या फिर अतिरिक्त भार के लिए आवेदन करे। यदि उपभोक्ता अपने भार को प्रतिबंधित नहीं करता है या अतिरिक्त भार के लिए आवेदन नहीं करता है तथा अनुबन्धित भार/आगे के बिलिंग चक्र के लिए मांग को पार करना जारी रखता है, तो इस तरह के अतिरिक्त भार/मांग के उल्लंघन के लिए उक्त क्लॉज (1) के अनुसार मांग शुल्क का दोगुना देय होगा।

(3) भार बढ़ाने के लिए आवेदन उपरोक्त विनियम 4.1 द्वारा शासित किया जाएगा।

(4) अधिक भार/मांग के लिए दंड प्रभार उन उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने अगले बिलिंग चक्र से उचित भार वृद्धि (अपेक्षित दस्तावेजों तथा राशि के साथ) के लिए अपना विधिवत भरा आवेदन जमा किया है।

(5) **घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा मांग के उल्लंघन करने के लिए उपरोक्त क्लॉज (1) (बी) के प्रावधान दिनांक 01.04.2021 से लागू होंगे। अनुज्ञापी आयोग के अनुमोदन के लिए इन विनियमों की अधिसूचना के 02 महीने के भीतर इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत करेगा।**

5.2.4 उपभोक्ता बिलों पर शिकायत

(1) व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गई किसी भी शिकायत के दर्ज होने पर, अनुज्ञापी, उपभोक्ता की शिकायत की तुरंत प्राप्ति स्वीकार करेगा,या शिकायत डाक से प्राप्त होने पर प्राप्ति की तिथि से 3 दिन के भीतर प्राप्ति स्वीकार करेगा।

(2) यदि उपभोक्ता से कोई अतिरिक्त सूचना अपेक्षित नहीं है तो अनुज्ञापी उपभोक्ता की शिकायत का समाधान करेगा तथा शिकायत प्राप्त होने के 15 दिवसों के भीतर उपभोक्ता को इसका परिणाम सूचित करेगा। यदि अतिरिक्त सूचना अपेक्षित है, तो वह प्राप्त की जायेगी, मामले को सुलझाया जायेगा तथा शिकायत प्राप्त होने के 30 दिवसों के भीतर उपभोक्ता को परिणाम की सूचना दी जायेगी। बिल या शिकायत के सुलझने या विवादित बिल पर शिकायत का समाधान नहीं होने तक उपभोक्ता विवादित अवधि के लिए या तो विवादित बिल में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करेगा या अनुज्ञापी द्वारा पिछले तीन क्रमवार अविवादित बिलों के औसत उपभोग के आधार पर जारी अनंतिम बिल का भुगतान करेगा। इस प्रकार वसूल की गयी राशि, शिकायत के समाधान पर अंतिम समायोजन के अधीन होगी।

(3) उपभोक्ता द्वारा बिल प्राप्त न किये जाने की स्थिति में, उपभोक्ता अनुज्ञापी से संपर्क करेगा जो उपरोक्तानुसार देय तिथि विस्तारित कर तत्काल डुप्लिकेट बिल प्रदान करेगा तथा यदि शिकायत सही है तो विलम्ब भुगतान अधिभार उद्ग्रहणीय नहीं होगा।

5.2.5 बिलों में आने वाले पिछले बकाया/त्रुटियुक्त बिल

(1) यदि किसी बिल में पिछला बकाया पहली तथा दूसरी बार दिखाया गया है जिसके लिए नियत तिथि के भीतर भुगतान किया जा चुका है, या जो अनुज्ञापी का देय नहीं है, तो अनुज्ञापी उविनिआ (प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2007, समय–समय पर संशोधित, के अनुसार उपभोक्ता को मुआवजे के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा। ।

(2) यदि बिल में कोई पिछली बकाया राशि दिखायी जाती है जिसका भुगतान देय तिथि के बाद किया गया है, तो क्षतिपूर्ति का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा बकाया जिसका भुगतान कर दिया गया है, आगे के बिल/बिलों में दर्शाया जाता है तो इस मामले को उपरोक्त क्लॉज (1) के अनुसार निपटाया जाएगा।

(3) उपरोक्त क्लॉज (1) में उल्लिखित क्षतिपूर्ति उस बिल का भुगतान करते समय समायोजित की जाएगी जिस बिल में यह बकाया दिखाया गया है। अनुज्ञापी के सभी बिल संग्रह केंद्रों में इस आशय का नोटिस प्रमुखता से दर्शाया जाएगा।

(4) यदि बकाया, जैसे कि उपरोक्त क्लॉज (1) में उल्लिखित है, तीसरी बार या उसके बाद दर्शाया जाता है तो उपभोक्ता, मंच के सम्मुख वाद प्रस्तुत करने का हकदार होगा तथा मंच प्रकरण के आधार पर ऐसे उपभोक्ता के पक्ष में उदाहरणीय क्षतिपूर्ति भुगतान का निर्णय लेगा।

(5) इस विनियम के उपबंध अनुज्ञापी द्वारा जारी त्रुटियुक्त बिलों पर भी लागू होंगे।

5.2.6 परिसर की रिक्तता/कब्जे में परिवर्तन

(1) यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह कब्जे में परिवर्तन या परिसर के रिक्त होने के समय अनुज्ञापी द्वारा उप–विनियम 5.1.2 के क्लॉज (9) के अनुसार विशेष रीडिंग करवाएं तथा उससे अदेयता प्रमाण–पत्र प्राप्त करे।

(2) अनुज्ञापी से उपभोक्ता लिखित में अनुरोध करेगा कि, वर्तमान उपयोगकर्ता द्वारा परिसर को खाली करने या कब्जे में परिवर्तन, जो भी मामला हो, से कम से कम 7 दिन पहले विशेष रीडिंग ली जाये।

(3) अनुज्ञापी विशेष रीडिंग लेने की व्यवस्था करेगा तथा परिसर के रिक्त होने से कम से कम 3 दिन पहले बिलिंग की तिथि से पहले के सभी बकाया अंतिम बिल भेजेगा। इस प्रकार जारी अंतिम बिल में यह उल्लेख करेगा कि अब परिसर पर कोई देय लंबित नहीं है तथा यह बिल अंतिम है। अंतिम बिल में अनुपातिक आधार पर, परिसर के रिक्त होने की तिथि तथा विशेष रीडिंग के मध्य की अवधि हेतु भुगतान भी सम्मिलित होगा।

(4) एक बार अंतिम बिल जारी हो जाने पर अनुज्ञापी को, ऐसे बिल की तिथि से पहले की किसी अवधि के लिए अंतिम बिल में दिये गये प्रभार/प्रभारों के अतिरिक्त कोई प्रभार वसूलने का अधिकार नहीं होगा। अनुज्ञापी परिसर के रिक्त होने पर इसकी आपूर्ति विच्छेदित कर देगा। यह उपभोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह परिसर के रिक्त होने पर भुगतान करे व अनुज्ञापी, इस भुगतान को प्राप्त करने के 07 दिनों के भीतर अदेयता प्रमाण–पत्र जारी करेगा। तथापि, कब्जे के परिवर्तन के मामलों में, संयोजन विच्छेदित नहीं किया जाएगा तथा नाम के परिर्वतन के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् यह परिर्वतन किया जाएगा।

5.2.7 उपभोक्ता द्वारा स्व–निर्धारण पर भुगतान

(1) बिल प्राप्त न होने के मामले में उपभोक्ता, जिस अवधि के लिए बिल प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए विनियमों के **अनुलग्नक–IX** में निर्दिष्ट प्रारूप में स्व–निर्धारित बिल जमा कर सकता है, परन्तु यह पिछले तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग से कम न हो। उपभोक्ता द्वारा किया गया ऐसा भुगतान अगले बिल में समायोजित किया जाएगा।

(2) अधिभार लगाने संबंधी विवाद के मामले में, अनुज्ञापी, उपभोक्ता द्वारा प्रतिवाद किये जाने की तिथि से एक बिलिंग चक्र के भीतर विवाद का निस्तारण करेगा।

5.2.8 उपभोक्ता द्वारा पूर्वानुमानित बिल का अग्रिम भुगतान

(1) यदि कोई उपभोक्ता अग्रिम एक मुश्त भुगतान करना चाहता है जिसमें से बिल की गयी राशि आवधिक रूप से काट ली जाए तो विनियमों के **अनुलग्नक–IX** में निर्दिष्ट प्रारूप में अनुज्ञापी को आवेदन कर सकता है। ऐसे मामलों में, विद्युत की देय राशि के प्रत्येक बिलिंग चक्र के विरूद्ध समायोजित करने के पश्चात जो राशि शेष रह जाये, अनुज्ञापी द्वारा आगे के बिलों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(2) यदि उपभोक्ता का परिसर कुछ अवधि के लिए रिक्त रहता है तथा वह अग्रिम एक मुश्त भुगतान जमा करना चाहता है, तो उप विनियम 5.1.2 का क्लॉज (8) लागू होगा।

अध्याय 6: विच्छेदन व पुनर्संयोजन

6.1 अनुज्ञापी के देयों का भुगतान न करने पर विच्छेदन

(1) अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ता को जारी किए गए बिल को बिल–सह–विच्छेदन नोटिस के रूप में माना जाएगा। बिल–सह–विच्छेदन नोटिस का आशय है कि अनुज्ञापी अपने देयों के भुगतान हेतु बिल की तिथि से कम से कम 15 दिन का समय देगा तथा नियत तिथि के बाद, अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 56 के अनुसार उपभोक्ता को विच्छेदन के लिए 15 दिन का समय देगा। इसके पश्चात् उक्त नोटिस अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी उपभोक्ता की स्थापना के सेवा लाईन/संयोजन को वितरण मेन से अस्थायी रूप से विच्छेदित कर सकता है। यदि उपभोक्ता पिछले बकाया सहित सभी देयों का भुगतान अस्थायी विच्छेदन की तिथि से 6 माह के भीतर नहीं करता है, तो ऐसे संयोजन को उपभोक्ता के परिसर में स्थापित किए गए मीटर तथा अन्य उपकरणों को हटाकर स्थायी रूप से काट दिया जाएगा। उपभोक्ता पर अंतिम देय राशि व उस पर देय ब्याज का समायोजन सुरक्षा जमा से किया जाएगा तथा अवशेष वसूली योग्य राशि लागू राजस्व वसूली कानूनों के अनुसार की जाएगी।

परन्तु यदि ऐसा व्यक्ति प्रतिवाद के तहत जमा करता है, तो विद्युत की आपूर्ति काटी नहीं जाएगी:–

(a) उस पर अधिरोपित राशि के बराबर की राशि, या

(b) पूर्ववर्ती छह महीनों के दौरान उसके द्वारा भुगतान किए गए विद्युत के औसत प्रभारों के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए उससे प्राप्त विद्युत प्रभार,

उपभोक्ता तथा अनुज्ञापी के मध्य उपरोक्त विवाद के निपटारा होने तक, जो भी कम हो।

परन्तु जहां किसी भी व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति अमान्य हो या अपर्याप्त हो, वितरण अनुज्ञापी नोटिस देकर उस व्यक्ति से 30 दिनों के भीतर उचित प्रतिभूति जो उस पर देय हो, जमा करने की अपेक्षा कर सकता है तथा यदि वह व्यक्ति इंगित प्रतिभूति देने में विफल हो जाए, वितरण अनुज्ञापी यदि उचित समझे तो उस अवधि के लिए विद्युत की आपूर्ति बंद/विच्छेदित कर सकता है जब तक कि विफलता बनी रहती है।

(2) अनुज्ञापी ऐसे उपभोक्ताओं के अनधिकृत पुनः संयोजन को रोकने के लिए कदम उठा सकता है, जिसका उपरोक्तानुसार विच्छेदन किया गया है। जहां भी अनुज्ञापी को पता चलता है कि संयोजन अनधिकृत रूप से फिर से जुड़ा हुआ है, अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 126 तथा 138 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है। इसके अलावा यदि अनुज्ञापी को पता चलता है कि इस तरह के परिसर में आपूर्ति को किसी अन्य चालू संयोजन के माध्यम से बहाल किया गया है,

तो ऐसे चालू संयोजन के उपभोक्ता को नोटिस देकर अनधिकृत आपूर्ति को तुरंत बंद करने के लिए कहा जायेगा, जिसके विफल होने पर विच्छेदित संयोजन के सभी लंबित बकायों को चालू संयोजक के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा तथा इस तरह के स्थानांतरित बकाये का भुगतान न किये जाने पर विनियम 6.1(1) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अनुज्ञापी अधिनियम की धारा 126 के अंतर्गत इस तरह के संयोजन प्रदान करने वाले उपभोक्ता के विरूद्ध भी उचित कार्रवाई कर सकता है।

6.2 उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थायी विच्छेदन

(1) यदि उपभोक्ता अपने संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित करवाना चाहता है, तो वह वितरण अनुज्ञापी को न्यूनतम एक (1) माह की अग्रिम लिखित सूचना देगा तथा विनियम के **अनुलग्नक–X** में निर्दिष्ट प्रारूप में विच्छेदन हेतु स्थायी विच्छेदन की प्रस्तावित तिथि से सात (7) दिवस पूर्व आवेदन करेगा जिसके भीतर अनुज्ञापी स्थायी विच्छेदन सुनिश्चित करेगा।

(2) अनुज्ञापी एक विशेष रीडिंग लेगा तथा उपभोक्ता को अंतिम बिल जारी करेगा। विशेष रीडिंग के आधार पर अंतिम बिल का भुगतान हो जाने के पश्चात् अनुज्ञापी रसीद जारी करेगा जिस पर "अंतिम बिल" का स्टैम्प लगा होगा। इस रसीद को 'अदेयता प्रमाण–पत्र' के रूप में माना जाएगा।

(3) इसके बाद, अनुज्ञापी को, बिलिंग की इस तिथि के पहले किसी अवधि के लिए कोई प्रभार/प्रभारों को वसूल करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(4) विशेष रीडिंग तथा स्थायी विच्छेदन के बीच किसी उपभोग के कारण अवशेष राशि, यदि कोई हो, वितरण अनुज्ञापी के पास जमा प्रतिभूति राशि (ब्याज सहित, यदि कोई हो) के विरूद्ध समायोजित की जाएगी। अवशेष प्रतिभूति राशि उपभोक्ता को स्थायी विच्छेदन के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

(5) अनुज्ञापी विच्छेदन के पश्चात् कोई बिल जारी नहीं करेगा। यदि स्थाई विच्छेदन के पश्चात् भी बिल जारी किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति को अनुज्ञापी द्वारा उविनिआ (प्रदर्शन के मानकों) विनियम, 2007, समय–समय पर संशोधित, में निर्दिष्ट मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

(6) किसी भी तरह की त्रुटि या परिसर के गैर–कानूनी कब्जे की पुष्टि होने की स्थिति में उपभोक्ता द्वारा वैधानिक प्रावधानों के पालन करने में या वैधानिक प्राधिकारियों/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देशन की स्थिति में, अनुज्ञापी ऐसे आदेश को प्रभावी करने हेतु उपभोक्ता के सेवा संयोजन को काट देगा। यह अनुज्ञापी के किसी अन्य अधिकार के पक्षपात के बिना होगा, जिसमें विच्छेदन की तिथि को देय भुगतान प्राप्त करना शामिल है।

6.3 पुनर्संयोजन

(1) यदि उपभोक्ता, विच्छेदन के पश्चात् छः महीने की अवधि के भीतर या स्थायी रूप से विच्छेदन से पहले, जो भी बाद में हो, पुनः संयोजन के लिये अनुरोध करता है तो अनुज्ञापी, पिछले देयों व पुनर्संयोजन प्रभार के भुगतान के 5 दिनों के भीतर उपभोक्ता के संयोजन को पुनः संयोजित करेगा।

(2) तथापि, यदि उपभोक्ता, विच्छेदन के छः महीने की अवधि के पश्चात् या स्थायी रूप से विच्छेदन के पश्चात्, पुनः संयोजन के लिये अनुरोध करता है तो, उस श्रेणी के उपभोक्ता हेतु लागू प्रतिभूति जमा, सेवा लाईन प्रभार, लंबित देयों के भुगतान सहित उपभोक्ता द्वारा नये संयोजन हेतु अपेक्षित सभी औपचारिक्तायें पूरी करने के पश्चात् ही संयोजन पुनः संयोजित किया जायेगा।

अध्याय 7: विद्युत की चोरी तथा अनधिकृत उपयोग

7.1 विद्युत का अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई.)

(1) अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 126 के अनुसार विभिन्न जिलों/खण्डों के निर्धारण अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित करेगा, इसको सभी खण्डीय कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा तथा ऐसे अधिकारियों को जारी फोटो पहचान पंत्र में उनका अधिकृत होना इंगित करेगा।

(2) किसी भी स्थान या परिसर का निरीक्षण करते समय, अनुज्ञापी का निरीक्षण दल/निर्धारण अधिकारी अपने साथ फोटो पहचान पत्र ले जाएगा। परिसर में प्रवेश करने से पहले उपभोक्ता को फोटो पहचान पत्र दिखाया जाना चाहिए।

(3) जहां तक संभव हो स्थल के पूरे निरीक्षण की फोटो ग्राफी तथा/या वीडियो ग्राफी की जाएगी तथा साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाएगा।

7.1.1 विद्युत के अनधिकृत उपयोग के आंकलन की प्रक्रिया

(1) यदि किसी स्थान या परिसर के निरीक्षण करने पर उपकरण, गैजेट्स, मशीनों, संयोजित यंत्र का उपयोग किया जाना पाया जाए अथवा किसी व्यक्ति द्वारा संभारित अभिलेख के निरीक्षण के बाद, निरीक्षण टीम (अनुज्ञापी के एक अधिकारी के नेतृत्व में जो सहायक अभियंता/उप खण्डीय अधिकारी के पदक्रम से नीचे का न हो) यह निष्कर्ष निकालती है कि ऐसा व्यक्ति विद्युत के अनधिकृत उपयोग में संलिप्त है, तो निरीक्षण टीम साईट निरीक्षण के आधार पर अनुलग्नक–XI में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें संयोजित भार, सीलों की स्थिति, मीटर का कार्य करना तथा देखी गयी अन्य अनियमितता (जैसे कि अनधिकृत उपयोग के लिए अपनाये गये कृत्रिम साधन) का उल्लेख होगा।

(2) रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग के तथ्य को प्रमाणित करने वाला साक्ष्य पाया गया या नहीं। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(3) रिपोर्ट पर निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उचित रसीद प्राप्त कर इसकी प्रति तत्काल स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को दी जाएगी। यदि उपभोक्ता स्वीकार करने या रसीद देने से इन्कार करता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति, परिसर के अंदर/बाहर एक प्रमुख स्थान पर चिपका दी जाए तथा उसका फोटोग्राफ ले लिया जाए। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई–मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपभोक्ता को प्रेषित की जाएगी।

(4) निरीक्षण दल, एक कार्य दिवस के अन्दर रिपोर्ट की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि निर्धारण अधिकारी को संदेह होता है कि विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो वह निरीक्षण की तिथि से 7 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक

अनंतिम निर्धारण आदेश हाथों–हाथ/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई–मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित करेगा। अनंतिम निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी का विवरण, जिसे उत्तर/आपत्तियाँ सम्बोधित की जानी होंगी तथा समय, तिथि तथा स्थान जिस पर उपभोक्ता की आपत्तियों, यदि कोई हो, की सुनवाई की जानी हो, होना चाहिए।

(6) कोई भी व्यक्ति जिसे अनंतिम निर्धारण आदेश प्रेषित किया गया है, को चाहिए किः

(a) ऐसे निर्धारण को स्वीकार करे तथा इस अनंतिम निर्धारण आदेश के प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर निर्धारित राशि अनुज्ञापी के पास जमा करे, या

(b) निर्धारण अधिकारी के समक्ष सुनवाई की तिथि पर एक लिखित आपत्ति प्रस्तुत करे, या

(c) अनंतिम निर्धारण आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ एक लिखित आपत्ति, रुपये 500 के निरीक्षण शुल्क सहित स्थल का दूसरा निरीक्षण करने के अनुरोध के साथ, प्रस्तुत करे।

(7) निर्धारण अधिकारी उपभोक्ता के अनुरोध पर उपभोक्ता के परिसर का दूसरा निरीक्षण करेगा, बशर्ते उसने अनुरोध की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर निरीक्षण शुल्क जमा किया हो।

(8) निर्धारण अधिकारी, उपभोक्ता के अनुरोध पर सभी दस्तावेजों, उपभोक्ता के प्रस्तुतिकरणों, अभिलेखों के तथ्यों तथा दूसरे निरीक्षण पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात अनंतिम निर्धारण आदेश की तिथि से तीस दिवसों के भीतर, सुस्पष्ट अंतिम आदेश पारित करेगा कि विद्युत के अनधिकृत उपयोग का मामला स्थापित हुआ है या नहीं।

(9) विद्युत का अनधिकृत उपयोग स्थापित नहीं होने की स्थिति में, आगे की कार्यवाही बंद कर दी जाएगी तथा विद्युत का अनधिकृत उपयोग के मामले को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

(10) जहां यह स्थापित हो जाता है कि मामला विद्युत के अनधिकृत उपयोग का है, अनुज्ञापी तत्काल विद्युत के अनधिकृत उपयोग के कारण को सुधारने के लिए उचित कार्यवाही करेगा तथा संपूर्ण अवधि जिसके दौरान विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है, के लिए **अनुलग्नक–XII** में दिए गए निर्धारण फॉर्मूले के अनुसार ऊर्जा के उपभोग का आंकलन करेगा। यदि यह कि जिस अवधि में विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है, उसका पता नहीं लगाया जा सकता है तो यह अवधि, निरीक्षण की तिथि से पहले बारह महीने की अवधि तक सीमित होगी तथा अंतिम निर्धारण बिल लागू टैरिफ के अनुसार दुगनी दरों पर तैयार किया जाएगा तथा इसे सुस्पष्ट आदेश के साथ उपभोक्ता को हाथों हाथ/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई–मेल या किसी अन्य इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उचित रसीद के साथ प्रेषित किया जायेगा। उपभोक्ता को अंतिम निर्धारण बिल प्राप्ति के 7 कार्य दिवसों के भीतर इसका भुगतान करना होगा। अनुज्ञापी उपभोक्ता की वित्तीय स्थिति तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है या किश्तों में भुगतान की अनुमति दे सकता है। राशि, विस्तारित अंतिम तिथि व/या भुगतान/किश्तों की तालिका, कारण बताते हुए आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए।

अंतिम सुस्पष्ट आदेश की प्रतिलिपि हाथों हाथ/पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ई–मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को भी दी जाएगी।

परन्तु जहां यह स्थापित हो जाता है कि मामला स्वीकृत प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु विद्युत के अनधिकृत उपयोग का है, अनुज्ञापी तत्काल विद्युत के अनधिकृत उपयोग के संपूर्ण अवधि जिसके दौरान विद्युत का अनधिकृत उपयोग हुआ है, अनुज्ञापी सही मीटर द्वारा रिकार्ड खपत के आधार पर वास्तविक धनराशि का आंकलन कर बिल तैयार करेगा तथा जहां ऐसी अवधि का पता नहीं लगाया जा सकता है, वह अवधि निरीक्षण की तिथि से ठीक बारह माह पहले तक सीमित होगी। उपरोक्त ऊर्जा खपत को केवल तभी माना जाएगा जब मीटरिंग प्रणाली स्वस्थ होगी, अन्यथा ऊर्जा की खपत की गणना **अनुलग्नक–XII** में दिए गए फॉर्मूले के आधार पर की जाएगी।

(11) सुस्पष्ट अंतिम आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सार, उपभोक्ता द्वारा दिया गया लिखित प्रत्युत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिया मौखिक साक्ष्य, यदि कोई हो या स्वीकृति या अस्वीकृति के कारण का संक्षिप्त विवरण भी शामिल होगा।

7.1.2 विविध

(1) विद्युत के अनधिकृत उपयोग के आधार पर लगाए गये प्रभार तब तक जारी रहेगें जब तक अनुज्ञापी द्वारा उक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विद्युत के अनधिकृत उपयोग के कारणों को हटा या सत्यापित नहीं कर लिया जाता है।

(2) यदि उपभोक्ता, अनुज्ञापी के अंतिम निणर्य से व्यथित है तो वह अधिनियम की धारा 127 के प्रावधानों तथा उविनिआ (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करने हेतु प्रक्रिया), विनियम 2014, समय समय पर संशोधित, में उल्लिखित प्रक्रियानुसार अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

(3) निर्धारित धनराशि के भुगतान करने में विफल होने की दशा में, अनुज्ञापी लिखित में 15 दिवस का नोटिस देकर सेवा लाईन व मीटर को हटा कर विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

7.2 विद्युत चोरी

(1) अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 135 के अनुसार विभिन्न खण्डों के अधिकृत अधिकारियों की एक सूची प्रकाशित करेगा, इसको सभी खण्डीय कार्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा तथा ऐसे अधिकारियों को जारी फोटो पहचान पत्र में उनका अधिकृत होना इंगित करेगा।

7.2.1 विद्युत चोरी के लिए मामला दर्ज करने की प्रक्रिया

(1) अधिनियम की धारा 135 के अधीन अधिकृत अधिकारी विद्युत चोरी के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से ऐसे परिसर का तत्काल निरीक्षण संचालित करेगा।

(2) इस प्रकार अधिकृत अधिकारी के नेतृत्व में अनुज्ञापी का निरीक्षण दल अपने साथ अपना फोटो पहचान पत्र ले जाएगा। परिसर में प्रवेश करने से पहले ये पहचान पत्र उपभोक्ता को दिखाये

जाएंगे। अधिकृत अधिकारी के फोटो पहचान पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा कि अधिनियम की धारा 135 के उपबंधों के अनुसार उसे अधिकृत अधिकारी नामित किया गया है।

(3) जांच के दौरान जांच स्थल का निवासी या उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा तथा जांच के दौरान जब्त की गई सभी वस्तुओं की एक सूची तैयार की जाएगी तथा जिसे स्थल पर रहने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को सौंपा जायेगा जो सूची पर हस्ताक्षर करेगा।

परन्तु किसी भी घरेलू स्थल या घरेलू परिसर का कोई निरीक्षण, तलाशी तथा जब्ती ऐसे परिसर में सूर्यास्त तथा सूर्योदय के बीच उस परिसर के किसी वयस्क पुरूष सदस्य की गैर–मौजूदगी में नहीं की जाएगी।

(4) जहां तक संभव हो निरीक्षण प्रक्रिया की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी की जाए तथा साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाए।

(5) प्राधिकृत अधिकारी **अनुलग्नक–XI** के अनुसार, संयोजित भार, मीटर सीलों की स्थिति, मीटर की वर्किंग का विवरण देते हुये एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा नोटिस की गयी कोई अन्य अनियमितता (जैसे मीटर से छेड़छाड, करंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर, ऊर्जा की चोरी के लिए अपनाए गए कृत्रिम साधन) का उल्लेख करेगा।

(6) रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से इंगित होगा कि ऊर्जा की चोरी के तथ्य को संपुष्ट करने का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है या नहीं। ऐसे साक्ष्य का विवरण रिपोर्ट में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(7) रिपोर्ट पर निर्धारण अधिकारी तथा निरीक्षण दल के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा उचित रसीद प्राप्त कर इसकी प्रति तत्काल स्थल पर उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि/अभिकर्ता को दी जाएगी। यदि उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि/अभिकर्ता स्वीकार करने या रसीद देने से इन्कार करता है तो निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति, परिसर के अंदर/बाहर एक प्रमुख स्थान पर चिपका दी जाए। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट पंजीकृत डाक से उपभोक्ता को भेजी जाएगी।

(8) जब तक कि उपभोक्ता के उपभोग पैटर्न की विसंगति की संपुष्टि न हो, केवल मीटर की पहली सील के गायब होने या छेड़छाड़ या कांच की खिड़की के टूटने तथा इस तरह के अन्य साक्ष्य उपलब्ध होने पर, चोरी का लिए कोई मामला दायर नहीं किया जाएगा। हालांकि, बाद में सील के गायब होने, छेड़छाड, कांच की खिड़की के टूटने को ऊर्जा की चोरी के संदिग्ध मामले के रूप में माना जाएगा।

(9) यदि इस बात का पर्याप्त साक्ष्य पाया जाता है जिससे ऊर्जा की प्रत्यक्ष चोरी स्थापित होती हो तो अनुज्ञापी का ऐसा अधिकारी जिसे इस प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया है या अनुज्ञापी का कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार अधिकृत रैंक से उच्च स्तर का हो, विद्युत की ऐसी चोरी का पता चलने पर, तुरंत विद्युत की आपूर्ति को विच्छेदित कर देगा तथा परिसर से तारों/केबलों, मीटर, सेवा लाईन इत्यादि सहित सभी तात्विक साक्ष्य जब्त कर लेगा

तथा अनुज्ञापी का ऐसा अधिकारी इस तरह के विच्छेदन के चौबीस घंटे के भीतर क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशन में अपराध की लिखित शिकायत दर्ज करेगा।

(10) अनुज्ञापी उप–विनियम 7.1.1 के क्लॉज (10) जो विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यूयूई) से संबंधित है, के अनुसार निर्धारण करेगा तथा उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को प्रेषित करेगा।

(11) अनुज्ञापी, उक्त क्लॉज (10) के अनुसार, निर्धारित राशि या विद्युत प्रभार के जमा या भुगतान करने पर, उपरोक्त क्लॉज (9) में संन्दर्भित शिकायत के दायर होने के पूर्वाग्रह के बिना, इस तरह के जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत सेवा लाईन से आपूर्ति बहाल करेगा।

7.2.2 संदिग्ध चोरी के मामले में

(1) अधिकृत अधिकारी एक नए मीटर, जिसकी उपयुक्त रेटिंग हो, के माध्यम से आपूर्ति बहाल करेगा। ऐसे मामलों में, अनुज्ञापी परिसर में संयोजित भार की जांच करेगा, छेड़छाड़ किए गए मीटर पर संख्यांकित विशिष्ट सील लगाएगा तथा रिपोर्ट में इसका विवरण अभिलिखित भी करेगा। अधिकृत अधिकारी अपनी रिपोर्ट में परिसर में संदिग्ध चोरी के कारणों को अभिलिखित करेगा। छेड़छाड़ किए गए मीटर को हटा दिया जाएगा तथा प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए, अनुज्ञापी द्वारा व्यवस्थित किए गए टैम्पर प्रूफ विशेष मीटर सीलिंग किट बैग में, पैक किया जाएगा। पुराने तथा नए मीटरों के मीटर विवरण शीट की प्रति, उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि को दी जाएगी।

(2) संदिग्ध चोरी के मामले में, यदि उपभोग का पैटर्न पिछले एक वर्ष मेंउचित रूप से एक समान है तथा टैरिफ आदेश में अस्थायी बिलिंग हेतु इंगित मानकीय उपभोग व संयोजित भार के आधार पर निर्धारित उपभोग के 75 प्रतिशत से कम नहीं है तो आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा 3 दिवसों के भीतर उचित रसीद प्राप्त कर उपभोक्ता को इस निर्णय की सूचना दी जाएगी।

(3) यदि पिछले एक वर्ष हेतु उपभोग का पैटर्न, उपरोक्त क्लॉज (2) के अनुसार निर्धारित उपभोग के 75 प्रतिशत से कम है तो उपभोक्ता के विरूद्व चोरी का प्रथम दृष्टया मामला बनेगा। अनुज्ञापी, निरीक्षण के पंद्रह दिनों के भीतर, इस निर्णय पर पहुंचने का पूर्ण विवरण देते हुए उपभोक्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसके विरूद्व चोरी का मामला दर्ज किया जाए। नोटिस में स्पष्ट रूप से तिथि व समय अंकित किया जाना चाहिए जो कि 7 दिन से कम नहीं होगा तथा उस स्थान का उल्लेख होगा जहां पर जवाब दाखिल किया जाना है। साथ ही जिस व्यक्ति को इसे संबोधित किया जाना है, उसका पदनाम भी उल्लिखित किया जाएगा।

7.2.3 संदिग्ध चोरी के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई

(1) यदि उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उपभोक्ता का उत्तर प्राप्त होने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर अनुज्ञापी एक व्यक्तिगत सुनवाई की व्यवस्था करेगा तथा सुनवाई हेतु नोटिस भेजेगा जिसमें स्पष्ट रूप से सुनवाई का समय तथा तिथि का उल्लेख होगा। उपभोक्ता के अनुरोध पर, सुनवाई को भविष्य की तिथि के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है लेकिन यह उपभोक्ता द्वारा आपत्तियां दर्ज करने की तिथि से 10 (दस) दिवसों के बाद का नहीं होगा। यदि नियत तिथि

तथा समय पर उपभोक्ता नोटिस का उत्तर नहीं देता है या उपस्थित होने में विफल रहता है तो अनुज्ञापी, मामले में एक तरफा कार्यवाही कर सकेगा।

(2) अनुज्ञापी, उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर उचित रूप से विचार करेगा तथा 3 दिवसों के भीतर, कारण बताते हुए आदेश पारित करेगा कि चोरी का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। कारण बताते हुए दिये गये आदेश में निरीक्षण रिपोर्ट का सारांश, अपने लिखित उत्तर में उपभोक्ता द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण व व्यक्तिगत सुनवाई के समय मौखिक प्रस्तुतिकरण तथा इसके स्वीकार करने या निरस्त करने के कारणों का समावेश होगा।

(3) यदि यह निर्णय होता है कि चोरी का मामला स्थापित नहीं हुआ है तो आगे किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी तथा संयोजन बहाल किया जाएगा।

(4) जहाँ यह स्थापित हो जाता है कि मामला विद्युत चोरी का है, तो अनुज्ञापी का ऐसा अधिकारी जिसे इस प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया है या अनुज्ञापी का कोई अन्य अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार अधिकृत रैंक से उच्च स्तर का हो, विद्युत की ऐसी चोरी का पता चलने पर, तुरंत विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित कर देगा तथा परिसर से तारों/केबलों, मीटर, सर्विस लाईन इत्यादि सहित सभी सामग्री साक्ष्यों को जब्त कर लेगा तथा अनुज्ञापी का ऐसा अधिकारी ऐसे विच्छेदन के चौबीस घंटे के भीतर अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुलिस स्टेशन में इस अपराध के संबंध में लिखित में शिकायत दर्ज करेगा।

(5) अनुज्ञापी, उप–विनियम 7.1.1 के क्लॉज (10) जो विद्युत के अनधिकृत उपयोग (यू.यू.ई) से सम्बंधित है, के अनुसार भी निर्धारण करेगा तथा उचित रसीद के साथ उपभोक्ता को प्रेषित करेगा। उपभोक्ता को इसे उचित रूप से प्राप्त करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर इसका भुगतान करना होगा।

(6) उक्त क्लॉज (5) के अनुसार, निर्धारित राशि या विद्युत प्रभार के जमा या भुगतान करने पर, अनुज्ञापी उपरोक्त क्लॉज (4) में संन्दर्मित शिकायत के दायर होने के पूर्वाग्रह के बिना, इस तरह से जमा या भुगतान के अड़तालीस घंटे के भीतर विद्युत सेवा लाईन से आपूर्ति बहाल करेगा।

(7) निर्धारित की गयी धनराशि तथा संयोजन बहाली/नए संयोजन के लागू प्रभार का भुगतान प्राप्त हो जाने पर अनुज्ञापी, उपभोक्ता का संयोजन पुनः सक्रिय कर सकेगा।

7.3 निर्धारण बिल बनाते समय अनुज्ञापी, मात्र विद्युत के अनधिकृत उपयोग के मामलों में निर्धारण बिल की अवधि हेतु उपभोक्ता द्वारा पहले से ही किए गए भुगतान को समायोजित करेगा। बिल में, जहां इसे जमा किया जाना है, समय, दिन तथा स्थान को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। ऐसे सभी भुगतान मात्र नकद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक पे ऑर्डर/इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ही किए जाएंगे। चेक तथा प्रॉमिसरी नोट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अध्याय 8: व्यावृत्ति

(1) इन विनियमों में अभिव्यक्त या विवादित कुछ भी, अधिनियम के अधीन किसी शक्ति के प्रयोग या किसी मामले के निपटारे में आयोग को वर्जित नहीं करेगा, जिसके लिए कि कोई विनियम संरक्षित नहीं किये गए हैं तथा आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों तथा कृत्यों से इस प्रकार निपट सकेगा जैसा वह उचित व सही समझे।

(2) **कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति**

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग अपने स्वयं के प्रस्ताव द्वारा या अन्यथा, आदेश द्वारा तथा ऐसे आदेशों से संभावित रूप से प्रभावित होने वालों को उचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों व कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, ऐसे उपबंध बना सकेगा।।

(3) **शिथिलीकरण हेतु शक्ति**

आयोग, कारणों को लिखित में अभिलिखित कर, स्वयं के प्रस्ताव से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसके समक्ष आवेदन करने पर इन विनियमों के किसी उपबंध में शिथिलता या परिवर्तन कर सकता है।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनो को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के प्रपत्र/अनुलग्नक

अनुलग्नक – I

(संदर्भ विनियम 3.2)

अस्थाई एलटी / एचटी / ईएचटी संयोजन हेतु आवेदन पत्र

(वितरण अनुज्ञापी.............................)

विद्युत वितरण खण्ड: ______________ उप–खण्ड: ______________

वितरण अनुज्ञापी द्वारा भरा जाए:

आवेदित भार (किलोवाट/केवीए/एचपी) ______________ लागू टैरिफ श्रेणी ______________

आवेदक द्वारा जमा किया गया पंजीकरण सह प्रक्रमण प्रभार + तत्काल सेवा शुल्क (यदि लागू हो) :-

पंजीकरण संख्या: ______________ प्राप्ति की तिथि: ______________

आवेदक द्वारा भरा जाए:

क्या उप–विनियम 3.2.1 के खंड (5) के अनुसार तत्काल सेवा के लिए आवेदन करना है। – हाँ / नहीं (जो भी लागू हो सही का निशान लगाएँ)

A.	सामान्य विवरण

1) व्यक्ति/संगठन का नाम जिनके नाम पर संयोजन अपेक्षित है:

व्यक्ति के लिए:

श्री/सुश्री/श्रीमती ______________ ______________ ______________

(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

संगठन/अन्य के लिए:

कंपनी का नाम ______________

स्वामी/निदेशक/प्रोपराइटर का नाम (संपर्क विवरण के साथ):

श्री/सुश्री/श्रीमती ______________ ______________ ______________

(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

आवेदक (स्वामी /अधिभोगी) आवेदन का अधिकृत व्यक्ति यथा निदेशक, स्वामी इत्यादि का पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो (सफेद पृष्ठभूमि में 4.5 सेमी X 3.5 सेंटीमीटर) चिपकाएं

2) पता: ______________

दूरभाष सं०: ______________ फैक्स सं०: ______________

ईमेल आईडी: ______________ मोबाइल सं०: ______________

3) पिता/पति/संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

श्री/ सुश्री ______________ ______________ ______________

(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

4) स्थल का पूरा पता (जहां संयोजन अपेक्षित है):

____

दूरभाष सं०: ______________ फैक्स सं०: ______________

ईमेल आईडी: ______________ लैण्ड मार्क: ______________

5) बिलिंग का पता (जहां बिल भेजा जाना है):

☐ उपरोक्त क्रमांक 2 के समान ☐ उपरोक्त क्रमांक 4 के समान

☐ यदि अलग हो: ______________

______________ दूरभाष सं०: ______________ फैक्स सं० : ______________

ईमेल आईडी: ______________

6) अस्थायी संयोजन हेतु आवेदित भार (किलोवाट/के.वी.ए./एच.पी.) ______________________

7) संयोजन का उद्देश्य (जो भी लागू हो सही का निशान लगाएँ):

☐ निर्माणः कृपया उल्लेख करें – आवासीय / गैर–आवासीय / औद्योगिक

☐ विवाह / समारोह ☐ थ्रेशर ☐ घुमन्तु सिनेमा / थिएटर/ सर्कस

☐ मेले/प्रदर्शनी/सभाएँ ☐ अन्य, उल्लेख करें ______________________

8) संयोजन हेतु समयावधि का उल्लेख करें

दिनांक से (तिथि/माह/वर्ष)		दिनांक तक (तिथि/माह/वर्ष)	

B. संलग्न दस्तावेजों की सूची

9) **पहचान प्रमाण (निम्नलिखित में से किसी एक की प्रतिलिपि), किसी एक संलग्नक पर सही का निशान लगाएँ :**

(a) आधार कार्ड (b) निर्वाचन पहचान पत्र (c) पासपोर्ट (d) ड्राइविंग लाइसेंस (e) राशन कार्ड की प्रति	(f) सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र (g) ग्राम प्रधान या किसी ग्राम स्तर के सरकारी कार्मिक जैसे पटवारी / लेखपाल / प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक / प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी इत्यादि द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
यदि आवेदक एक कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, स्कूल/कॉलेज, सरकारी विभाग आदि है, तो संबंधित कंपनी/संस्थान के संबंधित संकल्प/प्राधिकारी पत्र की प्रमाणित प्रति, और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ऊपर (a) से (g) में उल्लिखित किसी भी पहचान प्रमाण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।	

10) यदि निर्माण उद्देश्यों हेतु अस्थायी संयोजन की आवश्यकता होती है, तो मालिक से स्वामित्व प्रमाण या अनापत्ति प्रमाण पत्र।

11) यदि स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्व/स्थान पर आपूर्ति आवश्यक है, तो स्थानीय प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लिया जाएगा।

12) क्या कोई विद्युत संयोजन परिसर में मौजूद है:- **हाँ / नहीं:**

यदि हाँ, तो कनेक्शन सं०: ______________________, खाता सं० : ______________________

(नवीनतम भुगतान किए गये बिल की प्रतिलिपि प्रदान की जानी है)

13) क्या आवेदक निर्माण उद्देश्यों हेतु अस्थायी संयोजन की मांग कर रहा है और अस्थायी संयोजन की समाप्ति पर या इस प्रकार के निर्माण के पूर्ण होने के बाद 75 किलोवाट तक के भार हेतु एक स्थायी संयोजन की इच्छा रखता है :- **हाँ/नहीं** *(जो भी लागू हो सही का निशान लगाएँ)*

यदि हाँ, तो आवेदित भार ______________________ किलोवाट

C. शुल्क / भुगतान विवरण (पंजीकरण–सह–प्रक्रमण शुल्क और तत्काल सेवा शुल्क)

14) शुल्क विवरण:

अप्रतिदेय पंजीकरण–सह–प्रक्रमण शुल्क	तत्काल सेवा शुल्क (अप्रतिदेय और असमायोज्य)
एलटी– रु 1,000/–, एच.टी.– रु 20,000/–, ई.एच.टी.– रु 30,000/–	1 किलोवाट से 4 किलोवाट तक के लिए – रु. 1,000 / –. 4 किलोवाट से ऊपर 10 किलोवाट तक के लिए – रु 3,000 / –

15) भुगतान पद्धति विवरण:

डिमाण्ड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/ इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण/ नकद	जारीकर्ता बैंक ______ डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण (एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./आई. एन.पी.एस. आदि) की संदर्भ संख्या.- ______ दिनांक: ______ राशि: रु ______ (शब्दों में रु ______)

दिनांक: ____/____/____

स्थान: ______

आवेदक के हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कंपनी/संगठन की मुहर, (यदि लागू हो):

पावती

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विद्युत हेतु अस्थायी एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन के लिए आवेदन प्राप्त किया:

1) आवेदक का नाम ____________________

2) पता जहां संयोजन अपेक्षित है ____________________

____

3) आवेदित भार ____________________ (किलोवाट / के.वी.ए./एच.पी.)

4) तत्काल सेवा हेतु संयोजन एक कार्य दिवस के भीतर जारी किया जाना है, अर्थात दिनांक ____________ तक।

5) आवेदक निर्माण उद्देश्यों हेतु अस्थायी संयोजन की मांग कर रहा है तथा अस्थायी संयोजन की समाप्ति पर या इस प्रकार के निर्माण के पूर्ण होने के बाद 75 किलोवाट तक के भार हेतु एक स्थायी संयोजन प्राप्त करना चाहता है:-

हाँ/नहीं (जो भी लागू हो सही का निशान लगाएँ)

यदि हाँ, आवेदित भार (निर्माण पूरा होने के बाद) ________ किलोवाट

मोहर

वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

अनुलग्नक – I (A)
(संदर्भ विनियमन 3.2, विनियमन 3.3)

परीक्षण परिणाम रिपोर्ट
(के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 31 एवं 33 का संदर्भ लें)

(अनुज्ञापी के प्रतिनिधि द्वारा भरा जाए)

विद्युत वितरण खण्ड : ______________________ उप–खण्ड : ______________________

आवेदित भार (किलोवाट / के.वी.ए./एच.पी.) ____________ पंजीकरण / अनन्य आवेदन सं०: ____________

निकटतम लैंडमार्क पोल सं० / फीडर पिलर सं० ____________

इन्सुलेशन प्रतिरोध का परिणाम (फेज कंडक्टर एवं अर्थ के मध्य एक मिनट हेतु 500 वोल्ट का दबाव देकर नापने पर) -

	फेज–1 एवं अर्थ	फेज–2 एवं अर्थ	फेज–3 एवं अर्थ
(i) फेज एवं अर्थ के मध्य			

सावधानी: जब कोई उपभोक्ता उपकरण जैसे कि पंखे, ट्यूब, बल्ब इत्यादि सर्किट में हो तो फेज व न्यूट्रल के मध्य या फेजों के मध्य इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स को नहीं नापा जाएगा क्योंकि ऐसे परीक्षण के परिणाम उपकरण की रेजिस्टेन्स को दर्शाएंगे न कि संस्थापन की इन्सुलेशन रेजिस्टेन्स।

प्रमाणित किया जाता है कि के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 16 के अधीन अपेक्षित अर्थ टर्मिनल यूपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराया गया है तथा यह टर्मिनल यूपीसीएल के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है।

आपके विद्युत संस्थापन में निम्नलिखित कमियां पाई गई हैं। आपसे निवेदन है कि उन्हें दिनांक .... से 15 दिनों के भीतर दूर कर दें तथा यूपीसीएल को सूचित करें। ऐसा न करने पर नए संयोजन हेतु आपका निवेदन निरस्त हो जाएगा:

1. ______________________

2. ______________________

दिनांक: ____________

अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

परिक्षेत्र का परीक्षण मेरी उपस्थिति में अनुज्ञापी द्वारा किया गया है

* मैं परीक्षण से संतुष्ट हूं

* मैं परीक्षण से संतुष्ट नहीं हूं और विद्युत निरीक्षक के समक्ष अपील दायर कर सकता हूं

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यूपीसीएल ने परिक्षेत्र में के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 16 के अनुरूप एक अर्थ टर्मिनल उपलब्ध कराया है/नहीं कराया है तथा यह अर्थ टर्मिनल यूपीसीएल के अर्थिंग सिस्टम के साथ संयोजित किया गया है/ नहीं किया गया है।

दिनांक ____________

आवेदक के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें

अनुलग्नक – II

(संदर्भ विनियम 3.3)

नए एल.टी. संयोजन हेतु आवेदन पत्र

(वितरण अनुज्ञापी ....)

विद्युत वितरण खण्ड:________________________ उप–खण्ड:________________________

वितरण अनुज्ञापी द्वारा भरा जाए:

आवेदित भार (किलोवाट/के.वी.ए./एच.पी.) ______________ लागू टैरिफ श्रेणी:______________

अनन्य आवेदन सं०:______________________ प्राप्ति की तिथि:

उपभोक्ता सं०:______________ निकटतम लैंडमार्क पोल सं० / फीडर पिलर सं०______________

आवेदक द्वारा भरा जाए:

A.	सामान्य विवरण

1) व्यक्ति/संगठन का नाम जिनके नाम पर संयोजन अपेक्षित है:

आवेदक (स्वामी /अधिभोगी) आवेदन का अधिकृत व्यक्ति यथा निदेशक, स्वामी इत्यादि का पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो (सफेद पृष्ठभूमि में 4.5 सेमी × 3.5 सेंटीमीटर) चिपकाएं

व्यक्ति के लिए:

श्री/सुश्री/श्रीमती ______________ ______________ ______________

(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

संगठन/अन्य के लिए:

कंपनी का नाम ______________________________

स्वामी/निदेशक/प्रोपराइटर का नाम (संपर्क विवरण के साथ):

श्री/सुश्री/श्रीमती ______________ ______________ ______________

(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

पता: ______________________________

दूरभाष सं०: ______________ फैक्स सं०: ______________ ईमेल आईडी: ______________

मोबाइल सं०:______________ वेबसाइट:______________

2) पिता / पति / संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

श्री/सुश्री/श्रीमती/डा./प्रो. ______________ ______________ ______________

(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

3) स्थल का पूरा पता (जहां संयोजन अपेक्षित है):

____

दूरभाष/ मोबाइल सं०: ______________ फैक्स सं०: ______________ ईमेल आईडी: ______________

4) संपत्ति के मालिक का पता (यदि आवेदक किरायेदार या पट्टेदार है)______________

____

5) क्या कोई विद्युत संयोजन परिसर में मौजूद है:- हाँ / नहीं;

यदि हाँ, तो कनेक्शन सं०: ______________, खाता सं० : ______________

6) जन्म तिथि / निगमन की तिथि: ____________________

7) प्लॉट का आकार एवं वर्ग फुट में निर्मित क्षेत्र (आवासीय / गैर–आवासीय / मल्टीप्लेक्स / मॉल / टाउनशिप / आदि हेतु) – विनियम 3.6 का संदर्भ लें ____________________

B. नए संयोजन हेतु विवरण

8) आवेदित भार (किलोवाट / के.वी.ए. / एच.पी.) ____________________

9) क्या आवेदक प्री–पेड मीटर संयोजन की इच्छा रखता है (25 किलोवाट तक भार हेतु लागू) :- हाँ / नहीं

10) वोल्टेज जिस पर आपूर्ति की आवश्यकता है: - 230 वोल्ट / 415 वोल्ट

11) संयोजन की श्रेणी:

□ घरेलू □ अघरेलू □ सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान (कृपया निर्दिष्ट करें) ____

□ निजी नलकूप □ एलटी उद्योग □ अन्य, निर्दिष्ट करें ____________________

12) अघरेलू भार हेतु:

(a) प्रकार

□ शैक्षिक संस्थान	□ अस्पताल	□ धर्मार्थ संस्थाएँ
□ होटल / जलपान गृह	□ गेस्ट हाउस / लॉज	□ मनोरंजन पार्क
□ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स / मॉल	□ धार्मिक स्थल	□ कार्यालय
□ सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स	□ मोबाइल टॉवर	□ अन्य, निर्दिष्ट करें ________

13) औद्योगिक भार हेतु:

(a) उद्योग का प्रकार: ____________________

C. संलग्न दस्तावेजों की सूची

14) पहचान / पता प्रमाण:

(i) व्यक्तिगत आवेदक हेतु (निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति) कृपया संलग्नक पर सही का निशान लगाएँ:

(a) आधार कार्ड

(b) निर्वाचन पहचान पत्र

(c) पासपोर्ट

(d) ड्राइविंग लाइसेंस

(e) राशन कार्ड की प्रति

(f) सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

(ii) यदि आवेदक एक कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, स्कूल / कॉलेज, सरकारी विभाग आदि है, तो संबंधित कंपनी / संस्थान के संबंधित संकल्प / प्राधिकारी पत्र की प्रमाणित प्रति, और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त (i) में उल्लिखित किसी भी पहचान प्रमाण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।

15) स्वामित्व / अधिकारिता का प्रमाण:

(i) जिस परिसर हेतु संयोजन अपेक्षित है उस पर स्वामित्व या अधिकारिता के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व–प्रमाणित प्रति आवश्यक है (कृपया संलग्नक पर सही का निशान लगाएँ):

(a) बिक्री विलेख या पट्टा विलेख (आवेदन की तिथि से पूर्व, तीन माह के भीतर जारी नवीनतम किराया रसीद के साथ) या खसरा या खतौनी (खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम शामिल होना इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त होगा)।

(b) रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा

(c) नगर पालिका कर रसीद या मांग पत्र या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज

(d) आवंटन का पत्र

(e) एक आवेदक जो परिसर का मालिक नहीं है, किन्तु एक कब्जाधारी है, उपरोक्त (a) से (d) में सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक के साथ भी परिसर के मालिक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

16) वैधानिक अनुमतियाँ/पंजीकरण, जो भी लागू हो:-

(i) किसी भी कानून/कानून के तहत आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति/एनओसी हेतु आवेदन करने का प्रमाण जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग निदेशक आदि।

(ii) साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख एवं भागीदारों की सूची उनके प्रमाणित पते के साथ।

(iii) एक लिमिटेड कंपनी के मामले में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तथा निदेशकों की सूची उनके प्रमाणित पते के साथ।

17) इस आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट के अनुसार निर्धारित प्रारूप में घोषणा / वचनबंध

दिनांक: ____/____/____ आवेदक के हस्ताक्षर :________

स्थान: ______________ नाम :________

(कंपनी / संगठन आदि के मामले में)

पदनाम :________

कंपनी / संगठन की मुहर:

परिशिष्ट

घोषणा / वचनबंध

(नए एल.टी. संयोजन हेतु)

मैं, ________________पुत्र/पुत्री, श्री_____________ निवासी_________________(इसके पश्चात "आवेदक" के रूप में संदर्भित, जिस शब्द के अभिप्राय में निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, उत्तरवर्ती तथा समनुदेशक सम्मिलित हैं), एतद्‌वारा निम्नलिखित शपथ लेता हूँ व घोषणा करते हूँ:

अथवा

___________,कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अधीन निगमित, जिसका पंजीकृत कार्यालय ______________ पर स्थित है (इसके पश्चात "आवेदक" के रूप में संदर्भित, जैसा की पद में जब तक कि संदर्भ में या उसके अभिप्राय में विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी व समनुदेशक सम्मिलित हैं) एतद्‌वारा निम्नलिखित शपथ लेते हैं वह घोषणा करते हैं:

कि आवेदक ____________पर परिक्षेत्र का विधिपूर्ण कब्जाधारी है जिसके समर्थन में आवेदक ने कब्जे का प्रमाण दिया है

अथवा

कि आवेदक परिसर का विधिपूर्ण कब्जाधारी है, लेकिन मालिक नहीं है, तथा स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, परन्तु सुरक्षा की राशि का भुगतान करने हेतु तैयार है, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट है (पीटीडब्ल्यू संयोजन हेतु लागू नहीं)

कि, आवेदक ने आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित उद्देश्य हेतु यूपीसीएल को आवेदक के नाम पर उपरोक्त उल्लेखित परिक्षेत्र में एक विद्युत सेवा संयोजन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

कि घोषणा को प्रस्तुत करते समय आवेदक ने भली भांति समझ लिया है कि यदि भविष्य में उपरोक्त कथन किसी भी स्तर पर असत्य या गलत साबित होते हैं, तो यूपीसीएल को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना किसी भी सूचना के आवेदक की आपूर्ति को विच्छेद कर दे तथा उपभोक्ता प्रतिभूति जमा के सापेक्ष देयों का समायोजन करे।

कि आवेदक एतद्द्वारा सहमति प्रदान करता है व वचन देता है कि:

1. आवेदक को दिए जाने वाले नए सेवा संयोजन के कारण यूपीसीएल को होने वाली सभी कार्यवाहियों, दावों, मांगों, लागतों, हानियों, व्ययों, के सापेक्ष क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी।
2. परिक्षेत्र के भीतर किये गए सभी विद्युत कार्य के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियमों के अनुसार हैं तथा एक अनुज्ञापित विद्युत संविदाकार द्वारा किये गए है (जहां आवेदक भवन स्वामी हो तथा भवन में नई तारें बिछाई हों)

अथवा

परिक्षेत्र के भीतर किए गए सभी विद्युत कार्य हमारी पूरी जानकारी के अनुसार के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियमों के अनुरूप हैं। (जहां आवेदन पुनर्संयोजन हेतु है या आवेदक परिक्षेत्र का कब्जाधारी है)

3. इस संबंध में आवेदक को हुई किसी हानि हेतु यूपीसीएल क्षतिपूरक है। इसके अतिरिक्त आवेदक सहमत है कि उसके परिक्षेत्र के भीतर विद्युत कार्य में त्रुटि के कारण यदि यूपीसीएल की संपत्ति को कोई अपहानि/हानि होती है तो सभी देयताएं आवेदक द्वारा वहन की जाएंगी।

4. नियमित रूप से तथा भुगतान हेतु शोध्य होने पर, समय–समय पर प्रवृत आपूर्ति हेतु विविध प्रभार व यूपीसीएल की दर सूची में नियत दरों पर विद्युत् उपभोग बिल व अन्य प्रभार के भुगतान हेतु।

5. पूर्ववर्ती वर्ष में आवेदक के उपभोग के आधार पर समय–समय पर यूपीसीएल द्वारा संशोधित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने हेतु।

6. विद्युत अधिनियम, 2003, यूईआरसी (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना एवं संबंधित मामले) विनियम, 2020, टैरिफ आदेश और अधिनियम के तहत अधिसूचित किसी भी अन्य नियम या विनियम के प्रावधानों का समय–समय पर पालन करने हेतु।

7. संविदाकृत अवधि की समाप्ति से पूर्व या किसी संविदात्मक त्रुटि के कारण अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, आवेदक द्वारा भुगतान की गयी प्रतिभूति जमा के सापेक्ष यूपीसीएल, विद्युत उपभोग प्रभार किसी अन्य प्रभार के साथ समायोजित करने हेतु स्वतंत्र होगा।

8. यूपीसीएल द्वारा उपलब्ध कराए गए मीटर, सीटी, केबल इत्यादि को संरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए उत्तरदायी होना तथा यदि आवेदक के कारण उपकरणों को कोई क्षति पहुंचती है, तो आवेदक उसका प्रभार भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त, मीटर इत्यादि की सील टूटने के कारण या प्रत्यक्ष/बेईमानी से विद्युत निकालने के कारण होने वाले सभी प्रतिक्रियाओं व वर्तमान विधिनुसार आवेदक उत्तरदायी होगा।

9. मीटर रीडिंग, और इसकी जाँच इत्यादि के उद्देश्य हेतु मीटर तक स्पष्ट व बाधारहित पहुंच की अनुमति प्रदान करना।

10. किसी व्यतिक्रम या कानूनी उपबंध की अवहेलना पर तथा कानूनी प्राधिकार द्वारा इस प्रकार के आदेश को लागू करने हेतु कानूनी बाध्यता होने पर आवेदक यूपीसीएल को सेवा विच्छेदित करने देगा। यह विच्छेदन की तिथि पर अपने भुगतान पाने सहित यूपीसीएल के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

11. आवेदक द्वारा दी गई उपरोक्त सभी घोषणाओं को यूपीसीएल एवं आवेदक के मध्य एक अनुबंध के रूप में माना जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

हस्ताक्षरित एवं प्राप्ति

साक्षी की उपस्थिति में

साक्षी का नाम

पावती

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विद्युत हेतु नए एल.टी. संयोजन के लिए आवेदन प्राप्त किया:

अनन्य आवेदन सं०:

1) आवेदक का नाम ____________________

2) पता जहां संयोजन अपेक्षित है ____________________

____

____

3) आवेदित भार ____________________(किलोवाट / के.वी.ए. / एच.पी.)

मोहर

वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

अनुलग्नक – III

(संदर्भ विनियमन 3.4)

नए एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन हेतु आवेदन पत्र

(वितरण अनुज्ञापी ....)

विद्युत वितरण खण्ड: ____________ उप–खण्ड: ____________

वितरण अनुज्ञापी द्वारा भरा जाए:

आवेदित भार (के.वी.ए.) ____________ लागू टैरिफ श्रेणी: ____________

अनन्य आवेदन सं०: ____________ प्राप्ति की तिथि: ____________

उपभोक्ता सं०: ____________ निकटतम लैंडमार्क पोल सं० / फीडर पिलर सं० ____________

आवेदक द्वारा भरा जाए:

A. सामान्य विवरण

1) व्यक्ति/संगठन का नाम जिनके नाम पर संयोजन अपेक्षित है:

आवेदक (स्वामी /अधिभोगी) आवेदन का अधिकृत व्यक्ति यथा निदेशक, स्वामी इत्यादि का पासपोर्ट आकार का स्वप्रमाणित फोटो (सफेद पृष्ठभूमि में 4.5 सेमी * 3.5 सेंटीमीटर) चिपकाएं

व्यक्ति के लिए:

श्री/सुश्री/श्रीमती ____________ ____________ ____________
(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

संगठन/अन्य के लिए:

कंपनी का नाम ____________

स्वामी/निदेशक/प्रोपराइटर का नाम (संपर्क विवरण के साथ):

श्री/सुश्री/श्रीमती ____________ ____________ ____________
(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

पता: ____________

दूरभाष सं०: ____________ फैक्स सं०: ____________ ईमेल आईडी: ____________

मोबाइल सं०: ____________ वेबसाइट: ____________

2) पिता/पति/संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

श्री/सुश्री/श्रीमती/डा./प्रो. ____________ ____________ ____________
(प्रथम नाम) (मध्य नाम) (उपनाम)

3) स्थल का पूरा पता (जहां संयोजन अपेक्षित है):

____

दूरभाष सं०: ____________ फैक्स सं०: ____________ ईमेल आईडी: ____________

संयोजन एवं उससे आपूर्ति के संबंध में संपर्क व्यक्ति:

नाम: ____________ पदनाम (यदि कंपनी / फर्म आदि) ____________

दूरभाष/ मोबाइल सं०: ____________ फैक्स सं०: ____________ ईमेल आईडी: ____________

4) क्या कोई विद्युत संयोजन परिसर में मौजूद है:- हाँ / नहीं:

यदि हाँ, तो संयोजन सं० : ____________________, खाता सं० : ____________________

(नवीनतम भुगतान किए गये बिल की प्रतिलिपि प्रदान की जानी है)

5) पैन/आधार संख्या: ____________________

6) जन्म तिथि/निगमन की तिथि: ____________________

7) प्लॉट का आकार एवं वर्ग फुट में निर्मित क्षेत्र (आवासीय/गैर–आवासीय/मल्टीप्लेक्स/मॉल/टाउनशिप आदि हेतु) – विनियम 3.6 का संदर्भ लें ____________________

B.	नए संयोजन हेतु विवरण

8) आवेदित भार (के.वी.ए.) ____________________

9) वोल्टेज जो आपूर्ति की आवश्यकता है – 11 केवी / 33 केवी / 132 केवी / 220 केवी

10) संयोजन की श्रेणी:

☐ घरेलू ☐ अघरेलू ☐ सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान (कृपया निर्दिष्ट करें) ____________

☐ निजी नलकूप ☐ उद्योग ☐ मिश्रित भार ☐ रेलवे ट्रैक्शन ☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें ____________

11) घरेलू भार हेतु:

(a) प्रकार

☐ व्यक्तिगत उपभोक्ता ☐ एकल बिंदु थोक आपूर्ति (उपभोक्ताओं के एक समूह के लिए)

(b) एकल बिंदु थोक आपूर्ति के मामले में

☐ सहकारी सामूहिक आवास समिति ☐ नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए ☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें ____________

12) अघरेलू भार हेतु:

(a) प्रकार

☐ शैक्षिक संस्थान ☐ अस्पताल ☐ धर्मार्थ संस्थाएँ

☐ होटल / जलपान गृह ☐ गेस्ट हाउस / लॉज ☐ एम्यूज़मेंट पार्क

☐ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स / मॉल ☐ धार्मिक स्थल ☐ कार्यालय

☐ सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स ☐ मोबाइल टॉवर ☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें ____________

13) औद्योगिक भार हेतु:

(a) उद्योग का प्रकार:

☐ कागज़ ☐ शक्कर ☐ रसायन

☐ शीशा ☐ वस्त्र ☐ चावल मिल

☐ इस्पात इकाई ☐ वाहन ☐ विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक सामान

☐ भूसा/गूदा/गत्ता ☐ खाद्य प्रसंस्करण ☐ औषधि / दवा

☐ स्टोन क्रशर ☐ सीमेंट ☐ मौसमी उद्योग ☐ अन्य, विनिर्दिष्ट करें ____________

(b) प्रक्रिया का प्रकार: (केवल सूचना के उद्देश्य हेतु, टैरिफ उद्देश्यों के लिए लागू नहीं)

☐ निरन्तर ☐ अनिरन्तर

यदि निरन्तर प्रक्रिया है तो निरन्तर आपूर्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम महत्वपूर्ण / संरक्षित भार केवीए में इंगित करें (एचटी / ईएचटी उद्योगों के लिए लागू) ____________________

(c) पारी की संख्या:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

14) मिश्रित भार के लिए:

घरेलू भार का प्रतिशत ____________________ अघरेलू भार का प्रतिशत ____________________

C.	संलग्न दस्तावेजों की सूची

15) पहचान / पता प्रमाण

(i) व्यक्तिगत आवेदक हेतु (निम्नलिखित में से किसी एक की प्रति) कृपया संलग्नक पर सही का निशान लगाएँ:

(a) आधार कार्ड

(b) निर्वाचन पहचान पत्र

(c) पासपोर्ट

(d) ड्राइविंग लाइसेंस

(e) राशन कार्ड की प्रति

(f) सरकारी एजेंसी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र

(ii) यदि आवेदक एक कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, स्कूल/कॉलेज, सरकारी विभाग आदि है, तो संबंधित कंपनी/संस्थान के संबंधित संकल्प/प्राधिकारी पत्र की प्रमाणित प्रति, और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त (i) में उल्लिखित किसी भी पहचान प्रमाण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेंगे।

16) स्वामित्व/अधिकारिता का प्रमाण

(i) जिस परिसर हेतु संयोजन अपेक्षित है उस पर स्वामित्व या अधिकारिता के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व–प्रमाणित प्रति आवश्यक है (कृपया संलग्नक पर सही का निशान लगाएं):

(a) बिक्री विलेख या पट्टा विलेख (आवेदन की तिथि से पूर्व, तीन माह के भीतर जारी नवीनतम किराया रसीद के साथ) या खसरा या खतौनी (खसरा या खतौनी में आवेदक का नाम शामिल होना इस उद्देश्य हेतु पर्याप्त होगा)।

(b) रजिस्ट्रीकृत मुख्तारनामा

(c) नगर पालिका कर रसीद या मांग पत्र या कोई अन्य संबंधित दस्तावेज

(d) आवंटन का पत्र

(e) एक आवेदक जो परिसर का मालिक नहीं है, लेकिन एक कब्जाधारी है, उपरोक्त (a) से (d) में सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक के साथ परिसर के मालिक से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करेगा।.

17) वैधानिक अनुमतियाँ/पंजीकरण, जो भी लागू हों: -

(i) किसी भी कानून / कानून के तहत आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति/अनुमति/एनओसी हेतु आवेदन करने का प्रमाण जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उद्योग निदेशक आदि।

(ii) साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख एवं भागीदारों की सूची उनके प्रमाणित पते के साथ।

(iii) एक लिमिटेड कंपनी के मामले में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तथा निदेशकों की सूची उनके प्रमाणित पते के साथ।

18) अस्थायी तिथि हेतु वचनबंध जिस पर आवेदक के कार्य पूरे हो जाएंगे तथा ऊर्जीकरण हेतु तैयार होंगे।

D. शुल्क/भुगतान विवरण

19) पंजीकरण सह प्रक्रमण शुल्क का भुगतान विवरण: -

विवरण	शुल्क रुपये में
11 के.वी. पर संयोजन	7,500/-
33 के.वी. पर संयोजन	15,000/-
132 के.वी. पर संयोजन	40,000/-
220 के.वी. या उससे अधिक पर संयोजन	75,000/-

20) भुगतान का माध्यम:

डिमाण्ड ड्राफ्ट/ भुगतान आदेश/ इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण/ नकद	जारीकर्ता बैंक ________ डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण (एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस आदि) की संदर्भ संख्या.- ________ दिनांक: ________ राशि: रु ________ (शब्दों में रु ________)

दिनांक: ____/____/____

स्थान: ________

आवेदक के हस्ताक्षर : ________

नाम : ________

(कंपनी / संगठन आदि के मामले में)

पदनाम : ________

कंपनी / संगठन की मुहर:

पावती

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विद्युत हेतु नए एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन के लिए आवेदन प्राप्त किया:

अनन्य आवेदन सं०:

1) आवेदक का नामः ____________________

2) पता जहां संयोजन अपेक्षित हैः ____________________

____

____

3) आवेदित भारः ____________________ (केवीए)

4) पंजीकरण सह प्रसंस्करण शुल्क के सापेक्ष भुगतान विवरण का संदर्भः ____________________

मोहर

वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

अनुलग्नक – IV
(संदर्भ विनियम 3.6)

विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा बनाए जाने वाले आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर/मल्टीप्लेक्स/मॉल/टाउनशिप आदि में नए विद्युत संयोजन के मामले में मानक भार के निर्धारण की प्रक्रिया।

भार

(i) आवासीय उपयोग

प्रत्येक 300 वर्ग फुट हेतु निर्मित क्षेत्र या उसके भाग

a.	नगर निगम (नगर निगम) क्षेत्र में	1 किलोवाट
b.	नगरपालिका बोर्ड (नगर पालिका) क्षेत्र में	0.75 किलोवाट
c.	नगर पंचायत / ग्राम पंचायत क्षेत्र में	0.50 किलोवाट

(ii) गैर–आवासीय उपयोग

a.	प्रत्येक 150 वर्ग फुट हेतु निर्मित क्षेत्र या उसके भाग	1 किलोवाट
b.	शेड/गोदाम/स्कूल हेतु 1000 वर्ग फुट का क्षेत्रफल या उसका भाग	1 किलोवाट
c.	पार्किंग हेतु 1000 वर्ग फुट का क्षेत्र या उसका भाग	1 किलोवाट

वितरण अनुज्ञापी परिसर की स्वीकृत योजना/लेआउट का संदर्भ ले सकता है, जो कि उपरोक्त क्रम संख्या (i) और (ii) हेतु निर्मित क्षेत्र के मूल्यांकन के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

टिप्पणी:

आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर/मल्टीप्लेक्स/मॉल/टाउनशिप आदि के मानक भार की गणना निम्न परिगणना के योग के अनुरूप निर्धारित होगी:

1. विकासकर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले आवासीय परिसर/गैर–आवासीय परिसर/मल्टीप्लेक्स/मॉल/टाउनशिप इत्यादि के मानक भार की गणना आवास इकाइयों/अपार्टमेंट/दुकानों की संख्या के आधार पर की जाएगी, जिसमें प्रत्येक ऐसी इकाइयों/अपार्टमेंट/दुकानों का निर्मित क्षेत्र/निर्माण क्षेत्र भी शामिल है, जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए आधार की प्रति योजना/लेआउट के अनुसार अनुमोदित किया गया है।
2. लिफ्ट/प्रकाश, पानी पंप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी सामान्य सुविधाओं का भार विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा घोषित किया जाएगा।

अनुलग्नक – V(A)
(संदर्भ विनियम 3.4)

प्रारूपः कार्य पूर्णता रिपोर्ट

1. आवेदक का नाम एवं पताः ______________________

2. संस्थापना का नाम एवं पताः ______________________

3. आपूर्ति का वोल्टेजः ______________________

4. जिस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया हैः ______________________

5. वायरिंग का प्रकारः ______________________

6. संस्थापनाओं का विवरणः

I.	मोटर्स	मेक	क्रम सं०	किलोवाट	फेज	वोल्टेज	आरपीएम	सेवित प्रक्रिया व/या प्रत्येक मोटर से संयोजित मशीन

II. अन्य उपस्कर (संपूर्ण विवरण प्रस्तुत किए जाएँ):

7. कुल संयोजित भार ______________ किलोवाट (______________ केवीए 0.85 पीएफ पर)

8. अधिकतम करंट एम्पियर में (संयोजित भार के आधार पर) ______________

9. अर्थ पर लीकेज एम्पियर में ______________

10. के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 के अनुसार आवेदक के संस्थापन में सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्णता का विवरण: -

क्रम सं०	विनियम सं०	विवरण	आवेदक का उत्तर एवं हस्ताक्षर (अनुज्ञापित संविदाकार के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जहाँ भी लागू हो)	वितरण अनुज्ञापी या उसके प्रतिनिधि द्वारा टिप्पणी
1	2	3	4	5
A– सामान्य सुरक्षा के पूर्वोपाय				
1	----.	क्या निरीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क जमा किया गया है? टी.सी. संख्या, दिनांक व राशि उद्धृत करें।		
2	— .	क्या उच्च वोल्टेज परीक्षण, इन्सुलेशन परीक्षण तथा अर्थ परीक्षण कर लिए गए हैं?		
		उपरोक्त परीक्षणों के परिणाम निर्दिष्ट करें उच्च वोल्टेज परीक्षण (आवेदित वोल्टेज विनिर्दिष्ट करें) परिणामः– सहन क्रिया/विफल इन्सुलेशन परीक्षण (आवेदित वोल्टेज विनिर्दिष्ट करें) Φ1 और अर्थ के मध्य इन्सुलेशन Φ2 और अर्थ के मध्य इन्सुलेशन Φ3 और अर्थ के मध्य इन्सुलेशन अर्थ प्रतिरोधकता परीक्षण अर्थ प्रतिरोध		
3	12.	क्या विद्युत आपूर्ति लाईनें उपकरण क्षमता तथा आकार में पर्याप्त हैं तथा क्या वे पर्याप्त यांत्रिक क्षमता की हैं?		
4	15 (i).	क्या आपूर्ति के प्रारम्भिक बिंदु पर लाइव कंडक्टर से अर्थ न्यूट्रल कंडक्टर का भेद करने के लिए स्थायी स्वभाव के संकेतक प्रदान किये गए हैं?		
5	15 (ii).	क्या आपूर्ति को एकाकी करने के लिए अर्थ्ड तथा अर्थ नैचुरल तथा लाइव कंडक्टर पर एक साथ परिचालन हेतु लिंक्ड स्विच से अन्यथा कोई कट–आउट, लिंक या स्विच, अर्थ्ड न्यूट्रल कंडक्टर में लगाया गया है?		
6	17.	जहां बेयर कंडक्टरों का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ–		
		(क) क्या वे पहुंच से बाहर हैं?		
		(ख) क्या उन्हें मृत करने के लिए स्विच प्रदान किए गए हैं?		
		(ग) क्या अन्य उचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं?		
7	18.	क्या मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स की सभी सहज दृश्य अवस्थितियों पर या उपकरण रखे जाने वाले अहातों के प्रवेश द्वार पर तथा एचटी लाईन सपोर्ट पर "DANGER"– "सावधान" शब्द तथा लाल रंग से वोल्टेज 12" x 9" आकार की सफेद रंग की प्लेट पर सावधानी सूचना लगाई गई है?		
8	25.	क्या विभिन्न वोल्टेज पर परिचालन हेतु आशयित सर्किट्स या उपकरणों को विशिष्ट निशान प्रदान किया गया हैं?		
9	26.	क्या आशयित वोल्टेज से आगे उपकरण की आकस्मिक चार्जिंग को टालने के लिए उपयुक्त पूर्वोपाय किए गए हैं?		
10	27 (1).	क्या विद्युतीय अग्निशमन यंत्र एवं बाल्टियाँ उपलब्ध कराई गई हैं?		
11	27 (3).	क्या सरकार द्वारा प्रथमोपचार बक्से विनिर्दिष्ट सामग्री के साथ उपलब्ध कराये गए हैं? प्रथमोपचार हेतु योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नाम दें।		
12	28(1).	क्या शॉक रेस्टोरेशन चार्टस उपलब्ध कराये गये हैं?		

क्रम सं०	विनियम सं०	विवरण	आवेदक का उत्तर एवं हस्ताक्षर (अनुज्ञापित संविदाकार के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जहाँ भी लागू हो)	वितरण अनुज्ञापी या उसके प्रतिनिधि द्वारा टिप्पणी
1	2	3	4	5
13	28(2).	उन अधिकृत व्यक्तियों के नाम दें, जो उपरोक्त 28 (1) में दिए गए इन निर्देशों को लागू करने हेतु अवगत हैं एवं सक्षम हैं।		
14	29.	क्या सक्षमता का प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा मान्य या जारी अनुमति पत्र प्राप्त किसी व्यक्ति के अधीन एक अनुज्ञापित विद्युतीय संविदाकार द्वारा विद्युत कार्य कराया गया है?		
B–ऊर्जा की आपूर्ति तथा उपयोग से संबंधित सामान्य शर्तें				
15	35(2)	क्या आपूर्ति को पूर्णतः एकाकी करने के लिए प्रारंभ के बिंदु के पश्चात किंतु समीप करंट ले जाने व ब्रेक करने के लिए आवश्यक क्षमता के लिंक स्विच व सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराए गए हैं?		
16	35(3).	क्या प्राइमरी साइड पर लिंक्ड स्विच पूर्ण भार करंट ले जाने तथा प्रवर्तक के केवल मैग्नेटाइज्ड करंट को तोड़ने हेतु उपयुक्त हैं? इस शर्त के साथ की 1000 केवी क्षमता तथा इससे अधिक क्षमता वाले प्रवर्तकों हेतु एक सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराया जाएगा।		
		क्या प्रवर्तकों के द्वितीयक पक्ष पर पर्याप्त रेटिंग का सर्किट ब्रेकर डाला गया है?		
17	35(4).	क्या प्रत्येक भिन्न सर्किट को उपयुक्त कट आउट या सर्किट ब्रेकर द्वारा अत्यधिक ऊर्जा के सापेक्ष संरक्षित किया गया है?		
18	35(5).	क्या एक विशिष्ट यंत्र के परिचालन हेतु लगाई गयी प्रत्येक मोटर या मोटर्स के समूह या अन्य उपकरणों की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त स्थान पर एक उपयुक्त लिंक्ड स्विच या सर्किट ब्रेकर उपलब्ध कराए गए हैं?		
19	35(7).	क्या यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए गए हैं कि कोई जीवित भाग इस प्रकार खुले न छोड़े जाएँ कि उनसे खतरा उत्पन्न हो।		
20	37 (i)	क्या सभी कंडक्टर्स (ओवर–हेड लाईनों के अलावा) यांत्रिक रूप से सुदृढ़ धातु आवरण में पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं जो कि विद्युतीय तथा यांत्रिक रूप से निरंतर है तथा यांत्रिक हानि के सापेक्ष पर्याप्त रूप से संरक्षित हैं? यदि असंरक्षित हैं, तो क्या वे केवल अधिकृत व्यक्तियों की पहुंच के भीतर हैं या हानि से बचाव के लिए निरीक्षक की संतुष्टि के साथ संस्थापित तथा संरक्षित हैं?		
21	37(ii)	क्या संस्थापन के सभी समर्थक या सहायक मेटल कार्य आवरण अर्थ से जुड़े हैं?		
22	37 (iii)	क्या मेन स्विच बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित पूर्वोपाय किए गए हैं?		
		(i) क्या मेन स्विच बोर्ड के समक्ष कम से कम 3 फीट चौड़ा स्पष्ट स्थान उपलब्ध कराया गया है?		
		(ii) क्या मेन स्विच बोर्ड के पीछे खुले संयोजन हैं? यदि हां तो क्या पीछे का स्थान 9 इंच से कम या 30 इंच से अधिक चौड़ाई का है।		
		क्या स्विच–बोर्ड के दोनों सिरों से 6–फीट स्पष्ट ऊँचाई का मार्ग उपलब्ध कराया गया है, क्या स्विच बोर्ड के पीछे का स्थान 30 इंच चौड़ाई से अधिक का है?		

क्रम सं०	विनियम सं०	विवरण	आवेदक का उत्तर एवं हस्ताक्षर (अनुज्ञापित संविदाकार के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जहाँ भी लागू हो)	वितरण अनुज्ञापी या उसके प्रतिनिधि द्वारा टिप्पणी
1	2	3	4	5
C–उच्च एवं अति–उच्च वोल्टेज हेतु विद्युत आपूर्ति लाईनें, प्रणाली तथा उपकरण				
23	41(i), (ii) & (iii). and 48(1).	क्या थ्री फेज फोर वायर प्रणाली के न्यूट्रल कन्डक्टर उप स्टेशन पर अर्थ के साथ दो अलग व भिन्न संयोजनों के साथ जोड़े गए हैं?		
24	41(xii).	क्या सभी प्रवर्तक तथा उपकरणों के धातु भाग (जो कंडक्टर्स के रूप में आशयित न हों) तथा प्रत्येक स्थित मोटर, प्रवर्तक के फ्रेम दो अलग–अलग तथा भिन्न संयोजनों के साथ अर्थ से जोड़े गए हैं?		
25	44 (a).	क्या सभी कंडक्टर्स तथा उपकरण अधिकृत व्यक्तियों के अलावा अन्य की पहुंच से बाहर हैं तथा क्या उक्त उपकरण तथा कंडक्टर्स से संबंधित सभी परिचालन केवल अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं?		
26	44 (b).	क्या उपभोक्ता ने वितरण अनुज्ञापी के उच्च वोल्टेज उपकरण तथा मीटरिंग के उपकरण रखने के लिए एक अलग भवन तथा ताला लगा हुआ मौसमसह तथा अग्निसह अहाता उपलब्ध कराया है या यदि यह अव्यवहारिक है तो क्या उपभोक्ता ने अपने उपकरण आपूर्तिकर्ता के उपकरणों से पृथक कर लिए हैं?		
27	44 (2)(i).	क्या विद्युतीय उपकरणों के सुरक्षित परिचालन एवं रखरखाव हेतु सभी अनुमतियाँ बीआईएस के अनुसार उपलब्ध करा दी गई है?		
28	44(2)(iv).	क्या एच.वी. मोटर्स की वाइंडिंग या अन्य उपकरण जहां वे आसान पहुंच के भीतर हों वहां उनको खतरे से बचाने के लिए उपयुक्त रूप से संरक्षित किया गया है?		
29	44(2)(v).	क्या एच.वी. सर्किट के साथ संपर्क या इससे लीकेज द्वारा सर्किट के सामान्य वोल्टेज से अधिक चार्ज हो जाने के कारण होने वाले खतरे के प्रति सुरक्षा या निम्न वोल्टेज पर सर्किट के एक बिंदु को अर्थ से जोड़कर उपयुक्त पूर्वोपाय कर लिए गए हैं?		
30	44(2)(vii)(b).	जहां एक चैम्बर में स्विच गियर्स संस्थापित किए गए हैं तथा प्रवर्तकों में 9000 लीटर से अधिक तेल उपयोग में लाया जाता है तो क्या वहाँ तेल सोख गड्ढे उपलब्ध कराए गए हैं?		
		क्या एक चैम्बर में उपयोग किए गए लीक हुए या निकल गए तेल की निकासी हेतु प्रावधान किये गए हैं?		
		क्या आग को बुझाने का प्रावधान किया गया है?		
		क्या किसी भी अतिरिक्त तेल का उप–स्टेशन या स्विच स्टेशन में भंडारण किया गया है?		
31	44(2)(xii).	क्या केबल्स इत्यादि रखे जाने वाले उप–स्टेशनों आदि के भीतर केबल खाइयों को रेत तथा कंकड़ इत्यादि से भरा गया हैं या पूरी तरह से गैर–ज्वलनशील स्लैब से ढक दिया गया हैं?		
32	44(2)(xiii).	जहां सफाई या अन्य उद्देश्य हेतु समस्त संस्थापन को विच्छेदित करना संभव नही है, क्या वहाँ कंडक्टर्स तथा उपकरण इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि बिना किसी खतरे के किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्जीव अनुभाग में कार्य करने हेतु उन्हें निर्जीव किया जा सके?		
33	44(3).	क्या ईएचटी उपकरण आकाशीय बिजली तथा वोल्टेज के ऊपर स्विचिंग के प्रति संरक्षित किए गए हैं?		

क्रम सं०	विनियम सं०	विवरण	आवेदक का उत्तर एवं हस्ताक्षर (अनुज्ञापित संविदाकार के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जहाँ भी लागू हो)	वितरण अनुज्ञापी या उसके प्रतिनिधि द्वारा टिप्पणी
1	2	3	4	5
34	46(2).	क्या एचटी विद्युत आपूर्ति लाईनों या उपकरणों का इंसुलेशन निम्नलिखित परीक्षणों को सहन कर पाया है?		
		(a) यदि सामान्य कार्यरत वोल्टेज 1000 वोल्ट्स से अधिक नहीं है, तो 2,000 वोल्ट्स की परीक्षण वोल्टेज।		
		(b) यदि सामान्य वोल्टेज 1,000 वोल्ट्स से अधिक हो किन्तु 11,000 वोल्ट्स से अधिक न हो तो सामान्य से दोगुनी परीक्षण वोल्टेज।		
		(c) यदि सामान्य कार्यरत वोल्टेज 11,000 वोल्ट्स से अधिक होती है तो सामान्य कार्यरत वोल्टेज में 10,000 वोल्ट्स जोड़कर या 22,000 वोल्ट्स जो भी अधिक हो की परीक्षण वोल्टेज।		
35	46(3).	यदि उपरोक्त परीक्षण, विद्युत आपूर्ति लाईनों तथा उपकरणों को उनके स्थान पर संस्थापित करने से पहले किए गए हैं तो क्या यह परीक्षण उनके संस्थापन के बाद भी किए गए हैं, तथा यदि यह अव्यवहारिक है तो क्या इंसुलेशन न्यूनतम एक मिनट की अवधि के लिए कंडक्टर के मध्य तथा साथ ही कंडक्टर व अर्थ के मध्य न्यूनतम 1000 वोल्ट्स का दबाव सह पाया है?		
36	46(4).	क्या उपरोक्त निर्धारित परीक्षण, परिवर्तन व मरम्मत के पश्चात विद्युत आपूर्ति लाईनों व उपकरणों पर लागू किया गया है?		
37	46(5).	क्या उपरोक्त परीक्षणों के परिणाम अभिलिखित किए गए हैं?		
38	46(6).	यदि उपरोक्त परीक्षण नहीं किए गए हैं तो क्या निर्माता द्वारा प्रमाणित परीक्षण की एक प्रति प्रदान की गई है? कृपया संदर्भ दें तथा एक प्रति संलग्न करें।		
39	47.	क्या धातु के आवरण वाली विद्युत आपूर्ति लाईनों हेतु निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है?		
		(a) क्या विद्युतीय रूप से निरंतर तथा कुशलतापूर्वक अर्थ किए गए धातु आवरण में कंडक्टर को बंद किया गया है?		
		(b) क्या किसी बिंदु पर एक कंडक्टर तथा धातु आवरण के मध्य इंसुलेशन के विफल हो जाने की स्थिति में सर्किट का अवरोध ऐसा है कि आपूर्ति के प्रारंभ पर पूर्ण वोल्टेज होने पर ऐसी विफलता के परिणाम स्वरूप ऐसा करंट अपने मूल्य के दुगने से कम नहीं है जिसके लिए एक उपयुक्त विभेदक फॉल्ट करंट रिले परिचालित करने के लिए एक पर्याप्त विछिन्नता क्षमता का कटआउट या उपयुक्त अतिरिक्त भार संरक्षण युक्ति नियत की गई है?		
40	49 (1) (i) & (iii).	क्या उप–स्टेशन भूमिगत निर्मित है? यदि ऐसा है तो क्या नियंत्रक स्विच गियर्स तथा कटआउट इत्यादि भूमि के ऊपर अलग अलग पात्र में स्थित हैं?		
41	49(1)(ii).	क्या एक बाहरी चबूतरानुमा उप–स्टेशन में संस्थापित विद्युत आपूर्ति लाईनों तथा उपकरणों तक पहुंच को रोकने के लिए 1.8 मीटर ऊंची एक मजबूत बाड़ लगाई गई है?		
42	50.	क्या खम्बे–नुमा उप–स्टेशन पर किसी व्यक्ति के खड़े होने के लिए बनाये गए प्लेटफार्म के चारों ओर पर्याप्त जंगला लगाया गया है? यदि जंगला व प्लेटफार्म धातु का है तो क्या उसे भली भांति अर्थ किया गया है?		

क्रम सं०	विनियम सं०	विवरण	आवेदक का उत्तर एवं हस्ताक्षर (अनुज्ञापित संविदाकार के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, जहाँ भी लागू हो)	वितरण अनुज्ञापी या उसके प्रतिनिधि द्वारा टिप्पणी
1	2	3	4	5
43	51.	यदि लोड पावर फैक्टर में सुधार हेतु स्टैटिक कैपेसिटर संस्थापित किए गए हैं, तो क्या आपूर्ति की अनुपस्थिति में प्रत्येक स्टैटिक कन्डेन्सर के तुरंत व स्वतः डिस्चार्ज हेतु उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं?		
44		अन्य टिप्पणियाँ		

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियत सभी शर्तें तथा विद्युत अधिनियम, 2003 व के॰वि॰प्रा॰ सुरक्षा विनियम, विशेष रूप से विनियमन 37 का सही रूप से अनुपालन किया गया है तथा मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता .... एम्पियर से अधिक नहीं है तथा भार में कोई भी वृद्धि, इस संबंध में नियमों / विनियमों के अनुसार उचित अधिसूचना और अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

दिनांकः ....

अनुलग्नक – V(बी)
(संदर्भ विनियम 3.4)

प्रारूपः निरीक्षण रिपोर्ट–एच.टी./ई.एच.टी.

(के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 31, 33, 41 (xv) का सन्दर्भ लें)

(वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधि जो कि 11 केवी हेतु उपखण्ड अधिकारी /सहायक अभियंता तथा 33 केवी व उससे ऊपर हेतु अधिशासी अभियंता से नीचे के पद का न हो, द्वारा भरा जाए)

विद्युत वितरण खण्ड : ________________ उप–खण्ड : ________________

आवेदित भार (किलोवाट/के.वी.ए./एचपी) ____________ अनन्य आवेदन सं०: ____________

निकटतम लैंडमार्क पोल सं०/फीडर पिलर सं० ____________

1. मैं, (नाम)________________, (पदनाम)________________ आवेदक के परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि:

    1. नए एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन (जो भी लागू हो उस पर सही का निशान लगाएँ) हेतु **कार्यपूर्णता रिपोर्ट** में आवेदक द्वारा दिए गए सभी विवरण सही हैं।
    2. नए संयोजन हेतु **कार्यपूर्णता रिपोर्ट** में आवेदक द्वारा दिए गए निम्नलिखित विवरण गलत हैं।

कथन संख्या	विनियम के अधीन	कथन संख्या	विनियम के अधीन

2. मैंने इंसुलेशन प्रतिरोधक परीक्षण किये हैं तथा उसके परिणाम निम्नानुसार हैं:

(a) इन्सुलेशन प्रतिरोधकता का परिणाम

(i) एच.टी. एवं ई.एच.टी. संस्थापन (न्यूनतम एक मिनट की अवधि हेतु प्रत्येक लाइव कन्डक्टर तथा अर्थ के मध्य 2.5 के वी डीसी का दबाव डालकर नापने पर):-

मध्य	फेज–1 व अर्थ	फेज–2 व अर्थ	फेज–3 व अर्थ

इन्सुलेशन प्रतिरोधकता अनुमन्य सीमा से ऊपर / नीचे पायी गयी।

(ii) एलटी संस्थापन (न्यूनतम एक मिनट की अवधि हेतु प्रत्येक लाइव कन्डक्टर तथा अर्थ के मध्य 500 वॉल्ट डीसी का दबाव डालकर मापा जाए):-

मध्य	फेज–1 व अर्थ	फेज–2 व अर्थ	फेज–3 व अर्थ

इन्सुलेशन प्रतिरोधकता अनुमन्य सीमा से ऊपर / नीचे पायी गयी।

3. मैंने के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 41 (xv) के अधीन अपेक्षानुसार आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई अर्थ प्रणाली हेतु अर्थ प्रतिरोधकता परीक्षण किया है, तथा अर्थ प्रतिरोधकता ____________ ohm पायी गयी जो कि अनुमन्य सीमा के भीतर/ऊपर है।

आगे प्रमाणित किया जाता है कि के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 16 के अधीन अपेक्षानुसार 'वितरण अनुज्ञापी' द्वारा 'अर्थ टर्मिनल' उपलब्ध कराया गया है।

आपकी विद्युत संस्थापन में निम्नलिखित अतिरिक्त कमियां पाई गई हैं। आपसे निवेदन है कि उपरोक्त कमियों (ऊपर पैरा 1 में बताए गए कार्यपूर्णता रिपोर्ट में आपके द्वारा दिए गए गलत विवरण सहित) को 30 दिन के भीतर अर्थात दिनांक ____________ तक दूर करें तथा वितरण अनुज्ञापी को सूचित करें अन्यथा नए संयोजन हेतु आपका निवेदन व्यपगत हो जाएगा:-

1-____________

2-____________

3-____________

4-____________

दिनांक: ____________

वितरण अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

(आवेदक द्वारा भरा जाए)

वितरण अनुज्ञापी द्वारा परिक्षेत्र का परीक्षण मेरी उपस्थिति में किया गया है तथा

* मैं परीक्षण से संतुष्ट हूं।

* मैं परीक्षण से संतुष्ट नहीं हूं और विद्युत निरीक्षक के समक्ष अपील दायर करूंगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वितरण अनुज्ञापी ने परिक्षेत्र में के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 के विनियम 16 के अनुरूप एक अर्थ टर्मिनल उपलब्ध कराया* / नहीं कराया* है।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक ____________

जो लागू न हो उसे काट दें

अनुलग्नक – V(C)
(संदर्भ विनियम 3.4)

प्रारूपः आपूर्ति सहमति पत्र

(100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर टाईप किया जाए)

यह सहमति पत्र आज __________ के माह ____________ 20...........(वर्ष) को _________ मध्य __________

(वितरण अनुज्ञापी का नाम), कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी, जिसका ______________ पर पंजीकृत कार्यालय है जिसको उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत ऊर्जा के वितरण एवं खुदरा आपूर्ति के कार्य हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है (इसके आगे **"वितरण अनुज्ञापी"** के रूप में संदर्भित, इस अभिव्यक्ति में "जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो उत्तराधिकारी तथा समनुदेशिती सम्मिलित हैं), एक पक्ष के तथा

श्री/सुश्री/श्रीमती_____________________ आवेदक/मेसर्स __________________________ कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित कंपनी/एकल स्वामित्व/साझेदारी फर्म या किसी अन्य प्रतिष्ठान जिसका पंजीकृत कार्यालय __________________ पर है हेतु तथा की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (इसके पश्चात् उपभोक्ता के रूप में संदर्भित, इस अभिव्यक्ति में "जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो उत्तराधिकारी तथा अनुमति प्राप्त समनुदेशिती सम्मिलित हैं) तथा सामूहिक रूप से "दोनों पक्ष" के रूप में संदर्भित हैं।

अतः उपभोक्ता ने अपने आवेदन/अन्य प्रपत्रों/रिपोर्टों में उसके द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर परिशिष्ट में दिए गए विवरण के अनुसार ______________ (उद्देश्य हेतु) ________________ पर (पूर्ण पता) केवल स्वयं के उपयोग हेतु विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है तथा वितरण अनुज्ञापी, लागू नियमों के साथ अनुपालन सहित इसमें नियम शर्तों एवं निबंधनों पर ऐसी आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु सहमत हैं

अतः सहमति पत्र में नियत पारस्परिक शर्तों तथा वचनों के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के मध्य एतद्द्वारा निम्नलिखित सहमति की जाती हैं:-

1. परिभाषाएं

इस सहमति पत्र में जब तक कि कुछ विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तो निम्लिखित शब्दों व अभिव्यक्तियों का अर्थ क्रमशः निम्नलिखित होगा :–

a) **"अधिनियम"** से विद्युत् अधिनियम, 2003 अभिप्रेत होगा;

b) **"लागू कानून"** से वे केंद्रीय, राजकीय, या स्थानीय कानून अभिप्रेत होंगे जो पक्षों या इस सहमति पत्र में परिकल्पित संव्यवहार को शासित करते हैं तथा उनपर लागू होते हैं। इसमें विद्युत अधिनियम, 2003, के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम तथा उपरोक्त कानूनों के विनियम तथा वैधानिक संशोधन या पुनराधिनियम सम्मिलित होंगे किन्तु उन तक सीमित नहीं होंगे;

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर   उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर

c) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड विद्युत् नियामक आयोग (यूईआरसी) अभिप्रेत होगा;

d) **"संयोजित भार"** से उपभोक्ता के परिक्षेत्र पर सुबाह्य उपकरणों सहित वितरण अनुज्ञापी की ऊर्जा आपूर्ति प्रणाली से उचित रूप से जुड़े तथा तार लगे उपभोक्ता उपकरणों की निर्माता की रेटिंग का योग अभिप्रेत है। इसमें स्पेयर प्लग, सॉकेट्स, अग्निशमन हेतु विशेष रूप से संस्थापित भार सम्मिलित नहीं होगा। पानी तथा कमरा गरम करने या कमरा ठंडा करने के उपकरण का भार, दोनों में से जो अधिक हो, लिया जाएगा।

संयोजित भार, प्रत्यक्ष चोरी या ऊर्जा की बेईमानी से दोहन या ऊर्जा के अनाधिकृत उपयोग के मामले में केवल निर्धारण के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाएगा;

e) **"अनुबन्धित भार"** से केवीए (किलो वोल्ट एम्पियर) में भार अभिप्रेत है, जिसके लिए वितरण अनुज्ञापी, शासित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन समय–समय पर आपूर्ति हेतु सहमत है;

f) **"वितरण अनुज्ञापी"** से आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ता को विद्युत् आपूर्ति करने के लिए वितरण प्रणाली के परिचालन एवं रखरखाव हेतु अधिकृत ऐसा अनुज्ञापी अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा लाइसेंस दिया गया है;

g) **"शुल्क"** से आयोग द्वारा स्वीकृत तथा लागू इसके उत्तरवर्ती संशोधन या आशोधन सहित, शुल्क अभिप्रेत है;

h) **"विनियमों"** से उविनिआ (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016, उविनिआ (वितरण कोड) विनियम, 2018, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना एवं संबंधित मामलों) विनियम, 2020 तथा समय–समय पर जारी किए गए संशोधन जो सम्मिलित है किन्तु इस तक सीमित नहीं है ऐसे लागू कानून के अनुरूप आपूर्ति को शासित व/या विनियमित करने वाले, आयोग सहित सक्षम विनियामक, विधायी, प्रशासनिक, न्यायायिक या कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा जारी या संशोधित अधीनस्थ प्रत्यायोजित विधान, नियम, विनियम, आदेश, कोड और/या निर्देश, अधिसूचनाएँ या अन्य समान निर्देश अभिप्रेत हैं।

इसके पश्चात कुछ समावेशित किये जाने पर भी यह सहमति पत्र विद्युत् अधिनियम, 2003 के उपबंधों तथा/या आयोग के विनियमों के अनुसार शासित होगा, उपयोग किये किसी शब्द या अभिव्यक्ति जो इस सहमति पत्र में जब तक अन्यथा परिभाषित नही है, उनका अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 या उसके अधीन निर्मित विनियमों में दिए अनुसार होगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर

उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर

2. अनुबन्धित भारः
इसके पश्चात समावेशित उपबंधों के अधीन तथा इस सहमति पत्र के जारी रहने की अवधि में............................ .... के उद्देश्य से उच्च टेंशन/अति उच्च टेंशन पर भार हेतु उपभोक्ता द्वारा अपेक्षित ऐसी सभी ऊर्जा की आपूर्ति वितरण अनुज्ञापी द्वारा की जाएगी तथा उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञापी से ली जाएगी, जिसकी उपभोक्ता............................ केवीए पर पुष्टि करता है। (इसके पश्चात 'अनुबन्धित भार' रूप में सन्दर्भित)

3. आपूर्ति की प्रणालीः
इस सहमति पत्र के अधीन आपूर्ति के उद्देश्य हेतु आपूर्ति की प्रणाली 11000 वोल्टज़ या इससे अधिक की वोल्टेज तथा 50 चक्र प्रति सेकंड की बारम्बरता पर थ्री फेज अल्टरनेटिंग करंट होगी। **उपभोक्ता** को आपूर्ति के प्रारंभिक बिंदु पर आपूर्ति की फ्रीक्वेंसी/ दोलन तथा वोल्टेज, तथापि, उस उतार चढ़ाव के अधीन होगी जो की सामान्य रूप से होते हैं तथा जो विद्युतीय ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में अनुषांगिक हैं, किन्तु ऐसे उतार चढ़ाव **वितरण अनुज्ञापी** के नियंत्रण से बाहर के असामान्य कारणों को छोड़कर के.वि.प्रा. सुरक्षा विनियम, 2010 या समय–समय पर प्रवृत उनके सांविधिक आशोधन द्वारा अनुमन्य परिवर्तन की सीमा से अधिक नहीं होंगे।

4. आपूर्ति का प्रारम्भः
उपभोक्ता का संयोजन के ऊर्जाकरण या वितरण अनुज्ञापी द्वारा लिखित में उसको यह सूचना देना कि अनुबन्धित भार की पूरी सीमा तथा विद्युतीय ऊर्जा की आपूर्ति इस सहमति पत्र के अधीन उपलब्ध है, दोनों में से जो भी पहले हो, की तिथि से सहमति पत्र की शर्तों के अधीन वितरण अनुज्ञापी से विद्युतीय ऊर्जा की आपूर्ति का लेना प्रारम्भ किया माना जाएगा।

5. आपूर्ति का बिंदुः
वह बिंदु जिस पर सहमति पत्र के उद्देश्य से विद्युत् की आपूर्ति लेना प्रारम्भ किया माना जाएगा, वह बिंदु उपभोक्ता के परिक्षेत्र या अन्य स्थान पर जो वितरण अनुज्ञापी द्वारा स्वीकृत स्थान पर स्थित होगा, पर संस्थापित वितरण अनुज्ञापी के उपकरणों के आउटगोइंग टर्मिनल्स का बिंदु होगा।

6. आपूर्ति की विफलताः
वितरण अनुज्ञापी के नियंत्रण के बाहर के मामलों जिनमें हड़ताल, उपकरण या प्रणाली का ठप्प हो जाना, ग्रिड अवरोध या बाधा, तालाबन्दी या ऐसे अन्य कारणों से आपूर्ति प्रभावित हो जिनपर वितरण अनुज्ञापी का नियंत्रण नहीं है, सम्मिलित है, को छोड़कर आपूर्ति उपलब्ध करायी जाएगी। वितरण अनुज्ञापी आपूर्ति के विफल होने या इन कारणों से उसके मापदण्डों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली किसी हानि, नुकसान या क्षतिपूर्ति हेतु किन्हीं दावों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर

उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर

7. उपभोक्ता द्वारा वितरण अनुज्ञापी के उपकरणों का रखनाः

उपभोक्ता, इस सहमति पत्र के अधीन आपूर्ति प्रदान करने के लिए वितरण अनुज्ञापी के उपकरणों को रखने के लिए वितरण अनुज्ञापी द्वारा अपेक्षित तथा उपयुक्त समझा गया स्थान अपने (उपभोक्ता के) परिक्षेत्र वितरण अनुज्ञापी को बिना किराये के उपलब्ध कराएगा तथा उचित परिचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा, यदि आवश्यकता हो तो यह सुविधाएं उपभोक्ता द्वारा अपने व्यय पर दी जायेंगी।

ऐसे स्थान का रखरखाव तथा संरक्षण उपभोक्ता द्वारा अपनी लागत पर किया जायेगा।

8. वितरण अनुज्ञापी के उपकरण एवं उपस्कर:

8 (a) वितरण अनुज्ञापी के सभी मीटर, संयंत्र, उपकरण तथा उपस्कर जो भी उपभोक्ता के परिक्षेत्र में है, चाहे वे या उनका कोई भाग उपभोक्ता के परिक्षेत्र या उसके नीचे दबे किसी भाग पर स्थित हो या बांधा गया हो, सदैव वितरण अनुज्ञापी की पूर्णतः तथा एकमात्र स्वामित्व वाली संपत्ति रहेगी जिसे केवल वितरण अनुज्ञापी के अधिकृत अधिकारी के अतिरिक्त किसी प्रकार, किसी के द्वारा बाधित नहीं किया जायेगा। आगे उपभोक्ता वितरण अनुज्ञापी के साथ इस बात पर भी सहमत है कि: -

(i) वितरण अनुज्ञापी अपने उपकरण तथा उपस्कर की अपनी नेम प्लेट या अन्य चिन्ह या संख्या अंकित करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा उपभोक्ता ऐसी प्लेटों, चिन्ह या संख्या को बदल या हटा नहीं सकेगा।

(ii) वितरण अनुज्ञापी के उपकरण एवं उपस्कर उपभोक्ता के परिक्षेत्र में रखे जाएंगे तथा इन्हे उचित रूप से संरक्षित किया जायेगा, इन्हे बेचा नहीं जायेगा तथा इनकी सुपुर्दगी या लेन–देन नहीं किया जायेगा या उपभोक्ता द्वारा इनका कब्ज़ा नहीं छोड़ा जायेगा।

8 (b) वितरण अनुज्ञापी की संपत्ति हेतु उपभोक्ता की जिम्मेदारीः

उपभोक्ता अपने परिक्षेत्र पर वितरण अनुज्ञापी की संपत्ति के संरक्षण हेतु उचित देख–रेख करेगा। उपभोक्ता के किसी कृत्य (उपेक्षा सहित) या उपभोक्ता के कारोबार या परिचालन से उत्पन्न कारण से वितरण अनुज्ञापी को हानि या नुकसान होने पर आवश्यक मरम्मत या प्रतिस्थापना की लागत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर **उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर**

9.1 उपभोक्ता

(i) अपने परिक्षेत्र में वितरण अनुज्ञापी के उपकरण के संरक्षण हेतु उचित देखभाल करेगा; तथा

(ii) यह सुनिश्चित करेगा की उसके परिक्षेत्र में वितरण अनुज्ञापी के उपकरण के साथ कोई गड़बड़ न की जाए। उसे बेचा, किसी के सुपुर्द न किया जाये, परिवर्तन न किया जाये या हटाया न जाये; तथा

(iii) उसके परिक्षेत्र में वितरण अनुज्ञापी के उपकरण को कोई हानि या नुकसान होने पर आवश्यक मरम्मत या प्रतिस्थापना की लागत का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।

9.2 सभी मामलों का प्रक्रमण, इससे निर्धारित प्रक्रिया तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा किसी संयोजन का ऊर्जीकरण वितरण अनुज्ञापी द्वारा उचित रूप से सत्यापन के पश्चात ही किया जाएगा।

9.3 उपभोक्ता उविनिआ (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016, उविनिआ (वितरण कोड) विनियम, 2018, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना एवं संबंधित मामलों) विनियम, 2020 तथा समय–समय पर संशोधित किए गए अन्य नियम/विनियम और सभी के प्रासंगिक और लागू प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत है।

9.4 इस सहमति पत्र तथा लागू कानूनों की शर्तों के अधीन, उपभोक्ता इस बात पर सहमत है कि वितरण अनुज्ञापी की पूर्व सहमति के बिना वितरण अनुज्ञापी के उपकरणों के साथ किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अभिकर्ता, ठेकेदार, कर्मचारी या अन्य आमंत्री इन उपकरणों के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस खण्ड के उद्देश्य से हस्तक्षेप में निम्नलिखित सम्मिलित होगा: -

(a) वितरण अनुज्ञापी तथा आपूर्ति बिंदु के मध्य किसी आपूर्ति के बिंदु व/या किसी संयोजन का पर्यवसान, निबंधन, ह्रास या बाधा;

(b) ऐसी किसी संयोजित प्रणाली के माध्यम से किसी पदार्थ या वस्तु की आपूर्ति रोके या समय–समय पर जिस पर संयोजित किया जाये, ऐसे अन्य साधन या केबल्स, नींव, पाइप्स, नालियों के किसी प्रणाली से किसी उपकरण का संयोजन–विच्छेद या संयोजन में परिवर्तन;

(c) किसी उपकरण से या उस पर किसी भी स्वभाव की किसी वस्तु या पदार्थ को चिपकाना या हटाना;

(d) किसी उपकरण को नुकसान पहुँचाना या किसी कार्य को करना या छोड़ देना या हालात का निर्वाह होने देना जिसके परिणामस्वरूप किसी उपकरण को किसी प्रकार का भौतिक नुकसान होने की सम्भावना हो;

(e) उपकरण में हस्तक्षेप हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति देना;

(f) किसी उपकरण पर किन्ही मीटर्स या सेटिंग्स में परिवर्तन करना;

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर **उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर**

(g) किसी उपकरण पर पहुँच में व्यवधान डालना; तथा

(h) किसी द्वार, बाड़, दीवार, अलार्म प्रणाली या घुसपैठ करने वालों को भगाने के साधनों की क्षमता में ह्रास लाना।

उपभोक्ता, वितरण अनुज्ञापी व/या उपभोक्ता से उपस्कर/नेटवर्क से आपूर्ति हेतु किसी अवैधानिक/अनाधिकृत टैपिंग के बारे में सदैव वितरण अनुज्ञापी को सूचित करेगा।

10. उपकरण उपस्कर

उपभोक्ता के, वितरण अनुज्ञापी की प्रणाली से जुड़े सभी उपस्कर, उपभोक्ता द्वारा दक्षतापूर्वक परिचालित व अनुरक्षित किये जायेंगे। उपभोक्ता के विभिन्न उपकरणों की सेटिंग्स तथा क्षमताएं वितरण अनुज्ञापी के साथ परामर्श कर नियत की जा सकेंगी।

11. मीटरिंग

विद्युतीय ऊर्जा तथा इस सहमति पत्र के अधीन उपभोक्ता द्वारा ली गयी अधिकतम मांग को रजिस्टर करने के उद्देश्य से उपरोक्त खण्ड 4 में परिभाषित किये अनुसार आपूर्ति के प्रारम्भ के बिंदु पर एक उपयुक्त मीटरिंग उपस्कर लगाया जायेगा जो की वितरण अनुज्ञापी की संपत्ति होगी तथा वितरण अनुज्ञापी द्वारा इसका आशोधन किया जायेगा।

12. मीटरों का परीक्षण

वितरण अनुज्ञापी को आवेदन करने पर उपभोक्ता, परीक्षण के निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात किसी भी समय मीटर का परीक्षण करवाने का हकदार होगा। ऐसे मीटर्स सही समझे जायेंगे। यदि त्रुटि की सीमायें के.वि.प्रा. (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 या उसके किसी सांविधिक आशोधन जो कि समय समय पर प्रवृत्त हों, में नियत सीमा से अधिक न हो। यदि इस तरह के परीक्षण के परिणामस्वरूप, मीटर सही साबित नहीं होता है, तो वितरण अनुज्ञापी उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना एवं संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अनुरूप अपेक्षानुसार उपभोक्ता के लेखे का समायोजन करेगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर **उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर**

13. मीटर रीडिंग

मीटरों या ऊपर खण्ड 11 में संदर्भित मीटर की रीडिंग एम.आर.आई./ए.एम.आर./ए.एम.आई. के माध्यम से वितरण अनुज्ञापी द्वारा नियमित अंतराल पर ली जाएगी तथा इस प्रकार ली गई रीडिंग उपभोक्ता को आपूर्ति की गयी विद्युतीय ऊर्जा तथा अधिकतम मांग की राशि के लिए वितरण अनुज्ञापी तथा उपभोक्ता दोनों के लिए निश्चायक तथा बंधनकारी होगी, सिवाय ऐसे मामलों में जहाँ मीटर से छेड़छाड़ की गयी है तथा जिस पर वितरण अनुज्ञापी को जैसा वह उचित समझे, वैसी कार्यवाही करने का अधिकार होगा। वितरण अनुज्ञापी मासिक बिल के साथ एमआरआई रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करेगा। वितरण अनुज्ञापी समय–समय पर आयोग द्वारा निश्चित राशि के भुगतान पर भार सर्वेक्षण के साथ पूर्ण एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर भी सहमत है।

परन्तु, उपभोक्ता पर न उपारोप्य किसी कारण के लिए वितरण अनुज्ञापी का मीटर त्रुटिपूर्ण पाये जाने की स्थिति में, उस अवधि जिसमें कि मीटर त्रुटिपूर्ण रहा, का निर्धारण किया जायेगा तथा भुगतान योग्य राशि का समायोजन उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना एवं संबंधित मामलों) विनियम, 2020 के अनुसार किया जायेगा।

14. पावर फैक्टर

उपभोक्ता आपूर्ति के प्रारम्भ के बिंदु पर मानक डिजाइन के उपयुक्त उपकरण जैसे शंट कैपेसिटर्स इत्यादि स्वयं के व्यय पर संस्थापित करेगा तथा अधिकतम मांग के निर्धारण से सुसंगत अवधि के संबंध में किसी भी समय न्यूनतम 0.85 लैगिंग पर भार के पावर फैक्टर को बनाये रखने का प्रयास करेगा।

15. आपूर्ति का भुगतान

उपभोक्ता बिल की गई राशि जो कि लागू दर अनुसूची के अनुसार शुल्क श्रेणी के अनुरूप परिकलन व अभिनिश्चय पर आधारित हो, पूर्ववर्ती बिलिंग अवधि में आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा के लिए वितरण अनुज्ञापी को भुगतान करेगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर

उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर

16. भुगतान न होना

उपभोक्ता किसी भी अंतर या विवाद के होते हुए भी संबंधित नियम तिथि जो सामान्य बिल की सुपुर्दगी की तिथि से पंद्रह दिन होगी, के भीतर बिल या बिलों का पूर्ण रूप से भुगतान करेगा। यदि उपभोक्ता, पूर्वोक्त अनुसार इस सहमति पत्र के अधीन देय किसी बिल की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह प्रत्येक माह या उसके भाग हेतु उस समय प्रवृत आयोग के अनुमन्य शुल्क आदेश के अनुसार दर पर अधिभार का भुगतान करेगा।

उपरोक्त के होते हुए भी वितरण अनुज्ञापी का, विद्युतीय ऊर्जा काटने के अपने आशय का नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 15 स्पष्ट दिनों का नोटिस उपभोक्ता को दिए जाने के पश्चात विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 56 के अनुसार भुगतान न होने की दशा में नियत तिथि के पश्चात आपूर्ति काटने का अधिकार सुरक्षित है। यदि ऐसी अवधि समाप्त होने पर भुगतान प्राप्त नहीं किया जाता है तो वह तत्काल आपूर्ति काट सकता है। आपूर्ति का पुनः स्थापन, लागू अधिभार के साथ, आपूर्ति काटने तथा पुनः संयोजन के कार्य हेतु प्रभारों सहित सभी बकाया देयों के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जायेगा।

17. उद्ग्रहण का भुगतान

कोई उद्ग्रहण जो वितरण अनुज्ञापी से उपभोक्ता द्वारा क्रय की गयी ऊर्जा पर सक्षम प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा लगाई गयी हो, चाहे इसे विद्युत् कर, विक्रय या सेवा कर, चुंगी या किसी भी अन्य नाम से पुकारा जाये, का वितरण अनुज्ञापी द्वारा बिल किये गये अनुसार उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

18. प्रतिभूति जमा

वितरण अनुज्ञापी द्वारा अपेक्षानुसार, इस सहमति पत्र के निबंधनों एवं शर्तों के निष्पादन हेतु उपभोक्ता ने प्रतिभूति/उपभोग जमा के रुप में उसके पास रुपये..................... (रुपया........................... मात्र) जमा करा दिया है तथा इसके निःशेष या अपर्याप्त होने की स्थिति में वितरण अनुज्ञापी की मांग पर इस जमा राशि का समय–समय पर नवीनीकरण या पुनः पूर्ति की जायेगी। आयोग के मार्गदर्शकों /विनियमों के अनुसार वितरण अनुज्ञापी इस प्रकार जमा प्रतिपूर्ति को किसी भी समय या समय–समय पर अनुप्रयुक्त या विनियोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

परन्तु, यह खण्ड इस सहमति पत्र के अधीन ऊर्जा की आपूर्ति या अन्यथा के सम्बन्ध में लागू होगा तथा किन्ही अन्य अधिकारों या उपाय जिनके लिए वितरण अनुज्ञापी अधिकृत है, पर प्रभाव डाले बिना होगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर

उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर

19. पहुंच का अधिकार

उपभोक्ता उसको (उपभोक्ता को) आपूर्ति के उचित अनुरक्षण हेतु आवश्यक या अनुषांगिक सभी वस्तुओं को करने तथा वितरण अनुज्ञापी के किसी या सभी उपकरणों के परीक्षण, मरम्मत, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन हेतु तथा मीटर रीडिंग या उसके (उपभोक्ता) संस्थापन के निरीक्षण तथा परीक्षण के उद्देश्य से उसके (उपभोक्ता) परिक्षेत्र में पहुँच हेतु वितरण अनुज्ञापी के उचित रूप से अधिकृत प्रतिनिधिओं को सभी युक्तियुक्त समयों पर अनुमति देगा।

20.1 आपूर्ति की अवधि

यह सहमति पत्र, इस के पश्चात उपबंधित किये अनुसार प्रवृत होगा तथा रहेगा जब तक कि नीचे खण्ड 20.2 से 20.4 के अनुसार इसकी वैधता समाप्त न हो जाये।

20.2. वितरण अनुज्ञापी के पास निम्नलिखित में से किसी भी दशा में उपभोक्ता पर इसकी समाप्ति का लिखित नोटिस दे कर सहमति पत्र को समाप्त करने का अधिकार होगा:-

(क) सुसंगत विनियमों या आयोग के आदेशों के अनुसार उठाई गयी अनुज्ञापी की मांग पर इस सहमति पत्र के खंड 18 के अनुसार प्रतिभूति रखने की सुनिश्चितता की बाध्यता हेतु उपभोक्ता के व्यतिक्रम पर, या

(ख) उपभोक्ता द्वारा उस तिथि पर जिस पर कि राशि भुगतान योग्य है, इस सहमति पत्र के खण्ड 15 के अनुसार आपूर्ति हेतु भुगतान की पूर्ण राशि का भुगतान करने में विफलता तथा

(ग) उपभोक्ता यदि वितरण अनुज्ञापी द्वारा बताए गए मुद्दों को सुधारने में विफल रहता है जो उसके वितरण नेटवर्क को खतरे में डाल रहे हैं।

एवं विच्छेदन का नोटिस दिए जाने की तिथि से पंद्रह स्पष्ट दिनों की अवधि के भीतर वितरण अनुज्ञापी को संतुष्ट करते हुए उपाय करने की विफलता। परन्तु इस खण्ड के सम्बन्ध में सहमति पत्र को समाप्त करने का अधिकार इसके अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

20.3 उपभोक्ता को निम्नलिखित द्वारा अपने संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित किये जाने तथा सहमति पत्र को समाप्त करने का अधिकार होगा -

(क) वितरण अनुज्ञापी को न्यूनतम एक (1) माह का अग्रिम लिखित नोटिस दे कर तथा संयोजन विच्छेदन की प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम सात दिन पहले निर्धारित प्रारूप में विच्छेदन हेतु आवेदन कर।

(ख) वितरण अनुज्ञापी द्वारा विशेष रीडिंग का संचालन करने के पश्चात, विशेष रीडिंग के आधार पर अंतिम बिल तैयार किया जाएगा तथा वितरण अनुज्ञापी द्वारा उपभोक्ता को जारी किया जाएगा। उपभोक्ता किसी भी खाते लेखे पर रोक लगाये बिना या बिना घटाव, मुजरे के, ऐसे अंतिम बिल सेवा को दिये जाने के 03 दिनों के भीतर वितरण अनुज्ञापी को भुगतान करेगा।
परन्तु यदि उपभोक्ता अंतिम बिल की युक्तियुक्त पर विवाद उठाता है, तो इसे इस सहमति पत्र के खण्ड 25 के अनुसार सुलझाया जाएगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर

उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर

20.4 इस अनुबंध की समाप्ति के लिए उपरोक्त 20. 3 के अनुसरण में, वितरण अनुज्ञापी अंतिम बिल तैयार करेगा तथा उपभोक्ता को सुपुर्द करेगा तथा अन्य विनियम व आयोग द्वारा पारित आदेश के साथ पठित किसी उत्तरवर्ती आशोधन/संशोधन के अधीन उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना एवं संबंधित मामले) विनियम, 2020 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार विच्छेदन हेतु कार्यवाही करेगा।

21. अनुबन्ध का अन्तरण नहीं

न ही यह अनुबन्ध तथा न ही इसमें कोई हित, वितरण अनुज्ञापी की लिखित पूर्व सहमति के बिना अन्तरित किया या सौंपा जायेगा।

22. उपभोक्ता द्वारा अभिलेखों का रखना

उपभोक्ता विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों या विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित सरकारी या नगरपालिका विनियमों के अधीन अपेक्षित सभी अभिलेख रखने में वितरण अनुज्ञापी को सक्षम बनाने हेतु सभी युक्तियुक्त सूचना तथा सुविधाएं वितरण अनुज्ञापी को प्रदान करायेगा। उपभोक्ता आपूर्ति के उपयोग या इस सहमति पत्र से संबंधित किन्हीं अभिलेखों के परिवर्तन के संबंध में लिखित में वितरण अनुज्ञापी को तत्काल सूचना देगा।

23. लागू नियमों के साथ सहमति पत्र का पढ़ा जाना

इस सहमति पत्र को लागू नियमों के सुसंगत उपबंधों के सभी तरह से अधीन के रूप में पढ़ा जायेगा तथा समझा जायेगा।

24. हानि से सुरक्षा

(क) उपभोक्ता इस सहमति पत्र के अधीन उपभोक्ता द्वारा लोप या उपेक्षापूर्ण कार्य के फलस्वरूप वितरण अनुज्ञापी द्वारा उठाये गये किसी नुकसान, क्षति, लागत तथा व्यय हेतु किसी तथा सभी वादों, कार्यवाहियों, मांगों तथा तृतीय पक्ष के दावों के विरुद्ध वितरण अनुज्ञापी को होने वाली हानि से सुरक्षा करेगा, उसका बचाव करेगा तथा हानिरहित ठहराएगा।

(ख) उपभोक्ता स्वयं या अपने किसी कर्मचारी द्वारा किसी उपेक्षा या लापरवाही के कारण वितरण अनुज्ञापी की किसी संपत्ति को हुए किसी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार एवं उत्तरदायी भी होगा।

(ग) उपभोक्ता, यदि उसके अपने कोई कर्मचारी हैं तो उन्हें से सेवा के दौरान दुर्घटना के कारण लगी चोट, घातक या अन्यथा पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। इस कारण किसी भी दावे के सापेक्ष वितरण अनुज्ञापी और उसके कर्मचारियों को होने वाली हानि से सुरक्षा करेगा।

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर | उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर

25. विवाद का निपटारा

यदि इन विलेखों या इनमें समावेशित किसी क्लॉज या तथ्य पर या इसके परिचालन में इन व्यक्तियों के कारण या उनसे किसी प्रकार संबंधित किसी मामले में इसके पश्चात क्रियान्वयन या इसके साथ संबंधित कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों हेतु पक्षकारों के मध्य कोई प्रश्न या अन्तर उत्पन्न होता है तो जब तक कि विद्युत अधिनियम, 2003 एवं समय–समय पर किये गये संशोधन, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत ऐसे प्रश्न या अंतर को सुलझाने की प्रक्रिया बनायी जाती है, या अन्यथा विशेष रूप से इस अनुबन्ध में नियत किया गया हो, ऐसे प्रत्येक मामले में इस अंतर के मामले को मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा प्रबंध निदेशक, उपाकालि को किसी व्यक्ति विशेष को आपसी सहमति से एकल मध्यस्थ नामित करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। तथापि यदि दोनों पक्ष ऐसे व्यक्ति को सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त करने में आपसी सहमति बनाने में असफल रहते हैं तो आयोग इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति को सोल आर्बिट्रेटर के रूप में नियुक्त कर सकता है। मध्यस्थ का अधिनिर्णय इस अनुबन्ध के पक्षकारों पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। उपरोक्त के अधीन मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के उपबंधों तथा उसके अधीन नियम तथा प्रवृत्त उसके वैधानिक आशोधन, इस क्लॉज के अधीन मध्यस्थता कार्यवाहियों पर लागू होंगे। मध्यस्थ कार्यवाहियों का स्थल देहरादून होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, सभी पक्षों ने निम्नलिखित अपने हस्ताक्षर के माध्यम से ऊपर प्रथम लिखित दिनांक व दिवस को इन विलेखों को निष्पादित किया या करवाया:

इन के द्वारा हस्ताक्षर किये गये, स्टाम्प/मुहर लगाई गई तथा सुपुर्द किया गया :

....	....
वितरण अनुज्ञापी का अधिकारी के लिये तथा की ओर से (वितरण अनुज्ञापी का नाम)	उपभोक्ता के लिये तथा की ओर से नामः पदनाम उपभोक्ता स्टाम्प/सील

साक्षी:

1.हस्ताक्षर .... नाम व पता	1. हस्ताक्षर .... नाम व पता ....
2.हस्ताक्षर .... नाम व पता	2. हस्ताक्षर .... नाम व पता ....

परिशिष्ट

संयोजन सार

पुस्तक संख्या ____________________

सेवा संयोजन संख्या ______________ पर संयोजित किया ________________

1	उपभोक्ता का नाम	
2	टेलीफोन, फैक्स तथा ईमेल सहित पूरा पता जहां विद्युत आपूर्ति अपेक्षित है	
3	टेलीफोन, फैक्स तथा ईमेल सहित उपभोक्ता का रजिस्टर्ड पता (पोस्टल तथा समीपस्थ भूमि चिन्ह)	
4	टेलीफोन, फैक्स तथा ईमेल सहित बिलिंग का पता जहां बिल भेजा जाना अपेक्षित है	
5	उद्देश्य जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है (उपयोग के उद्देश्य अनुसार श्रेणी)	
6	औद्योगिक/ व्यावसायिक/ अन्य गतिविधियों का प्रकार	
7	अनुबन्धित भार (केवीए में)	
8	आपूर्ति की वोल्टेज	
9	संयोजन के ऊर्जीकरण की अपेक्षित तिथि	

कुल संयोजित भार ___________ के.डब्ल्यू. (किलोवाट)/(______________ के.वी.ए. 0.85 पी.एफ. पर)

वितरण अनुज्ञापी के अधिकारी के हस्ताक्षर

उपभोक्ता के हस्ताक्षर व मोहर

अनुलग्नक – VI
(विनियम 3.3 व विनियम 3.4 का संदर्भ लें)

प्रारूपः – एल.टी./एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन जारी करने में देरी पर मासिक खण्ड–वार रिपोर्ट

प्रोफार्मा ए 1– नए एल.टी. संयोजन जारी करने में विलम्ब हेतु

माहः ____________

क्षेत्र का नाम :
मण्डल का नाम :
खण्ड का नाम :

1. पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन पर लंबित आवेदनों की संख्या____________
2. माह के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या____________
3. माह के दौरान जारी किए गए संयोजन की संख्या____________
4. माह के अंतिम दिन लंबित आवेदनों की संख्या____________
5. निर्धारित समय सीमा से 90 दिनों से अधिक विलम्ब से जारी किए गए संयोजनों की संख्या
6. 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या विनियमों में निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर जारी किए गए संयोजनों की संख्या
7. 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर ऊर्जीकृत नहीं किये गये संयोजनों की संख्या

निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऊर्जीकृत नहीं किए गए संयोजनों का विवरण

आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	आवेदक से प्राप्त राशि	ऊर्जीकरण की तिथि	विलम्ब के दिनों की संख्या	जुर्माने की राशि	विलम्ब का कारण
1	2	3	4	5	6	7
(A) जहां विनियमों के अनुसार 15 दिनों के भीतर संयोजन जारी किया जाना चाहिए था						
(B) जहां विनियम के अनुसार 60 दिनों के भीतर संयोजन जारी किया जाना चाहिए था (यदि केवल वितरण मेन के विस्तार की आवश्यकता है)						
(C) जहां विनियम के अनुसार 90 दिनों के भीतर संयोजन जारी किया जाना चाहिए था (यदि एक नए उप–स्टेशनों की कमीशनिंग भी आवश्यक है)						
(D) जहां नियमन के अनुसार 180 दिनों के भीतर संयोजन जारी किया जाना चाहिए था (यदि एक नए 33/11 केवी सबस्टेशन की कमीशनिंग की आवश्यकता है)						

नोटः- निर्धारित समय सीमा से 90 दिनों से अधिक विलम्ब से संयोजन का विवरण, इस रिपोर्ट में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा

अधिशासी अभियंता

प्रोफार्मा ए 2– एल.टी. भार वृद्धि में देरी हेतु

माह: ____________

क्षेत्र का नाम :

मण्डल का नाम :

खण्ड का नाम :

1. पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन पर लंबित आवेदनों की संख्या ____________
2. माह के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या ____________
3. माह के दौरान भार वृद्धि संयोजन की संख्या ____________
4. माह के अंतिम दिन लंबित आवेदनों की संख्या ____________
5. 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या विनियमों में निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर भार वृद्धि किए गए संयोजनों की संख्या
6. 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर भार वृद्धि नहीं किये गये संयोजनों की संख्या

प्रोफार्मा ए 3– एल.टी. भार कटौती में विलम्ब हेतु

माह: ____________

क्षेत्र का नाम :

मण्डल का नाम :

खण्ड का नाम :

1. पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन पर लंबित आवेदनों की संख्या ____________
2. माह के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या ____________
3. माह के दौरान भार में कटौती हुए संयोजन की संख्या ____________
4. माह के अंतिम दिन लंबित आवेदनों की संख्या ____________
5. 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या विनियमों में निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर भार में कटौती किए गए संयोजनों की संख्या
6. 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर भार में कटौती नहीं किये गये संयोजनों की संख्या

प्रोफार्मा बी 1– नए एच.टी./ई.एच.टी. संयोजन जारी करने में विलम्ब हेतु

माह: ______________

क्षेत्र का नाम :

मण्डल का नाम :

खण्ड का नाम :

1. पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन पर लंबित आवेदनों की संख्या ______________
2. माह के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या ______________
3. माह के दौरान जारी किए गए संयोजन की संख्या ______________
4. माह के अंतिम दिन लंबित आवेदनों की संख्या ______________
5. निर्धारित समय सीमा से 90 दिनों से अधिक विलम्ब से जारी किए गए संयोजनों की संख्या
6. निर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी किए गए संयोजनों की संख्या
7. निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऊर्जीकृत नहीं किये गये संयोजनों की संख्या

निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऊर्जीकृत नहीं किए गए संयोजन का विवरण

क्रम संख्या	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	राशि जमा करने की तिथि	जमा राशि	विनियमानुसार संयोजन के ऊर्जाकरण हेतु समय की अनुमति	संयोजन के ऊर्जाकरण की तिथि	संयोजन को ऊर्जीकृत करने हेतु लिया गया समय	विलम्ब के दिनों की संख्या	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु प्रति दिन 500 रुपये की दर से जुर्माना की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i)	11 के.वी. कार्य लाईन सहित, जिसमें स्वतंत्र फीडर शामिल नहीं है:								
(ii)	11 के.वी. कार्य लाईन सहित, जिसमें स्वतंत्र फीडर शामिल हैं:								
(iii)	33 के.वी. कार्य, जिसमें लाईन भी शामिल है:								
(iv)	132 के.वी. और उससे ऊपर के कार्य लाईन सहित:								

नोट: संयोजन के विद्युतीकरण हेतु समय की अनुमति दी जाएगी जैसा कि नीचे पैरा–ए में दिखाया गया है। हालांकि, यदि नीचे दिए गए पैरा–बी के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है, तो संयोजन को ऊर्जीकृत करने हेतु अनुमत कुल समय अवधि, समय अवधि के योग होगी, जैसा कि नीचे पैरा–ए तथा बी में दिखाया गया है।

(A) ऐसे मामले जहां विद्युत आपूर्ति हेतु परिसर में नए सबस्टेशन / बे लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वितरण / पारेषण अनुज्ञापी आवेदक द्वारा राशि जमा करने की तिथि से नीचे दिए गए समय के भीतर एच.टी. / ई.एच.टी. कार्यों की पूर्ण स्थापना करेगा:

(i) 11 के.वी. कार्य लाईन सहित, जिसमें स्वतंत्र फीडर शामिल नहीं है – निर्दिष्ट समय अवधि 60 दिन

(ii) 11 के.वी. कार्य लाईन सहित, जिसमें स्वतंत्र फीडर शामिल हैं – निर्दिष्ट समय अवधि 90 दिन

(iii) 33 के.वी. कार्य, लाईन सहित- निर्दिष्ट समय अवधि 180 दिन

(iv) 132 के.वी. और उससे ऊपर के कार्य लाईन सहित – निर्दिष्ट समय अवधि 300 दिन

(B) ऐसे मामले जहां विद्युत आपूर्ति हेतु परिसर में नए सबस्टेशन / बे लगाने की आवश्यकता होती है, वितरण / पारेषण अनुज्ञापी नए सब–स्टेशन / बे पर काम अपनी लागत पर करेगा और विभिन्न उप–स्टेशनों हेतु नीचे निर्दिष्ट 'अतिरिक्त समय' के भीतर काम पूरा करेगा:

(i) नया 33/11 के.वी. उप–स्टेशन – निर्दिष्ट समय अवधि 180 दिन

(ii) मौजूदा 33/11 के.वी. उप–स्टेशन का विस्तार – निर्दिष्ट समय अवधि 120 दिन

(iii) 33/11 के.वी. उप–स्टेशन पर बे का विस्तार – निर्दिष्ट समय अवधि 45 दिन

(iv) 132 के.वी. और उससे ऊपर उप–स्टेशन – निर्दिष्ट समय अवधि 540 दिन

(v) 132 के.वी. और उससे अधिक उप–स्टेशन पर बे का विस्तार – निर्दिष्ट समय अवधि 90 दिन

नोटः- निर्धारित समय सीमा से 90 दिनों से अधिक विलम्ब से संयोजन का विवरण, इस रिपोर्ट में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

अधिशासी अभियंता

प्रोफार्मा बी 2– एच.टी./ई.एच.टी. भार वृद्धि में विलम्ब हेतु

माह: ____________

क्षेत्र का नाम :

मण्डल का नाम :

खण्ड का नाम :

1. पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन पर लंबित आवेदनों की संख्या ____________
2. माह के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या ____________
3. माह के दौरान भार वृद्धि संयोजन की संख्या ____________
4. माह के अंतिम दिन लंबित आवेदनों की संख्या ____________
5. 30 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या विनियमों में निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर भार वृद्धि किए गए संयोजनों की संख्या
6. 30 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर भार वृद्धि नहीं किये गये संयोजनों की संख्या

प्रोफार्मा बी 3– एच.टी./ई.एच.टी. भार कटौती में विलम्ब हेतु

माह: ____________

क्षेत्र का नाम :

मण्डल का नाम :

खण्ड का नाम :

1. पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन पर लंबित आवेदनों की संख्या ____________
2. माह के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या ____________
3. माह के दौरान भार में कटौती हुए संयोजन की संख्या ____________
4. माह के अंतिम दिन लंबित आवेदनों की संख्या ____________
5. 30 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या विनियमों में निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर भार में कटौती किए गए संयोजनों की संख्या
6. 30 दिनों की निर्दिष्ट अवधि या निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर भार में कटौती नहीं किये गये संयोजनों की संख्या

अनुलग्नक – VII

(संदर्भ विनियम 4.1)

भार वृद्धि या कटौती / संपत्ति के स्वामित्व या अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन / उपभोक्ता के नाम को विधिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरण / श्रेणी में परिवर्तन हेतु आवेदन

(वितरण अनुज्ञापी..............................)

आवेदन करने का उद्देश्य:

☐ भार वृद्धि/कटौती (नीचे ए और बी) ☐ उपभोक्ता का नाम परिवर्तन (नीचे ए और सी) ☐ उपभोक्ता के नाम को विधिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरण (नीचे ए और सी) ☐ श्रेणी में परिवर्तन (नीचे ए और डी)

[आवेदक द्वारा प्रपत्र में केवल उपयुक्त खण्ड ही भरे जायें]

(अनुज्ञापी द्वारा भरा जाये)

आवेदन संख्या	
आवेदन की तिथि	

ए	उपभोक्ता का संयोजन विवरण:				
1	वर्तमान उपभोक्ता	पुस्तक सं०			
		एस.सी. सं०			
2	पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की जाती है	मकान			
		गली			
		कॉलोनी / क्षेत्र			
		जिला		पिन	
3	वर्तमान उपभोक्ता का नाम (बड़े अक्षरों में)				
4	दूरभाष संख्या (यदि कोई हो)			मोबाइल	
बी	भार वृद्धि/कटौती हेतु विवरण				
1	विवरण		भार वृद्धि (किलोवाट/के.वी.ए./एच.पी.)	भार कटौती (किलोवाट/के.वी.ए./एच.पी.)	
	वर्तमान अनुबन्धित भार				
	आवेदित भार				

<table>
<tr><td colspan="6"><u>नोट</u>:- अनुज्ञापी द्वारा भार में वृद्धि / कटौती के बाद आपूर्ति वोल्टेज में परिवर्तन की आवश्यकता वाले संयोजन, नए एल.टी. / एच.टी. / ई.एच.टी. संयोजन हेतु, जैसा भी मामला हो, आवेदक द्वारा पहले से भुगतान की गई राशियों को विधिवत समायोजित करके नए आवेदन के रूप में संशोधित किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td>सी</td><td colspan="5">नये मालिक / कब्जाधारी का विवरणः (उपभोक्ता का नाम परिवर्तन / उपभोक्ता के नाम को विधिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरण हेतु)</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में) जिनके नाम संयोजन स्थानांतरित किया जाना है</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">दूरभाष संख्या</td><td></td><td>मोबाइल</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>ई—मेल</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">अपेक्षित अभिलेखों की सूचीः</td><td colspan="2">संपत्ति के स्वामित्व या अधिभोग में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन</td><td colspan="2">उपभोक्ता के नाम को विधिक उत्तराधिकारी को हस्तांतरण</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. विधिवत भुगतान किए हुए नवीनतम बिल की प्रति
2. संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण
3. प्रतिभूति जमा के हस्तांतरण हेतु पूर्व मालिक का अनापत्ति प्रमाण पत्र</td><td colspan="2">1. विधिवत भुगतान किए हुए नवीनतम बिल की प्रति
2. पंजीकृत बिल, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, नगरपालिका / भूमि रिकॉर्ड में म्यूटेशन/उत्परिवर्तन आदि की प्रति
3. अन्य विधिक उत्तराधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि, विधिक उत्तराधिकारियों में से एक के नाम पर संयोजन स्थानांतरित किया जाना है</td></tr>
<tr><td>डी</td><td colspan="5">श्रेणी में परिवर्तन</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="3">विद्युत बिल के अनुसार वर्तमान भार (किलोवाट / के.वी.ए. / एच.पी.)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="3">श्रेणी में परिवर्तन के बाद भार (किलोवाट / के.वी.ए. / एच.पी.)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">वर्तमान श्रेणी</td><td></td><td>अपेक्षित श्रेणी में परिवर्तन</td><td></td></tr>
</table>

नोटः- जहां भी लागू हो, वोल्टेज स्तर एल.टी. / एच.टी./ ई.एच.टी. के बावजूद आवेदक 3.4.2 (4) (बी) के अनुसार वैधानिक अनुमतियों/ पंजीकरण से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करेगा।

पी.टी.डब्ल्यू. संयोजन हेतु श्रेणी में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आवेदक को इस आवेदन पत्र के साथ विधिवत भुगतान किये गये नवीनतम बिल का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – VIII
(संदर्भ विनियम 5.1)

मीटर परीक्षण रिपोर्ट

1. उपभोक्ता विवरण

उपभोक्ता का नाम (बड़े अक्षरों में): ____________________

पता: ____________________

____

उपभोक्ता एस.सी. सं० /पुस्तक सं०: ____________________

अनुबन्धित भार: ____________________

2. मीटर विवरण

मीटर सं० ____________ आकार: ____________

डायल सं. ____________

प्रकार: ____________ सी.टी. अनुपात: ____________

ई/एल– एलईडी स्थिति Rev एलईडी स्थिति

3. पल्स परीक्षण

मीटर स्थिरक: ____________ भार: ____________

परीक्षण पूर्व रीडिंग: ____________ परीक्षण पश्चात रीडिंग: ____________

ली गयी पल्स की संख्या: ____________ परीक्षण हेतु लिया गया वास्तविक समय: ____________

मीटर द्वारा दर्ज की गई ऊर्जा: ____________ परीक्षण उपकरण द्वारा दर्ज ऊर्जा: ____________

त्रुटि: ____________

परिणाम

उपभोक्ता मीटर अभिलिखित ____________% कम/अधिक उपभोग, प्रतिस्थापन की आवश्यकता / परिणाम सीमा के भीतर हैं

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि परीक्षण ____________ (दिनांक) पर आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। ____________ किलोवॉट का एक बाह्य भार 1 केडब्ल्यूएच के परीक्षण हेतु उपयोग किया गया था तथा कुल समय ____________ मिनट लगा। पल्स की गणना हेतु उपयुक्त स्कैनर का उपयोग करके परीक्षण किया गया था।

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुज्ञापी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम व पदनाम

नोट: विभिन्न बाह्य भारों के परीक्षण हेतु लिया गया अनुमानित समय निम्नानुसार है

भार किलोवाट में	अनुमानित समय मिनटों में
1 किलोवाट	100
2 किलोवाट	50
3 किलोवाट	30

अनुलग्नक –IX
(विनियम 5.1 व 5.2 का संदर्भ लें)

प्रत्याशित बिलों के स्व–मूल्यांकन / अग्रिम भुगतान हेतु आवेदन

(वितरण अनुज्ञापी..............................)

आवेदन करने का उद्देश्य:

□ स्वमूल्यांकित बिल (नीचे ए, बी व डी) □ प्रत्याशित बिलों का अग्रिम भुगतान (नीचे ए, सी व डी)

[आवेदक द्वारा प्रपत्र में केवल उपयुक्त खण्ड ही भरे जायें]

(अनुज्ञापी द्वारा भरा जाये)

आवेदन संख्या	
आवेदन की तिथि	

ए	उपभोक्ता का विवरण:				
1	वर्तमान उपभोक्ता	पुस्तक सं०			
		एस.सी. सं०			
2	पता जिस पर आपूर्ति प्रदान की जाती है	मकान			
		गली			
		कॉलोनी / क्षेत्र			
		जिला		पिन	
3	वर्तमान उपभोक्ता का नाम (बड़े अक्षरों में)				
4	दूरभाष संख्या (यदि कोई हो)			मोबाइल	
बी	स्वयंमूल्यांकित बिल				
1	रीडिंग पर आधारित (स्वयं ली गयी)	ए. पिछली रीडिंग		दिनांक:	
		बी. वर्तमान रीडिंग			
		सी. शुद्ध उपभोग			
		राशि			
2	पिछले 3 बिलिंग चक्रों की औसत खपत के आधार पर	राशि:			

सी	प्रत्याशित बिलों का अग्रिम भुगतान			
1	अग्रिम भुगतान किया गया है:			
2	पिछली बकाया राशि (यदि कोई हो):			
3	शुद्ध अग्रिम भुगतान			
डी	भुगतान की विधि	चेक ☐	विवरण:	टिप्पणी (यदि कोई हो):
		इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण ☐		
		डीडी / पी.ओ. ☐		
		नकद ☐		

दिनांक:　　　　आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – X
(संदर्भ विनियम 6.2)

उपभोक्ता के अनुरोध पर स्थायी विच्छेदन हेतु आवेदन

(अनुज्ञापी द्वारा भरा जाये)

आवेदन संख्या	
आवेदन की तिथि	

ए	वर्तमान मालिक का विवरण				
1	वर्तमान उपभोक्ता	पुस्तक सं०			
		एस.सी. सं०			
2	उपभोक्ता का नाम (बड़े अक्षरों में)				
3	पता जिस पर आपूर्ति का विच्छेदन अपेक्षित है	मकान			
		गली			
		कॉलोनी / क्षेत्र			
		जिला		पिन	
	दूरभाष संख्या (यदि कोई हो)			मोबाइल	
4	दिनांक जिस पर विच्छेदन करना है				
5	स्थायी विच्छेदन का कारण				
6	अभिलेखों की सूची		1. विधिवत भुगतान किए हुए नवीनतम बिल की प्रति		

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर

अनुलग्नक – XI
(संदर्भ विनियम 7.1)

विद्युत चोरी तथा अनधिकृत उपयोग के विषय में निरीक्षण रिपोर्ट

निरीक्षण की तिथि		क्रम संख्या / (पुस्तिका संख्या)	
उपभोक्ता का नाम		खण्ड	
		मंडल / क्षेत्र	
उपयोगकर्ता का नाम		एस.सी. सं०	
पता		पुस्तक सं०	
		भार विवरण	
		अनुबन्धित भार	
		बिलिंग मांग	
		कुल संयोजित भार	
		श्रेणी / टैरिफ कोड	
अनियमितता का प्रकार			

☐ अनधिकृत उपयोग ☐ संदिग्ध चोरी

☐ चोरी

मीटर विवरण	सील व केबल की स्थिति	
मीटर क्रमांक __________ मीटर मेक __________	सी.टी. बॉक्स सील सं० __________	पाया गया __________
मीटर क्रमांक (पेन्टेड/चिह्नित) __________	मीटर बॉक्स सील सं०	पाया गया __________
रीडिंग केडब्ल्यूएच __________	मीटर टर्मिनल सील सं० ____	पाया गया __________

रीडिंग केवीएएच ________	हॉफ सील सं० ________	पाया गया ________
रीडिंग केवीएआरएच ________		
एमडीआई ________		
पावर फैक्टर ________		
	परीक्षण उपकरण परिणाम	
आकार ________		
प्रकार ________	मीटर का कार्यचालन ________	पाया गया ________
सीटी अनुपात ________	केबल स्थिति ________	पाया गया ________

शंट कैपेसिटर □ ______ की संख्या व ______ रेटिंग व ______ मेक की शंट कैपेसिटर को ________ पावर फैक्टर को बनाए रखने हेतु कार्यचालन क्रम में स्थापित पाया गया है / □ कोई शंट कैपेसिटर स्थापित नहीं पाया गया है। ________ विलंबन के साथ ऊर्जा घटक मापा गया है।

संयोजित भार विवरण
प्रतिष्ठान प्रकार: ________ कार्य के घंटे ________ कार्य की परिस्थिति ________ (कारखाने / दुकान का विशिष्ट प्रकार) सील का विवरण

निरीक्षण दल द्वारा अन्य ऑब्जर्वेशन:	
उपभोक्ता का नाम व हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ________ ________ ________ ________ नाम ________ ________ ________ ________ पदनाम ________ ________ ________ ________

अनुलग्नक – XII
(संदर्भ विनियम 7.1)

चोरी /लघुचोरी के मामलों में ऊर्जा का आंकलन

चोरी / लघुचोरी के मामलों में ऊर्जा का आंकलन निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाएगा:

इकाइयों का आकलन = एल x डी x एच x एफ

जहाँ "एल" का अर्थ भार (संयोजित/अनुबन्धित भार जो भी अधिक हो) से है, जहाँ किलोवाट में के.डब्ल्यू.एच. दर लागू होती है, तथा के.वी.ए. में जहां के.वी.ए.एच. दर लागू होती है।

'डी' प्रति माह कार्य दिवसों की संख्या है, जिसके दौरान चोरी /लघुचोरी का संदेह है तथा नीचे दी गई विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	निरंतर उद्योग	30 दिन
(बी)	अनिरंतर उद्योग	25 दिन
(सी)	घरेलू उपयोग	30 दिन
(डी)	कृषि	30 दिन
(ई)	अघरेलू (निरंतर) अर्थात अस्पताल, होटल एवं रेस्तरां, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, पेट्रोल पंप	30 दिन
(एफ)	अघरेलू (सामान्य) यानी (ई) के अलावा अन्य	25 दिन

'एच' प्रति दिन आपूर्ति घंटे का उपयोग है, जिसे नीचे दिए गए विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	एकल पारी उद्योग (दिन / रात केवल)	10 घण्टे
(बी)	अनिरंतर उद्योग (दिन और रात)	20 घण्टे
(सी)	निरंतर उद्योग	24 घण्टे
(डी)	अघरेलू	20 घण्टे
(ई)	घरेलू	8 घण्टे
(एफ)	कृषि	10 घण्टे

'एफ' लोड फैक्टर है, जिसे नीचे दिए गए विभिन्न श्रेणियों के उपयोग हेतु लिया जाएगा:

(ए)	औद्योगिक	60%
(बी)	अघरेलू	60%
(सी)	घरेलू	40%
(डी)	कृषि	100%
(ई)	प्रत्यक्ष चोरी	100%

घरेलू पानी पंप, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन तथा लघु घरेलू उपकरणों के संचालन हेतु वास्तविक घरेलू उपयोग के मामलों में मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु कार्य के घंटे को 100% लोड फैक्टर पर प्रति दिन एक घंटे से अधिक कार्य करने हेतु नहीं माना जाएगा।

अस्थायी संयोजन के मामले में ऊर्जा का आंकलन

अस्थायी संयोजन के मामले में ऊर्जा की लघुचोरी हेतु मूल्यांकन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा:

इकाइयों का आकलन = एल x डी x एच, जहाँ

एल = भार (संयोजित/अनुबन्धित भार जो भी अधिक हो), जहाँ किलोवाट में के.डब्ल्यू.एच. दर लागू होती है, तथा के.वी.ए. में जहां केवीएएच दर लागू होती है।

डी = दिनों की संख्या जिसके लिए आपूर्ति का उपयोग किया जाता है.

एच = 12 घण्टे

संक्षिप्ति

इस कोड में निम्नलिखित संक्षिप्ति का उपयोग किया गया है लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है;

क्रम सं०	संक्षिप्ति	विवरण
1	वी	वोल्ट
2	ए	एम्पियर
3	डब्ल्यू	वाट
4	के.वी.	किलो वोल्ट
5	के.ए.	किलो एम्पियर
6	के.डब्ल्यू.एच.	किलो वाट घंटा
7	के.वी.ए.	किलो वोल्ट एम्पीयर
8	सी.टी.	करेंट ट्रांसफॉर्मर
9	पी.टी.	संभाव्य ट्रांसफार्मर
10	के.वी.ए.एच	किलो वोल्ट एम्पीयर घंटा
11	के. डब्ल्यू.	किलो वाट
12	के.वी.ए.आर.	किलो वोल्ट एम्पीयर रिएक्टिव

आयोग के आदेश द्वारा,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 51 हिन्दी गजट/506–भाग 1–क–2021 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।